खण्ड-235, अंक-3
बुधवार, 4 आश्विन, शक संवत् 1884
(26 सितम्बर, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 235 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	..	..	२२१–२२५
प्रश्नोत्तर	..	..	..	२२५–२४१
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	..		..	२४१
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं			..	२४१–२४४
वाराणसी शहर में बिजली की सप्लाई में अनियमितता के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	..	..	..	२४४–२४७
कानपुर से झांसी जाने वाली पैसेंजर गाड़ी के गार्ड की एक विद्यार्थी दल द्वारा हत्या के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य			..	२४८–२५१
२० सितम्बर, १९६२ को विरोधी दलों की अनुपस्थिति में ५ विधेयकों के पारित होने के संबंध में याचिका	..	..	..	२५१–२५२
श्री उग्रसेन द्वारा अध्यक्ष के निर्णय के प्रति 'अन्याय' शब्द के प्रयोग करने पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था	..	..	..	२५२–२६४
प्रदेश में अत्यधिक वर्षा से पुनः बाढ़ स्थिति उत्पन्न होने के कारण सदन को एक सप्ताह के लिये स्थगित करने के संबंध में प्रस्ताव (अस्वीकृत)				२६४–२६९
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋण विधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२ विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक पर (विचार-जारी)			..	२६९–२८७
विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में जानकारी	..	..	..	२८८–२९०
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋण विधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२ विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक पर—(विचार-जारी)			..	२९०–२९९
नत्थी	..	..	..	३००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २६ सितम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक-सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेश प्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस०जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुलाबसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड०ए० अहमद, श्री
जे०पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरी प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेंद्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेंद्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेंद्रबहादुरसिंह, श्री
नरेंद्रसिंह, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री

पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह,सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेंदुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगवतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हुसन खां, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हुसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेंद्रदत्त, श्री
यादवेंद्रसिंह, श्री (लल्लनजी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेंद्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री

राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेंद्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री

श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेंद्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेंद्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हुतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, और नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २६ सितम्बर, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

सेण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिसवां के विरुद्ध शिकायत

*१—**श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा**—क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिसवां, जिला सीतापुर में ३० जून, १९६२ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अवसर पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा सहकारी विभाग द्वारा भेजे गये आदेशों का उल्लंघन करने हेतु फर्जी वसूलयाबी दिखाने के लिये Transfer Entries हुई हैं ?

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—जी नहीं।

*२—**श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा**—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में तथा भ्रष्टाचार की कोई शिकायत Deputy Registrar, सहकारिता, लखनऊ को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस संबंध में कोई जांच-पड़ताल हुई और उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—जी हां ।

डिप्टी रजिस्ट्रार (सेंट्रल) ने इस मामले की खुद जांच की । आरोपों को गलत पाया ।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—क्या सहकारिता मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा सहकारी विभाग द्वारा रुपया वसूल होने के बाद दोबारा उन्हीं सोसाइटीज को रुपया देने के लिये टाइम लैग क्या निश्चित है तथा उस संबंध में क्या आदेश हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—रिजर्व बैंक आफ इंडिया को ऐसे डाइरेक्शन हैं कि एक रीजनेबिल टाइम होना चाहिये । रुपया सोसाइटी जब जमा करती है और वापस लेती है ३७ में रीजिनेबिल बीच का टाइम होना चाहिये । हमारे यहां रजिस्ट्रार साहब ने यह आर्डर कर दिया है कि एक हफ्ते का टाइम कम से कम होना चाहिये रिसीट में और एडवांसेज में ।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—क्या सहकारिता मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २८,२९ जून को जो रुपया सहकारी समितियों के द्वारा सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक, बिसवां में आया वह उन्होंने सोसाइटीज को दोबारा फिर कब एडवांस किया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह जहां तक मेरी इत्तिला है सीतापुर में जो चैयरमैन हैं वह नान-आफिशियल हैं । उन्होंने कुछ इसमें रिलैक्सेशन कर दिया था । एक हफ्ते की जगह शायद ३ दिन कर दिया था । मेरा खयाल है उसी हिसाब से वहां पर काम हुआ । आखिरी दिनों में यह रिलैक्सेशन हुआ । पहले वहां वही नियम था जो और जगह है ।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—मेरा प्रश्न यह है कि २८ और २९ जून को जो रुपया बैंक में आया दिखाया गया है, यह मेरी जानकारी है कि वह रुपया अगले दिन एडवांस किया गया दिखाया गया है ? न तो कोई रुपया आया और न गया यह केवल फर्जी दिखाया गया है । यह मैं जानता हूं मेरा भी उससे संबंध है ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय सदस्य ने जो बात कही वह रूल का जो रिलैक्सेशन किया गया है और वह उसी हिसाब से किया गया है । एक डेट में कितनी रकम आई और कितना रुपया गया इससे आप अन्दाजा नहीं निकाल सकते क्योंकि उसी सोसाइटी को रुपया नहीं दिया जाता । मान लीजिये कि एक सोसाइटी को एक हफ्ता हो गया रुपया जमा किये हुये तो उसको रुपया दिया जा सकता है । एक दिन की रिसीट और एडवांसेज से आप कोई इन्फरेंस नहीं निकाल सकते । जिस सोसाइटी को रुपया जमा किये हुये एक हफ्ता हो गया है उसे दिया जा सकता है । दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही, मैं यह जानता हूं कि वह भी बैंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर रहे हैं । मैंने उनके वक्त में भी देखा कि उनके यहां भी इतने एडवांसेज हुये थे जितने कि अब जो मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं, उनके वक्त में आते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सहकारी बैंकों में यह जो आम रिवाज है कि जून के महीने में एक्चुअली रुपया जमा न होकर पेपर एन्ट्री होती हैं, इसके लिये सरकार क्या उपाय सोच रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कहीं-कहीं से शिकायत आती है । इसकी कोशिश की जा रही है कि उसके लिये कोई टाइम लिमिट कर दें । इस पर विचार किया जा रहा है कि क्या उपाय किया जाय कि इस तरह की एन्ट्रीज अगर होती हैं तो आगे न होने पायें ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो शिकायती-पत्र आया है उसमें शिकायतें क्या हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ और आरोप गलत पाये गये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रिजर्व बैंक ने एक हफ्ते का स्पैसिफिक समय निश्चित किया है कि उसमें ही ट्रान्जेक्शन होना चाहिये, उस रूल में जो रिलैक्सेशन हुआ वह कैसे हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो पब्लिक बाडीज हैं वह कुछ न कुछ स्वतंत्र हैं, अपने आप काम करती हैं, अपनी सहूलियत के लिये थोड़ी बहुत चीज कर सकती हैं और उन्हें उसके लिये पाबन्द नहीं किया जा सकता। सोसाइटी ने अपना रेजोल्यूशन पास कर के एक रूल रिलैक्स कर दिया या चेयरमैन ने उसे रिलैक्स कर दिया।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह सही नहीं है कि जिन सोसाइटियों से रुपया आया उन्हीं को एडवांस किया गया ? मेरा स्पेसिफिक चार्ज है कि रुपया बैंक में आया ही नहीं, जिन सोसाइटियों की वसूलयाबी दिखायी गयी उन्हीं को ३० को एडवांस कर दिया गया। क्या इस सूचना को सही मान कर मंत्री जी इसकी हाई लेबिल पर इंक्वायरी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मेरी सूचना ऐसी नहीं है और न इस तरह की कोई स्पेसिफिक बात माननीय सदस्य ने अपनी शिकायत में लिखी थी। अगर वे जब कोई इस प्रकार की शिकायत करेंगे तो उसकी जांच करा ली जायगी।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी इस बीच के समय के लिये कोई निश्चित अवधि निर्धारित करने की कृपा करेंगे ताकि इस प्रकार की बोगस इंट्रीज की शिकायत न हो और इस तरह की बात बन्द हो सके ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी मैं उत्तर दे चुका हूं कि इस तरह का आलरेडी टाइम-लेग है एक हफ्ते का और इस पर विचार किया जा रहा है।

बी० एन० बी० इन्टर कालेज, मड़ियाहूं तथा नेवढ़िया कालेज में हरिजन विद्यार्थियों से शिक्षा शुल्क लेना

*३—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि जौनपुर जिले में बी० एन०बी० इन्टर कालेज, मड़ियाहूं और इन्टर कालेज नेवढ़िया परिगणित जातीय छात्रों से कक्षा ११ में जुलाई के महीने में प्रवेश के समय, निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश के जी०ओ० नं० एच०डी० ३५१२-ए/९-६२-३०, दिनांक १ जून, १९६२ ई० के नियम ६ के होते हुये भी शिक्षा शुल्क अनिवार्य रूप से वसूल किया गया है ? यदि हां, तो इन संस्थाओं के प्रति कौन सी कार्यवाही की गई ?

समाज कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)—जी हां, इन विद्यालयों में हरिजन छात्रों से जुलाई, १९६२ में प्रवेश के समय शुल्क ले लिया गया था।

संस्थाओं को भविष्य के लिये चेतावनी दे दी गयी है तथा शिक्षा विभाग को भी इन संस्थाओं के अनुदान के प्रश्न पर विचार करते समय इनके द्वारा की गई अनियमितता को ध्यान में रखने को कहा गया है।

श्री हरिगैनराम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो फीस वसूल की गयी है वह वापस कर दी गयी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी हां।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी को यह भी शिकायत मिली है कि वह बी०एन०बी० कालेज में हर महीने लड़कों से फीस ले ली जाती है और जब स्कालरशिप के साथ लड़कों की फीस गवर्नमेंट से जाती है तो वह उनको वापस कर दी जाती है और इस तरह से लड़कों को बड़ी परेशानी होती है जब कि सरकार के आदेश हैं कि स्कालरशिप के साथ जो फीस जाय वही ली जाय ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—सरकार के पास ऐसी शिकायत नहीं आयी, लेकिन अनुमान यह जरूर है कि जब इस कालेज में इस प्रकार की अनियमितता की गयी तो ऐसी भी की गयी होगी। इसकी सरकार को कोई सूचना नहीं है।

श्री हरिगैनराम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नेवढ़िया कालेज में अगस्त में भी फीस वसूल की गयी है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसकी सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—जो फीस वसूल की गयी है वह लौटा दी जायगी। इसके माने यह हैं कि वहां अनियमितता बरती गयी और गैनकानूनी तरीके से फीस वसूल की गयी। इसको अभी माननीय मंत्री जी ने मंजूर किया है और कहा है कि जो फीस वसूल की गयी है वह लौटा दी जायगी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि, फीस लौटा देना ही काफी नहीं है, जो अधिकारी इस तरह का गैरकानूनी काम करते हैं उनको क्या दंड देने की बात सरकार सोच रही है ? दूसरे यह कि हरिजनों को जो स्कालरशिप मिलती है सरकार की तरफ से वह उनको दे दी जाय बजाय इसके, मेरी जानकारी है कि हर संस्था में वह ८ या ६ महीने की स्कालरशिप दे दी जाती है और बाकी प्रधानाध्यापक अपने आप उसे रख लेते हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—यह तो मैंने निवेदन किया कि इस संस्था ने इस प्रकार से कार्य करके नियमों का उल्लंघन किया। उसके लिये उनको अनुदान देते समय शिक्षा विभाग से भी कह दिया गया है कि विचार करे।

श्री जगन्नाथराव (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन अनियमितताओं के लिये वहां के प्रबंधक जिम्मेदार हैं या वहां के प्रधानाचार्य ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—मेरी समझ में तो दोनों ही जिम्मेदार हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा शुल्क वसूल करने से जो एक समस्या इस साल पैदा हो गई है और मंहगाई फीस भी वसूल की जा रही है इन लड़कों से तो क्या सरकार इस तरह के आदेश सभी स्कूलों को देगी कि मंहगाई फीस वसूल न की जाय ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—श्रीमन्, वैसे तो आदेश हैं ही हरिजन विभाग की ओर से, लेकिन जब उन आदेशों का उल्लंघन किया गया है तो उसके ऊपर कुछ कार्यवाही करने के लिये विचार किया जायगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, यह मेरी अपनी जानकारी रही है, और क्या यह सत्य नहीं है कि इस प्रकार का आदेश प्रिंसिपल को मैनेजर महोदय ने दिया है जो कि आप के ही विधायक हैं और उनके ही आदेश से यह अनियमितता इस स्कूल में हो रही है ? तो क्या सरकार उसकी जांच कराकर कोई उचित कार्यवाही करने का प्रबंध करेगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—श्रीमन्, जो हरिजन विभाग कार्यवाही कर सकता था वह कर दी गई है और शिक्षा विभाग को लिख कर भेज दी गई है और वहां की शिक्षा संस्थाओं के प्रबंधकों को भी लिख कर इसके बारे में भेज दिया गया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने वहां के प्रबंधकों से इस विषय पर स्पष्ट जवाब-तलब किया है या नहीं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—श्रीमन्, इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां की यह समस्या है वह केवल एक स्कूल या जिले की नहीं है बल्कि प्रायः स्कूलों में इसी प्रकार आदेशों की अवहेलना होती है और इसी कारण कई बार हरिजन छात्रों को अपना अध्ययन समाप्त करना पड़ा है ? इसके लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री माताप्रसाद—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसी जुलाई से हरिजन छात्रों से अनिवार्य रूप से फीस वसूल की जा रही है और अभी इसके लिये शिक्षा संस्थाओं को कोई आदेश नहीं दिये गये हैं ? इस सम्बन्ध में क्या सरकार यह आदेश देगी कि इस साल से मंहगाई फीस न ली जाय और जो वसूल की जा रही है वह रोकी जाय ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—अगर लिख कर देंगे तो आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या माननीय मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे कि इन शिकायतों को देखते हुए हरिजन छात्रों को उनका वजीफा सीधे उनको दिलवाया जाय और इन संस्थाओं के द्वारा न दिलवाया जाय ? क्या ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—अगर माननीय सदस्य कोई ऐसा सुझाव लिख कर देंगे तो अवश्य की जायगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, यह जो प्रथा चल रही है कि सदन में किसी माननीय सदस्य के कह देने के बाद भी कहा जाता है कि लिख कर दीजिये, यह उचित नहीं है। सदन में जो बात कही जाती है वह प्रोसीडिंग्स में लिख ली जाती है। मंत्री लोग भी जो बात कहते हैं उनके लिए आपने कहा कि बड़ी गम्भीरता से कोई बात कहें। यहां सभी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वह जो कहते हैं सदन में उसके बाद भी उनसे कहा जाय कि उसको लिख कर दें यह सदन की मर्यादा के विरुद्ध है, इस ओर आप व्यवस्था करें।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव)—अध्यक्ष महोदय, लिख कर देने का मतलब यह है कि माननीय सदस्य जो कुछ चाहते हैं उसमें ज्यादा क्रिस्टिलाइज हो जायं और हम भी उस पर उचित रूप से सोच विचार कर सकें। उसमें जो प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज उठ सकती हैं वह भी लिख कर देने से सामने आ जायंगी। इस वजह से यह आवश्यक है कि लिख कर दिया जाय।

श्री यादवेन्द्रदत्त—सदन की प्रोसीडिंग्स मन्त्री महोदय के पास जाती होंगी। उससे वह और उनके पी० ए० मालूम कर सकते हैं और उनके अधिकारी भी यहां नोट कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रागदर्शन में मैं समझता हूं कि अगर लिख कर माननीय सदस्य दे दें तो, जैसा कि अभी माननीय समाज कल्याण मंत्री ने कहा, ज्यादा स्पेसिफिक और क्लियर हो जाता है और कम्प्लायेंस में सुविधा होती है। आगे मैं इस पर आप सब से बातचीत करके फिर निवेदन करूंगा ,उस लाइट में। जैसा कि आप ने कहा, ठीक है कि यहां जो बात कही जाती है वह प्रोसीडिंग में लिखी जाती है, लेकिन कठिनाइयां हो सकती हैं।

वाराणसी कमिश्नरी में चेचक उन्मूलन योजना

*४—श्री हरीगैनराम—क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी कमिश्नरी के जिन जिलों में चेचक उन्मूलन योजना जारी की गई है, उसके अन्तर्गत कुल कितने वैक्सीनेटर तथा दूसरे कर्मचारी रखे गये हैं और उनमें परिगणित जाति के कितने व्यक्ति हैं ?

चिकित्सा उपमन्त्री (श्री धर्मसिंह)—सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष जी, यह तो उत्तर ग़लत है। एक मर्तबा ५० नम्बर पर भी रहा है। इसके माने साफ़ हैं कि यह अब जो ४ नम्बर पर आया है तो पहले-पहल सरकार के पास १८-८-६२ को भेजा गया था उस वक्त अस्वीकार हुआ, फिर दोबारा अब स्थगित हो रहा है। यह तो आप के आदेशों की अवहेलना है, क्यों इतनी देर की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—जरा बता दीजिये मंत्री जी कि क्यों देर हो रही है ?

श्री धर्मसिंह—इसकी सूचना कल शाम को प्राप्त हो गई थी, लेकिन सरकार उससे संतुष्ट नहीं थी इसलिये टेलीफोन से संपर्क स्थापित किया गया लेकिन किसी कारण से सूचना न आ सकी। दूसरे, चेचक का एक सेमिनार कल सायंकाल यहां हुआ था, जिसमें तमाम आफिसर्स मौजद थे। इसलिये अधूरा जवाब देने से तो कोई फायदा नहीं है, यही देरी का कारण है।

श्री काशीनाथ मिश्र—मैं आप की व्यवस्था की ओर ध्यान दिला रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—मुझे याद है, अब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है।

कटरा कोआपरेटिव डेरी सोसाइटी लिमिटेड, इलाहाबाद में गबन

*५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि कटरा कोआपरेटिव डेरी सोसाइटी लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष १९५४-५५ के आडिट नोट में लगभग २५ हजार का गबन जांच करने पर निकला ? यदि हां, तो उस गबन के सम्बन्ध में कौन-कौन सी कार्यवाही सरकार ने की ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—आडिट नोट के अनुसार सोसाइटी में लगभग २१,६७९ के गबन, दुरुपयोग और दूध का छेना बनाकर बेचने से अनुमानित घाटा हुआ।

गबन और दुरुपयोग की धनराशि (२,२९० रु०) में से अब तक १,५०० रु० जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूल कर लिये गये हैं और शेष के लिये समिति को सुझाव दिया गया है कि वे वैधानिक कार्यवाही कर के शीघ्र इस रकम को वसूल करें।

दूध से प्रति सेर कितना छेना निकलता है इस बात पर आडिटरों और सोसाइटी के प्रबंधकों में मतभेद था। इस मतभेद को तै करने के लिये एक समिति बनाई जिसने जांच करके बताया कि डेरी के प्रबन्धकों ने जिस अनुपात में दूध से छेना निकाला वह ठीक है, दूध के बजाय छेना बेचने से १९,३८९ रुपया का घाटा आया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि यह जो १९ हजार कुछ रुपये का दुरुपयोग दूध का छेना बनाने से हुआ तो वह कितने दिन के दूध का छेना बना था और उस पर सरकारी विभाग ने कभी कोई आपत्ति की ? यदि हां, तो कब ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस समय तो मैं नहीं बता सकता कि कितने दिनों का है, लेकिन यह सही बात है कि दूध का छेना बनाया गया और उससे यह घाटा हुआ। उसके लिये डेरी वालों से कहा गया है कि यह उनका संतोषजनक उत्तर नहीं है, उसको बन्द किया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—१९५४-५५ के आडिट नोट में यह गबन बताया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस साल के हिसाब-किताब का आडिट नोट है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह आडिट नोट १९५४-५५ का है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस साल के हिसाब-किताब का आडिट नोट है और उसकी जानकारी सरकार को कब हुई, उस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने अर्ज किया कि सन् १९५४-५५ के साल का आडिट हुआ। पहले आडिट में कुछ गड़बड़ी मालूम हुई थी, उनकी कम्पलाइन्स में देरी हुई। तो उसका स्पेशल आडिट कराया गया, पहले की आडिट रिपोर्ट पर।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, श्रीमन्.....

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बता दिया १९५४-५५ का। अब उस पर बहस नहीं हो सकती।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, छेना निकालते-निकालते इस विभाग का छन्ना निकाल दिया गया, तो विभाग के संबंधित कर्मचारियों को केवल तम्बीह ही दी गयी या डिस्मिसल भी किया गया किसी का ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जैसा कि मैंने अर्ज किया, सरकार ने इसको अच्छी नजर से नहीं देखा। उनको तम्बीह ही दी जाती है। जहां तक और गड़बड़ी पायी जायेगी, उस पर जो वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है, की जायेगी।

श्री ऊदल—क्या सरकार को पता है कि यहां पर दूध दूसरी जगह से तेज भाव पर बिकता है। और जगह ६८ नये पैसे सेर का भाव है जब कि यहां पर ७२ नये पैसे के हिसाब से बिकता है और तब भी घाटा ही घाटा होता है। अगर ऐसा है तो फिर सरकार ने उस डेरी को ७ लाख १५ हजार ७६७ रुपये का कर्जा और ३ लाख ५८ हजार ६२२ रुपये का अनुदान अब तक क्यों दिया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह डेरी का हिसाब नहीं है, यह तो जो कटरा सोसाइटी है उसको दिया गया है, यह सब डेरियों को नहीं दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—आडिट नोट में किन-किन व्यक्तियों पर दोषारोपण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सोसाइटी के मैनेजर तथा कुछ कर्मचारियों के खिलाफ है।

[२६ सितम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सूत पर बिक्री-कर

*१—**श्री शराफत हुसैन रिजवी** (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार यह बतायेगी कि देहली से जो सूत यू० पी० में लाया जाता है उस पर सरकार को सेल्स टैक्स के रूप में वार्षिक कितनी आय होती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—सरकार वांछित सूचना देने में असमर्थ है क्योंकि प्रदेश में दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी सूत आयात किया जाता है जिनके सम्बन्ध में व्यापारी पृथक् रूप से कोई हिसाब-किताब नहीं देते हैं।

*२—**श्री शराफत हुसैन रिजवी**—क्या सरकार यह देखते हुये कि दिल्ली में सूत का कोई सेल्स टैक्स नहीं है ? यू० पी० सरकार भी सूत पर सेल्स टैक्स हटाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जयराम वर्मा—सरकार के सामने ऐसा कोई प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के अलावा कहां से सूत यू० पी० में लाया जाता है ?

श्री जयराम वर्मा—मेरे पास निश्चित सूचना तो नहीं है, लेकिन और प्रदेशों से भी आता है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—सवाल सिर्फ दिल्ली का पूछा है लेकिन मन्त्री जी ने कहा है कि चूंकि दिल्ली के अलावा और प्रदेशों से भी आता है इसलिये जवाब देने में असमर्थ हैं। तो दिल्ली का हिसाब तो बता दें?

श्री जयराम वर्मा—अलग-अलग प्रदेशों का हिसाब सरकार के पास नहीं आता है। इसलिये दिल्ली का अलाहिदा से नहीं बताया जा सकता।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या मन्त्री जी की सूचना में यह बात है कि दिल्ली से बगैर सेल्स टैक्स दिये सूत ले आते हैं तो क्या उनके खिलाफ वे कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री जयराम वर्मा—यह प्रयत्न तो होता ही रहता है कि सेल्स टैक्स की चोरी कोई न करने पावे।

अमरीकी मिल्क पाउडर की पेटियां गुम होना

*३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा रेडक्रास सोसाइटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिये गये अमेरिकी मिल्क पाउडर की ४८७ पेटियां चोर बाजारी में बेच दी गई हैं जिसकी रिपोर्ट जून या जुलाई, सन् १९६२ में सरकार के पास की गई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही की है?

श्री धर्मसिंह—सरकार को ५०२ दूध की पेटियों के गुम हो जाने की सूचना मिली थी और इस मामले की जांच पुलिस के सुपुर्द कर दी गई है।

*४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार इस सोसाइटी पर नियन्त्रण रखने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां, तो क्या?

श्री धर्मसिंह—यह सोसाइटी एक स्वतंत्र संस्था है और सामान्यतः इस पर नियन्त्रण रखना संभव नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मेरी यह निश्चित धारणा है कि ये ५०२ पेटियां चोरबाजार में बेची गईं और उसका सारा दोष किसी एक क्लर्क पर मढ़ा जा रहा है। जो सूचना मिली वह किसने दी और पुलिस की कार्यवाही कब तक समाप्त हो जायगी?

श्री धर्मसिंह—जहां तक पुलिस की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, वह जांच जारी है। किसी एक क्लर्क पर इसकी जिम्मेदारी डालने की बात ग़लत है। कुछ सेक्योरिटी इत्यादि ले ली गई हैं। एक आदमी ने अपने को कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—इसका कोई कानून मौजूद है या नहीं जिससे इन लोगों को सजा दी जा सके? अगर नहीं, तो क्या सरकार शीघ्र ही ऐसा कानून बनाने का प्रयत्न करेगी?

श्री अध्यक्ष—यह तो पुलिस के सुपुर्द कर रखा है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—ये ५०२ पेटियां कितनी कीमत की थीं?

श्री धर्मसिंह—१३ हजार रुपये के ऊपर की।

श्री रामसुन्दर पांडेय—ये पेटियां कब गायब हुईं, पुलिस में क्या रिपोर्ट है और जांच कब तक समाप्त हो जाने की आशा है?

श्री धर्मसिंह—१७ जून के आस-पास यह ज्ञात हो सका कि कुछ पेटियां गायब होने की सम्भावना है। रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायगी, इसके लिये कुछ नहीं कहा जा सकता रिमाइंडर भेज दिये गये हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—जब सरकार इस सोसाइटी को सुविधायें देती हैं तो क्या इस पर नियन्त्रण रखने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह—वह सम्भव नहीं है। यह एक आल-इंडिया इंस्टीट्यूट है। तमाम हिन्दुस्तान से ही नहीं, बल्कि तमाम दुनिया से इसका वास्ता है। इसकी वर्किंग पर थोड़ा बहुत नियंत्रण तो है लेकिन इतना नहीं है जितना वह चाहते हैं।

*५—७—**श्री रियासत हुसैन** (जिला मुरादाबाद)—[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

इटावा तहसील के खजाने में कम रुपया पाया जाना

*८—**श्री सहदेवसिंह** (जिला इटावा)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा तहसील के खजाने में दिनांक ४ अगस्त, १९६२ को टी० ओ० द्वारा जांच किये जाने पर २६,००० रुपया कम निकला था ? यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां, कम पाई गई धनराशि जमा करा ली गई है और तहवीलदार के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। मामला पुलिस के सुपुर्द है। अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों के सम्बन्ध में अभी छानबीन हो रही है और पूरी जानकारी हो जाने के बाद उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री सहदेवसिंह—क्या माननीय मन्त्री बतावेंगे कि पुलिस में क्या रिपोर्ट दर्ज कराई गई, गबन की, चोरी की या मिसएप्रोप्रियेशन की या हिसाब ग़लत की, और किसके खिलाफ ?

श्री जयराम वर्मा—२६,००० रुपया कम होने की तहवीलदार के खिलाफ रिपोर्ट है।

श्री सहदेवसिंह—मेरा यह प्रश्न था कि रिपोर्ट किस दफ़ा की है। मेरी सूचना यह है कि वर्षों से तहसील में २६,००० रुपया कम चला आता था तहवीलदार साहेब ही उसे बिजनेस में लगाये रहते थे ?

श्री जयराम वर्मा—मेरा ख़याल है कि एम्बैजिलमेंट का है। निश्चित नहीं कह सकता।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ४ अगस्त से पहले ट्रेजरी अफ़सर ने उस रुपये की कब जांच की थी ?

श्री जयराम वर्मा—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—क्या उन तहवीलदार साहब को मुअत्तल किया गया है ?

श्री जयराम वर्मा—वह काम नहीं कर रहे हैं।

श्री सहदेवसिंह—क्या इस समय वह जेल में हैं या जमानत पर हैं ?

श्री जयराम वर्मा—इसकी सूचना नहीं है।

हरिजन छात्र वृत्तियां

*९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के स्कूलों तथा इन्टर कालेजों का कितना-कितना धन (हरिजन) छात्रों को छात्रवृत्ति देने हेतु १९५९ से १९६२ तक दिया ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—१९५८-५९ से १९६१-६२ तक मैट्रिक से पूर्व तथा उत्तर मैट्रिक कक्षाओं में दिया गया छात्रवृत्ति का धन निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मट्रिक से पूर्व (रु० लाखों में)	उत्तर मैट्रिक (रु० लाखों में)
१९५८-५९	१५.२७	.०८
१९५९-६०	१५.४०	३६.३४
१९६०-६१	१५.३७	५०.९३
१९६१-६२	२०.६३	६६.५३

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्राणी जी बतावेंगी कि ये छात्रवृत्ति बांटने का क्या आधार है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—मैट्रिक से पहले तो हर हरिजन छात्र को दी जाती है। मैट्रिक के बाद, कालेज में जाने पर, जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होते रहते हैं उन्हीं को यह छात्रवृत्ति दी जाती है।

श्री श्रीराम—क्या सरकार को यह मालूम है कि १० वीं कक्षा से पहले जो हरिजन विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनको अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है ? क्या यह सच है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी नहीं।

*१०-११—श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—[१४ वें गुरुवार के लिये प्रश्न १४६-१४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

ट्रेजरी क्लर्कों का वेतन

*१२—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ट्रेजरी के सीनियर क्लर्क कलेक्टरी के क्लर्कों से कम वेतन पा रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—सामान्यतः ऐसी स्थिति नहीं है । परन्तु कलेक्टरी कार्यालय में लिपिकों का केडर (cadre) ट्रेजरी कार्यालय के लिपिकों के केडर की अपेक्षा विस्तृत होने के कारण वहां सीनियर क्लर्कों के पदों की संख्या ट्रेजरी से अधिक होती है । इसके अतिरिक्त कलेक्टरी में कुछ पद १५०-१०-२०० रुपये के वेतन-क्रम में भी हैं परन्तु ट्रेजरी में इस वेतन-क्रम का कोई पद नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । जो उत्तर दिया गया है उसमें आप देखेंगे कि माननीय उपमंत्री जी के हस्ताक्षर हैं । मेरी जानकारी यह है कि जब माननीय मंत्री जी मौजूद हों तो उत्तर उन्हीं के हस्ताक्षर से आना चाहिये । मेरा विश्वास है आप उपमंत्री जी को इस तरह की सलाह अवश्य देंगे ।

श्री अध्यक्ष—माननीय जयराम वर्मा जी के इस पर दस्तखत हैं, वे उप-मंत्री हैं। वे दस्तखत कर सकते हैं।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब ट्रेजरी और कलेक्टरी के क्लर्कों की योग्यता में कोई अन्तर नहीं है और ट्रेजरी में काम करने वाले अधिकतर कलेक्टरी से ही आये हैं तो क्या सरकार उनके वेतन आदि के बारे में कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे उनमें कोई अन्तर न रहे ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, मैंने बता दिया कि उस स्केल का कोई पद ट्रेजरी में नहीं है और बाकी सब एक तरह के हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या वित्त मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो कर्मचारी इस समय ट्रेजरी में काम कर रहे हैं वे पहले कलेक्टरी के कर्मचारी थे। वहां से आने के बाद उनकी सर्विसेज के आधार पर वे जूनियर करार दिये गये, इस कारण से उनके वेतन क्रम में अन्तर है ?

श्री जयराम वर्मा—जब कैडर का पृथक्करण हुआ तो ट्रेजरी के क्लर्कों से पूछा गया कि वे ट्रेजरी में रहना चाहते हैं या नहीं। जिन्होंने स्वेच्छा से रहना चाहा और यह देखकर रहना चाहा कि उनकी वहां पोजीशन क्या होगी, वे वहां रहे और अपनी इच्छानुसार रहे।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या यह सही है कि सरकार ने इस प्रकार के आदेश निकाले थे कि आधे लोगों को ही आप्शन दिया जाय और आधों को न दिया जाय ?

श्री जयराम वर्मा—नहीं इस तरह के कोई आदेश नहीं निकाले गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ट्रेजरी के दफ्तर में काम करने वाले जो लिपिक हैं उनका काम कलेक्टरी कचहरी के काम से ज्यादा है, ज्यादा जिम्मेदारी का है और कठिन है। इस महत्व को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी १५०–२०० तक का ग्रेड फिर से सृजन करने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—ऐसा कोई विचार नहीं है। कलेक्टरी के मुकाबिले उनको कुछ अन्य अधिक सुविधायें हैं।

*१३—**श्री सुखरामदास** (जिला फैजाबाद)—[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१४—१६—**श्री विश्वनाथप्रसाद** (जिला वाराणसी) तथा **श्री हिम्मतसिंह**—[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

मोमिन अन्सार विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति

*१७—**श्री नियामतुल्ला अन्सारी** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दो वर्ष से इंटर से लेकर ऊपर तक मोमिन अन्सार विद्यार्थियों के लिये जो छात्रवृत्तियां १९३७ ई० से अलग से सुरक्षित रहा करती थीं वह अन्य बैकवर्ड क्लास के विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियों के साथ क्यों जोड़ दी गयीं हैं और क्या इस वर्ष से पहले की भांति मोमिन अन्सार छात्रवृत्ति की रकम अलग से सुरक्षित करने का सरकार कष्ट करेगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—पहले इंटर से लेकर ऊपर की कक्षाओं में भारत सरकार अपनी छात्रवृत्तियां समस्त बैकवर्ड क्लास के विद्यार्थियों को स्वयं ही मंजूर करती थी। कुछ धन राज्य सरकार अपने बजट से व्यय करती थी, जिसमें से मोमिन अन्सार विद्यार्थियों के लिये कुछ धन अलग कर दिया जाता था। भारत सरकार की छात्रवृत्तियों की दर ज्यादा थी और राज्य सरकार की कम। १९५९–६० से जब छात्रवृत्तियां राज्य सरकार के माध्यम से दी जाने लगीं तो यह जरूरी हो गया कि प्रत्येक विद्यार्थी को एक दर से छात्रवृत्ति दी जाय। भारत सरकार द्वारा मिलने वाले धन में से किसी जाति विशेष के लिये धन सुरक्षित रखना सम्भव नहीं था और राज्य सरकार का धन भी भारत सरकार की शर्तों के अनुसार उसी के साथ मिलाकर

छात्रवृत्तियां भारत सरकार की दरों से देना आवश्यक हो गया। यदि मोमिन अन्सार विद्यार्थियों को अलग कर दिया जाता तो उनको छात्रवृत्ति कम दर से मिलती जिससे उन्हें असन्तोष होता। अतः सबको एक साथ छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

इस वर्ष राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि पहले की भांति राज्य सरकार के धन से छात्रवृत्तियां राज्य सरकार की दर से ही अलग से दी जायं। अतः पहले जो सुरक्षा मोमिन अन्सार विद्यार्थियों के लिये थी, वह उनको फिर से मिलने लगेगी। किन्तु भारत सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्तियों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

श्री नियामतुल्ला अन्सारी—अध्यक्ष महोदय, इस उत्तर का आखिरी पैराग्राफ जरा साफ नहीं है, इसलिये मैं समाज कल्याण मंत्री से अर्ज करूंगा कि उसकी जरा वजाहत कर दें।

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इस वर्ष राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि पहले की भांति राज्य सरकार के धन से छात्रवृत्तियां राज्य सरकार की दर से ही अलग से दी जायं। इसलिये पहले जो सुरक्षा मोमिन अन्सार विद्यार्थियों के लिये थी वह उनको फिर से मिलने लगेगी। किन्तु भारत सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्तियों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

श्री नियामतुल्ला अन्सारी—श्रीमन्, मैंने जो सवाल पेश किये थे, उनमें दो सवाल जवाब में शामिल नहीं किये गये हैं, मुझे पता नहीं क्यों? बहरहाल आप आज्ञा दें तो मैं समाज कल्याण मंत्री से दूसरा सवाल पूछूं।

श्री अध्यक्ष—पूछ लें।

श्री नियामतुल्ला अन्सारी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त दो वर्षों में मोमिन अन्सार विद्यार्थियों को कितनी रकम दी गयी है और अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को कितनी रकम दी गयी है?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—यह प्रश्न नहीं उठता था, इसलिये ये आंकड़े इस समय मेरे लिये बतलाना कठिन होगा।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अब जातिवाद पर छात्रवृत्तियां न देकर सरकार गरीबी को आधार मान कर उन्हें देने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जाति के हिसाब से नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति को देख कर वर्ग स्थिर होगा।

श्रीमती प्रकाशवती सूद—मैं यह निवेदन कर दूं कि अगर माननीय सदस्य इस प्रकार से इस पर कुछ असन्तोष जाहिर करेंगे तो सरकार उस पर पुनः विचार करने की कोशिश करेगी।

*१८—२०—**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)—[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*२१—२२—**श्री रघुनाथसिंह** (जिला वाराणसी)—[३ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

अनाथ बच्चों की सुरक्षा-व्यवस्था

*२३—**श्री मुहम्मद रफी खां** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने यतीमों (अनाथों) के लिये अपने सूबे में कौन-कौन सी सहूलियतें प्रदान की हैं?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—अनाथालयों द्वारा अनाथों का प्रबंध सुचारु रूप से हो इसके लिये "उत्तर प्रदेश महिला तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६" को प्रदेश के १९ जिलों में लागू किया गया है, इसमें १३ जिलों में लागू होने के आदेश पिछले मास में हुए हैं।

अनाथालयों को अपने आश्रितों की सामान्य व्यवस्था,प्रशिक्षण आदि के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है ।

मथुरा में अनाथ तथा परित्यक्त शिशुओं के लिये शिशु सदन की स्थापना की गई है ।

जिलाधीशों को कुल ५,९०० रु० वार्षिक की धनराशि अनाज तथा परित्यक्त शिशुओं की तात्कालिक सहायता के लिये दी जाती है ।

*२४—श्री मुहम्मदरफी खां—क्या सरकार कोई आर्थिक सहायता यतीमखानों को देती हैं ? अगर देती हैं तो उसका औसत प्रति व्यक्ति क्या होता है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी हां । यह सहायता संस्थाओं की आवश्यकता तथा उनकी आर्थिक दशा के अनुसार तदर्थ आधार (ऐड हॉक बेसिस) पर दी जाती है। अतः प्रति व्यक्ति के अनुसार औसत निकालने का प्रश्न नहीं उठता ।

*२५—श्री मुहम्मदरफी खां—क्या सरकार ने यतीमों की देख-रेख के लिये जिला मथुरा में कोई अदारा कायम किया है ? यदि हां, तो वहां उनके पालन-पोषण पर प्रति व्यक्ति क्या खर्च आता है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी हां , मथुरा में अनाथ एवं परित्यक्त बालकों के संरक्षण हेतु एक सदन स्थापित किया गया है । इस सदन में प्रति शिशु ३० रु० प्रति मास खर्च होता है ।

श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जो बच्चों के लिये अनाथालयों में सहायता करती है तो क्या वह कोई ऐसा कार्य करेगी कि जिससे बच्चे स्वयं कार्य कर के आत्मनिर्भर हो सकें ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—सरकार का दृष्टिकोण तो यही है कि अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को इस योग्य बनाया जाय कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी की पोस्ट

*२६—श्री रार्मासिह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी की पोस्ट को पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट घोषित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी की पोस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिक्षेत्र (पर्व्यू) के अन्तर्गत ला दी गई है ।

*२७—श्री रार्मासिह— [हटा दिया गया ।]

हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों का वेतन

*२८—श्री रार्मासिह—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि हरिजन कल्याण विभाग के दो श्रेणियों के सुपरवाइजरों के कार्य में कोई भिन्नता नहीं है और दोनों प्रकार के सुपरवाइजरों को एक ही प्रकार का कार्य करना पड़ता है ? फिर भी उनकी दो श्रेणियां हैं तथा उन्हें वेतन भी अलग-अलग ग्रेड में दिया जाता है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी हां ।

श्री रार्मासिह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन दोनों ग्रेड्स के सुपरवाइजर्स को एक ही प्रकार का कार्य करना पड़ता है तो क्या उन सब का एक ही ग्रेड सरकार बनाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—यह दूसरे ग्रेड के जो सुपरवाइजर हैं इनकी शैक्षिक योग्यता कम है, इसीलिये उन को दूसरे ग्रेड में रखा जाता है।

मलेरिया उन्मूलन यूनिटें

*२९—**श्री सुखदेवप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में मलेरिया उन्मूलन विभाग की कितनी यूनिटें टूटने जा रही हैं और कब तक ?

श्री धर्मसिंह—प्रदेश में मलेरिया उन्मूलन विभाग की कोई यूनिट अभी नहीं टूटने जा रही है।

*३०—**श्री सुखदेवप्रसाद**—क्या सरकार उक्त विभाग के कर्मचारियों को कहीं अन्य किसी विभाग में कार्य देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो किस-किस पद के लोगों को और कब तक और क्या उनकी पिछली सर्विस नई सर्विस में काउन्ट होगी ?

श्री धर्मसिंह—अभी प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुखदेव प्रसाद—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई योजना अगले साल इस विभाग की यूनिट तोड़ने की है ?

श्री धर्मसिंह—इस समय तो नहीं है, आगे की आगे देखी जायगी, जब एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जायगी तब ही इस पर विचार हो सकेगा।

श्री दयाराम शाक्य—ये जो अस्थायी यूनिट्स हैं वे कब तक चालू रहेंगे ?

श्री धर्मसिंह—यह तो केन्द्रीय सरकार ही बता सकती है क्योंकि वहीं से यह सहायता मिलती है। जब केन्द्र चाहेगा तभी निर्णय होगा। जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है जब वहां से पैसा मिलना बन्द हो जायगा तभी कुछ हो सकेगा।

*३१—**श्री रतीपाल** (जिला रायबरेली)—[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

रायबरेली जिले में हरिजन कालोनी स्थापित करने का आश्वासन

*३२—**श्री रतीपाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत तहसील डलमऊ, ग्राम बीबीपुर में हरिजन कालोनी बनाने की योजना है ? यदि हां, तो अब तक उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रतीपाल—डलमऊ तहसील, गांव बीबीपुर में पिछले साल में जब वहां मीटिंग हुई थी तो ५,००० रु० हरिजन कालोनी के लिये मंजूर हो कर गया था यह उस मीटिंग में प्रमुख ने बताया और नींव भी खोद डाली लेकिन अब तक हरिजन कालोनी नहीं बनी] इसका क्या कारण है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ५,००० रु० स्वीकृत हुआ। किसी भी कालोनी को बनाने के लिये, ५,००० रु० का खर्चा नहीं होता इसलिये कभी सरकार ने यह निर्णय नहीं लिया कि बीबीपुर में कोई हरिजन कालोनी बनायी जायगी। मैं इतना बताना चाहती हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अंतिम वर्ष में रायबरेली में एक कालोनी बनायी जायगी जिसका स्थान बाद में निर्धारित किया जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—माननीय सदस्य की बात को सूचना मानकर कि वहां पर नींव खाद दी गई और अभी तक कोई कालोनी नहीं बनायी गई तो भविष्य में इस पर मंत्री जी विचार करेंगे कि जहां नींव खोदी गई है वहीं पर कालोनी बने ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—मैं अवश्य इसके ऊपर जानकारी हासिल करूंगी।

*३३—३५—**श्री ऊदल**—[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

१—३—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

४—**श्री रतीपाल**—[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया ।]

५—**श्री रामकिशोर वर्मा** (जिला फतेहपुर)—[हटा दिया गया।]

६—**श्री मुहम्मदरफी खां**—[१३ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

७-८—**श्री शिवेन्द्रप्रताप** (जिला सीतापुर)—[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

९-१०—**श्री श्रीराम**—[१७ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

गोंडा जिले में सब-रजिस्ट्रार

११—**श्री सुखदेव प्रसाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में कितने सब-रजिस्ट्रार ऐसे हैं जो तीन साल से अधिक समय से भी एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—गोंडा जिले में केवल एक सब-रजिस्ट्रार श्री मोहम्मद इजतिवा अली अलवी ऐसे हैं जो कार्यालय सब-रजिस्ट्रार, गोंडा में तीन साल से अधिक से कार्य कर रहे हैं।

जिला सहकारी बैंक, बांदा का सालाना जलसा

१२—**श्री मतोलासिंह** (जिला बांदा)—क्या सरकार को पता है कि बांदा नगर में जिला सहकारी बैंक का १० जून, १९६० ई० को जलसा मनाया गया था उसमें २५७ डेलीगेट उपस्थित हुये, उनको आने-जाने का सफर खर्च दिया जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला सहकारी बैंक, बांदा का सालाना जलसा ११-२-६२ को हुआ था जिसमें २५८ डेलीगेटों ने भाग लिया।

डेलोगेटों का सफर खर्च बैंक ने नहीं दिया।

१३—**श्री मतोलासिंह**—क्या सरकार को पता है कि २५७ व्यक्तियों के मिठाई आदि में २,५०० रु० खर्च डाला गया है और उनको आने-जाने का किराया आदि भी २,५०० रु० के करीब दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—डेलीगेटों के जलपान में १,३६० रु० ८७ नये पैसे खर्च किये गये थे। उनके आने-जाने के किराये पर कोई खर्चा बैंक ने नहीं किया।

१४—**श्री मतोलासिंह**—क्या सरकार को पता है कि बांदा सहकारी बैंक के चुनाव में अवैधानिक डेलीगेट बुलाये जाते हैं और उनके पीछे अधांधुन्ध खर्चा किया जाता है, ऐसी सूरत में क्या सहकारी बैंक या सहकारी समितियां सफल होंगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। अतः इस संबंध में अभी तक कुछ कहना उचित न होगा।

१५-१६—**श्री ऊदल**—[हटा दिये गये।]

मूढ़ा ब्लाक में बेकार नलकूप

१७—**श्री रियासत हुसैन**—क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि छाया ब्लाक, मूढ़ा, तहसील व जिला मुरादाबाद में कितने सहकारिता के नलकूप बेकार हो गये हैं और उनके विषय में सरकार क्या सोच रही है? कुल कितना रुपया खर्च हुआ और उनके नाकामयाब होने का क्या कारण है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—११ नलकूप बेकार पड़े हैं। इन नलकूपों के सिंचाई विभाग द्वारा लिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है। इन पर कुल १,५२,७५१ रु० ३४ नये पैसे खर्च हुआ। उनके नाकामयाब होने के कारण संलग्न सूची में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०० पर)

१८—**श्री रियासत हुसैन**—उन नलकूपों का सुझाव किसने दिया था और उनके नाकामयाब होने के बाद क्या सरकार उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने जा रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह नलकूप राज्य की इस नीति के आधार पर बनाये गये थे कि सहकारिता द्वारा किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके, अतः किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भिक्षुक कर्मशालायें तथा वेश्यावृत्ति रोकने के काम

१९—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सरकार की ओर से भिक्षुक कर्मशाला के नाम से किन-किन जिलों में कर्मशालायें खोली गई हैं तथा उन कर्मशालाओं पर कितना-कितना व्यय होता है तथा कितने-कितने भिक्षुक हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य के २ जिले (१) सहारनपुर (हरिद्वार में), (२) वाराणसी में एक एक भिक्षुक कर्मशाला स्थापित की गई है। इन कर्मशालाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष में १,२०,४०० रु० की व्यवस्था है विगत वित्तीय वर्ष में इन पर क्रमशः ५२ हजार तथा ३८ हजार रु० व्यय किया गया। इस समय इन संस्थाओं में आश्रितों की संख्या क्रमश ८५ व ८६ है।

चालू वित्तीय वर्ष में फैजाबाद में भी १०० भिक्षुकों की क्षमता की एक भिक्षुक कर्मशाला स्थापित करने की स्वीकृति अगस्त, १९५२ में दी जा चुकी है। इस सदन के लिए ५५,१०० रु० का प्राविधान किया गया है।

२०—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन जिलों में वेश्यावृत्ति को रोकने हेतु कौन-कौन से उपाय अब तक किये गये हैं तथा कितनी सफलता मिली है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक इन वीमेन ऐण्ड गर्ल्स ऐक्ट, १९५६ के अन्तर्गत राज्य के निम्नलिखित जिलों में विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है:—

१—आगरा, २—अलीगढ़, ३—इलाहाबाद, ४—अल्मोड़ा, ५—बरेली, ६—बिजनौर, ७—देहरादून, ८—इटावा, ९—गोरखपुर, १०—गाजीपुर, ११—कानपुर, १२—लखनऊ, १३—मथुरा, १४—मुरादाबाद, १५—मुजफ्फरनगर, १६—मेरठ, १७—नैनीताल, १८—सहारनपुर, १९—वाराणसी, २०—झांसी,।

वेश्यावृत्ति में लगी हुई स्त्रियों को वेश्यावृत्ति से मुक्त करने के पश्चात् संरक्षण प्रदान करने के लिए लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा, तथा मेरठ में एक एक सरंक्षण गृह स्थापित किया गया है। साथ ही १५ विभिन्न जिलों में जिला शरणालय एवं प्रवेशालय व देहरादून में स्थापित उद्धार गृह को भी उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण गृह घोषित कर दिया गया है। वेश्यावृत्ति तथा स्त्रियों के अनैतिक व्यापार की रोक-थाम के लिए वाराणसी तथा देहरादून में एक-एक उद्धार अधिकारी भी नियुक्ति है।

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत २१ अगस्त, १९६२ तक कुल ४१५ मुकदमे चलाये गये जिनमें ६२८ वेश्याओं और ११९ पुरुषों का चालान किया गया। इनमें से ३५८ मुकदमों का निर्णय किया जा चुका है जिसमें १४७ वेश्याओं और २२ पुरुषों को दंडित किया गया तथा ३२६ वेश्याओं और ६८ पुरुषों को मुक्त कर दिया गया। अनिर्णीत ५७ मुकदमों में १५५ वेश्यायें तथा २९ पुरुष अभियोगी हैं।

इस अवधि में राजकीय संरक्षण गृहों में कुल २४१ वेश्यायें प्रविष्ठ की गईं। इनमें से १४ को विवाह द्वारा एक को सरकारी नौकरी द्वारा, पांच को गैर सरकारी नौकरी द्वारा. १७३ को अन्य माध्यमों में, जैसे पारिवारिक समझौते से न्यायालयों के आदेशों के अनुसार अभिभावकों को सौंप कर दस्तकारियों में प्रशिक्षित करके पुनर्वासित किया गया। शेष ४८ महिलाएं इस समय राजकीय संरक्षण गृहों में आश्रय पा रही हैं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--विशेषाधिकार का एक प्रश्न माननीय श्याम लाल ने भेजा है, मैंने उसको अभी देखा नहीं है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कुछ कार्य-स्थगन के प्रस्ताव आये हैं।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—हमने एक दफा ५२ का प्रस्ताव भेजा था।

कुंवर श्री पालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमान् मैंने, आपको एक याचिका दी थी, उसके बारे में क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष—अभी आ जायगी।

मेरे पास कार्य-स्थगन के प्रस्ताव आये हैं उनमें से एक तो श्री ऊदल का था वह विलम्ब से आया है और जो समय के अन्दर आया है वह माननीय रामसुन्दर पाण्डेय तथा माननीय दौलत लाल का है।

और ९ सूचनायें बाढ़ के सम्बन्ध में हैं।

माननीय रामसुन्दर पाण्डेय और दौलत लाल जी का कार्य-स्थगन प्रस्ताव है। जो बाढ़ के सम्बन्ध में शिकायत वह करते हैं वह है "कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ आदि प्रदेश के अधिकांश जिलों में लगातार चार दिनों की भीषण वर्षा के कारण प्रदेश में लाखों एकड़ फसल डूब रही है और साथ ही रबी की बोआई भी इस अनवरत वर्षा के कारण पिछड़ गई।

इस घनघोर वर्षा के कारण गंगा, यमुना तथा अन्य नदियों में बाढ़ आ गई है और प्रदेश के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गये हैं और साथ ही इस भीषण वर्षा तथा बाढ़ से प्रदेश के गांव तथा नगरों के हजारों घर धराशायी हो गये हैं और पशु तथा व्यक्तियों के मरने की भी खबर प्राप्त हो रही है।

इस दैवी विपदा से प्रदेश के लाखों व्यक्तियों का जीवन संकटमय हो गया है तथा सरकार की ओर से परिस्थिति पर काबू पाने के लिये अभी कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया जा सका"।

यह जरा अनिश्चित सा मालूम होता है।

[श्री अध्यक्ष]

नियम ५२ के अन्तर्गत एक यह श्री केशरी प्रसाद का है। यह स्पष्ट है और इस प्रकार है। "निवेदन है कि जौनपुर जिले में लगातार दिनांक २२ से मूसलाधार वर्षा हो रही है। अकेले दिनांक २४ को १० इंच घनघोर वर्षा हुई थी, जिसके कारण जौनपुर का ओलन: गंज इलाका पानी से घिर सा गया है। बदलापुर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। आजमगढ़ और मिर्जापुर मार्ग कहीं पेड़ गिरने और कहीं पानी भर जाने के कारण अवरुद्ध हो गये हैं। जमालपुर एवं रामपुर के बीच मिर्जापुर मार्ग पर पानी भर जाने से बीसों मकान धराशायी हो गये हैं। जिले की सारी नदियां, गोमती, सई, पीली, वरुना और वसुई बाढ़ की स्थिति में हैं। नगर के बहुत से निचले भाग जल मग्न हो गये हैं। जौनपुर जिले में वर्षा और तूफान से उत्पन्न भयानक स्थिति से बड़ी परेशानी और संकट उपस्थित हो गया है। लोग बेघर-बार के हो रहे हैं और जानवरों के चारे की दिक्कत उत्पन्न हो गयी है।"

इसी प्रकार माननीय रतीपाल और उमाशंकर जी की एक सूचना है नियम ५२ के अन्तर्गत है, जो बहुत स्पेसिफिक है और यह वाराणसी जिले में गंगा, गड़ई एवं चन्द्रप्रभा नदी की भयंकर बाढ़ से उत्पन्न विषम परिस्थिति के सम्बन्ध में है।

एक सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय हिम्मत सिंह, माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद और जगन्नाथ जी की है और यह वाराणसी में गंगा का जल स्तर संकट बिन्दु से ऊपर पहुंचने चन्दौसी तहसील की गहराई और चन्द्र प्रभा गदी के उफान पड़ने के सम्बन्ध में है।

एक सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत सर्वश्री दौलतलाल, रामसुन्दर पांडेय, केशरी प्रसाद की है कि कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ तथा प्रदेश के अधिकांश जिलों में लगातार ४ दिनों की भीषण वर्षा के कारण प्रदेश में लाखों एकड़ फसल डूब गयी है और साथ ही साथ रबी की बोआई भी इस अनवरत वर्षा के कारण पिछड़ गई है। इस घनघोर वर्षा के कारण गंगा, जमुना तथा अन्य नदियों में बाढ़ आ गई है और प्रदेश के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गये हैं और साथ ही इस भीषण वर्षा तथा बाढ़ से प्रदेश के गांव तथा नगरों के हजारों घर धराशायी हो गये और पशु एवं व्यक्तियों के मरने की खबर प्राप्त हो रही है।

एक सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत शिवनाथ सिंह जी की है जो कानपुर जिले में लगातार ३ दिन से मूसलाधार वर्षा और जिले की गंगा, जमुना, पांडव, रिंद और सेंगुर नदियों में बाढ़ के कारण सैकड़ों गांव जलमग्न हो जाने और हजारों मकान धराशायी हो जाने के सम्बन्ध में है।

एक सूचना सर्वश्री रामकिशोर, ब्रह्मदत्त मायर की है जिला सहारनपुर में बाढ़ के सम्बन्ध में और एक प्रस्ताव है बृजेश्वर सहाय जी का जिला मैनपुरी में तहसील भौगांव के ग्राम औरन्ध, कांसपुर, नगलापीते, हैमपुरा, मानपुर आदि में बाढ़ के कारण खतरनाक स्थिति पैदा हो जाने के सम्बन्ध में।

अन्तिम सूचना है रामचन्द्र विकल जी की जिसमें लिखा है "प्रदेश के पश्चिमी जिलों विशेषकर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, व अलीगढ़ में जमुना नदी की बाढ़ से भयंकर संकट उत्पन्न हो गया है।"

ये जितनी सूचनाएं हैं उन सबको मैंने राजस्व मंत्री के पास भेज दिया है। सोमवार तक उन पर बयान हो सकेगा ?

माल मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—सोमवार तक सम्भव नहीं है। तमाम सूबे का हवाला है। एक हफ्ते का वक्त लगेगा।

श्री अध्यक्ष—तीन अक्तूबर तक दे दीजियेगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—ठीक है, तीन को दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य जिन्होंने ये सूचनायें दी हैं वे बड़े आतुर हैं, लिहाजा माननीय मंत्री महोदय उन जिलों के जिलाधीशों तथा जो भी अधिकारिगण हैं उन्हें आगाह कर दें कि वे लापरवाही न दिखायें ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—बाढ़ तो इस समय है ही । जितनी सहायता वस्त्र तथा अन्न की दी जाय उसमें जरा जल्दी कर दी जाय और वह समय से दी जाय ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना है । एक मैंने नियम ५२ की सूचना....

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ मैंने समाप्त कर दिया है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—मैं यह नहीं कह रहा हूं । आपने यह कहा कि इतनी ही सूचनाएं थीं । मैंने भी एक सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष—अच्छा-अच्छा । बहुत सी सूचनाएं आयी थीं । अब, नर्सिंह नारायण जी ने मेरे पास कल एक सूचना भेजी थी और उसको पढ़ने से परेशानी थोड़ी सी जरूर होती है लेकिन मेरा खयाल यह है कि उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बार्डर की दिक्कतों से संबंधित हैं, उसको मैंने नियम ५२ में तो नहीं लिया है लेकिन माननीय गृह मंत्री के पास उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया है । उसी सम्बन्ध में माननीय कल्पनार्थसिंह की भी है । उसको भी गृह मंत्री के पास भेज दिया है ।

माननीय चन्द्रबली सिंह और माननीय काशीनाथ मिश्र की नियम ५२ में जो सूचनाएं आयी थीं उनमें चूंकि बाढ़ का प्रश्न था, जिसको मैंने महत्व दिया, उसको मैंने माननीय मंत्री जी के पास भेज दिया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने स्वयं सूचनाओं को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, उधर अगस्त में और सितम्बर में प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया जिलों में भीषण बाढ़ थी ।

श्री अध्यक्ष—आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही बन्द कर दी जाय । मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि समस्या बड़ी जटिल है । जो बाढ़पीड़ित क्षेत्र पहले के थे वे भी हैं और पानी बरस गया, नये क्षेत्र भी बाढ़ में आ गये । तो आवश्यकता यह है कि जो खबर हम लोगों के पास आयी है उससे यह परिणाम निकलता है कि हम लोग मिल कर कुछ सहायता करें । दूसरी बात यह निवेदन करनी है....

श्री अध्यक्ष—इसे आप प्रस्ताव के रूप में रख दीजिये, जब मैं समाप्त कर लूं ।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—यह पता नहीं चला कि क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—और कुछ नहीं है, उसके संबंध में ।

श्री नर्सिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, नियम ५२....

श्री अध्यक्ष—माननीय नर्सिंह नारायण, आप बैठ जाइये ।

श्री नर्सिंहनारायण पांडेय—मैं तो बैठ ही जाता हूं लेकिन मैं बार-बार उठ रहा हूं, आप सुनते ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष—मैं नहीं सुनूंगा । जब मैं बुलाऊंगा, तब सुनूंगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह--अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन यह था, नौतनवा के बारे में जो मर्डर हुआ है---उसे आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष---इस वक्त नहीं । जब मैं बुलाऊंगा तब कहियेगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--तो आप नियम ५२ के बारे में कब सुनेंगे ? श्रीमन्, आपने यह कहा था कि यह अविलम्बनीय सवाल है, मैं बार-बार खड़ा होता हूं ।

श्री अध्यक्ष---मैंने आदेश दे दिया । वह खत्म हो गया ।

श्री कल्पनार्थसिंह---इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष---इस पर विचार की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं, लेकिन इतना अविलम्बनीय सवाल हो गया है, हमारे बार्डर के लोगों को खतरा पैदा हो गया है । उसके बाद भी, मैं नियम ५२ देता हूं और आप अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न समझने के बाद भी माननीय सदन में नहीं पढ़ते । और, श्रीमन्, मेरा निवेदन आप सुनते नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---अब एक बात सुनिये। आपके विचार से अविलम्बनीय महत्व का है और मेरे विचार से भी अविलम्बनीय विषय हो सकता है । लेकिन अगर मैं समझता हूं कि यह ऐसा प्रश्न है जिसके संबंध में यहां विचार-विनिमय या गोष्ठी नहीं हो सकती है तो दूसरा तरीका निकल सकता है । वह यह है कि आपने सूचना दी उसे मैंने गृह मंत्री जी के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दी । वह सदन में नहीं आ सकता है यह मेरा मत है । अब मैंने अपना मत दे दिया कि उसमें बोर्डर के सवाल उठेंगे । इसलिये यहाँ पेश नहीं हो सकता है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---श्रीमन्, इसमें ला ऐन्ड आर्डर की बात है वह तो सुनी जाय ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं ।

श्री कल्पनार्थसिंह---श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जाइये ।

श्री कल्पनार्थसिंह---श्रीमन्.....

श्री अध्यक्ष---मैं आदेश देता हूं कि आप कृपा कर बैठ जायं ।

वाराणसी शहर में बिजली की सप्लाई में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब वाराणसी शहर में बिजली सप्लाई में अनियमितता के संबंध में माननीय विद्युत उप मंत्री वक्तव्य देंगे ।

*विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---श्रीमन्, वाराणसी में बिजली सप्लाई करने का लाइसेंस बनारस इलेक्ट्रिक लाइट एवं पावर कम्पनी लिमिटेड के पास है । उनके क्षेत्र में बिजली सप्लाई का काम अधिकतर काफी सुचारु-रूप से चलता है परन्तु पिछले कुछ दिनों में सरकार के पास इस प्रकार की शिकायत आई है कि वहां कभी-कभी किसी लाइन पर बिजली बंद कर दी जाती है । और कुछ मिनट के लिये बन्द रहती है । जांच करने पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह मालूम हुआ कि कुछ तो यह कठिनाई इस कारण पैदा हुई कि बिजली कम्पनी के पावर हाउस में कोयला झोंकने वाले श्रमिकों में कुछ असंतोष इस कारण पैदा हो गया था कि इम्पलाइज प्रावीडेंट फंड स्कीम का फायदा उनको देना बंद कर दिया गया था। यह कोयला झोंकने वाले श्रमिक बिजली कम्पनी के अपने इम्प्लाइज नहीं थे बल्कि एक ठेकेदार के इम्पलाइज थे। हाल में सुप्रीमकोर्ट ने एक फैसला दिया है जिससे उन्होंने सरकार के उन आदेशों को रद्द कर दिया है जिनके मुताबिक ठेकेदार के आदमियों को अभी इम्पलाइज प्रावीडेंट फंड स्कीम का फायदा दिया जा रहा था। इस पर कोयला झोंकने वाले श्रमिकों ने शायद अपने काम में हाथ रोकना शुरू कर दिया जिससे कभी-कभी ब्वायलर्स में वाष्प की उत्पत्ति कम होने लगी। ऐसा होने पर कम्पनी को पावर हाउस पर लोड कम करने के लिये किसी किसी लाइन को कुछ समय के लिये काट देना पड़ा था।

स्थानीय अधिकारियों ने बीच में पड़ कर इस स्थिति को ठीक कर दिया है और अब इस प्रकार की दिक्कत वाराणसी में नहीं महसूस हो रही है। हां, कभी कभी किसी लाइन में कुछ खराबी हो जाने के कारण कुछ समय के लिये किसी-किसी इलाके में बिजली बंद हो जाय तो वह बात दूसरी है।

वाराणसी का कुछ भाग, मुख्यत : गंगा नदी के उस तट पर, रिहन्द से बिजली पा रहा है। वहां अभी अस्थाई तौर पर रिहन्द से बिजली देने का इंतजाम किया हुआ था परन्तु पिछले कुछ दिनों में साहूपुरी के पक्के सब-स्टेशन से सप्लाई दी जाने लगी है। उसके कारण अस्थायी सप्लाई में जो कमियां थीं वे भी अब दूर हो गई हैं।

श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने उक्त बिजली कम्पनी की मशीनों की जांच कराई है क्योंकि वहां जो जवाब मार्टिन कम्पनी स `दिया जाता है उसमें सरकार पर दोषारोपण किया जाता है कि रिहन्द से बिजली ली गई इसलिये यह सरकार की खराबी है। इस तरह का प्रचार क्यों किया जाता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—प्रचार की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन बनारस शहर में जो बिजली दी जाती है वह अधिकतर मार्टिन कम्पनी की है और जो कोयला झोंकने वाले श्रमिक ठीक तरह से काम नहीं करते थे उसकी वजह से यह बात उत्पन्न हुई थी।

श्री गिरधारीलाल—अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा कि क्या सरकार ने इस बिजली कम्पनी की मशीनों और ब्वायलर्स के बारे में जांच कराई है ? उसमें तो कोई खराबी नहीं है जिससे दिक्कत हो रही हो ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जैसा कि मैंने कहा बनारस का काम सुचारु रूप से चल रहा था पिछले कुछ दिनों से क्योंकि एक खास तरह की शिकायत आयी और वह इस कारण थी कि.....

श्री अध्यक्ष—उनका सजेशन यह है कि क्या आपको इस बात पर एतबार है कि वहां की मशीन और वायरिंग ठीक है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जहां तक मशीन वाली बात है मशीन की कोई शिकायत नहीं है। ट्रांसमीशन लाइन की शिकायत हो सकती है और हो सकता है कि उसकी कोई दिक्कत हो लेकिन कोई उसकी शिकायत आयी नहीं।

श्री गिरधारीलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले महीने में लगातार जब से मैंने प्रश्न किया था तब से अब तक कितनी बार बिजली फेल हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है। लेकिन यह सूचना है कि बीच-बीच में उनको जानबूझकर लाइन बन्द करनी पड़ी क्योंकि उनकी मशीनें उतना लोड नहीं ले सकती थीं।

श्री गिरधारीलाल—कोई दिन ऐसी नहीं गया....

श्री अध्यक्ष—देखिए, वह तो कह रहे हैं कि मजबूरियों की वजह से उनको लाइन बन्द करनी पड़ी क्योंकि कुछ डिफिकल्टीज थीं। उसके बाद आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए। वह तो उन्होंने मान लिया कि बन्द किया गया।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मन्त्री जी ने कहा कि कुछ डिफिकल्टीज थीं तो क्या वह डिफिकल्टीज टेक्निकल थीं या बिजली कम्पनी के कर्मचारियों की इनएफिश्यैंसी से हुईं या पुराना जो मैटीरियल लगा हुआ था उसके फेल्योर से हुईं? क्या डिफिकल्टीज थीं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि यहां कोयला झोंकने का काम ठेकेदार करता था। उसके मजदूर थे। पहले यह नियम था कि प्राविडेंट फंड स्कीम में उनका प्राविडेंट फंड कट जाता था। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग हो गई जिसके हिसाब से वह काटा जाना बन्द कर दिया गया है। उसके लिये वहां की यूनियन ने पहले तो उनकी स्ट्राइक करायी। वह थोड़े से लोग थे। स्ट्राइक के बाद उन्होंने गो स्लो (काम कम करना) शुरू कर दिया। लिहाजा कोयला पूरा नहीं झोंका जाता था और मशीन चल नहीं पाती थी। अब यह सूचना है कि वह सब दिक्कत अधिकारियों ने दूर कर दी है और २४ तारीख से सब काम ठीक चल रहा है।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सूचना मान कर फिर से जांच करायेंगे कि वास्तव में कोयला झोंकने वालों की कमी की वजह से बिजली नहीं फेल होती थी बल्कि मशीन की खराबी की वजह से होती थी।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मेरे पास इससे भी ज्यादा यह सूचना है कि जो दूसरे लोग वहाँ काम करने जाते थे कुछ लोगों ने उनको मारपीट की धमकी दी, वह सब मेरे पास है यदि आप अनुमति दें तो मैं पढ़ दूं?

श्री अध्यक्ष—मशीन की खराबी तो नहीं है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मशीन की खराबी नहीं है।

श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)—जैसा आपने बताया कि कोयला झोंकने वाले हड़तालियों की वजह से यह हुआ तो क्या पन्द्रह-पन्द्रह मिनट और आधे-आधे घंटे में कोयला न झोंकने से मशीन बन्द हो जाती है?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कह दिया कि दिक्कत की वजह से उन्होंने स्वयं बन्द की।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जो आये दिन वाराणसी में बिजली बुझा करती है, वह भविष्य में न बुझे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैंने तो कहा कि अधिकारियों ने मिलकर ऐसा इन्तजाम कर दिया है कि अब वह शिकायत वहाँ नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—इस बात को देखते हुए कि इस कम्पनी के अधिकारी काफी लापरवाह हैं, न्यायालयों के अभी दो फैसले हुए थे, एवार्ड्स हुए थे, वह एक भी नहीं दिया

और जुर्माना दे दिया, इसी तरह से शहर के लोगों को परेशान करने के लिए कभी कभी महीने में दो, तीन, चार बार वह ऐसा कर दिया करते हैं, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जाँच करने की कृपा करेंगे कि इस तरह की लापरवाही आगे न हो ?

श्री अध्यक्ष—माननीय ऊदल जी, यह आप लिखकर अलग से दीजिए ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा कि पूरे वाराणसी जिले में तो नहीं लेकिन कुछ इलाकों में कभी-कभी बिजली फेल हो जाती है, तो वह कौन इलाके हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैंने यह कहा कि बिजली का क्योंकि कम उत्पादन होता था तो कई-कई लाइन उनको कभी-कभी जान बूझ कर काटनी पड़ती थीं ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देखते हुए कि यहाँ पर अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ थीं और माननीय मंत्री जी ने कहा कि मशीन खराब नहीं है तो इस सम्बन्ध में मशीन खराब न होने की जाँच किसके द्वारा करवायी और उसका अन्तिम परिणाम क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—यह इम्पार्टेंट नहीं है कि किसके द्वारा जाँच करायी ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में तथा वाराणसी कमिश्नरी के दूसरे जिलों में जो बिजली की कमी पड़ती है, दिक्कत पड़ती है उसको देखते हुए रिहन्द बाँध से इन जिलों के लिये बिजली देने की कृपा की जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—वाराणसी में रिहन्द बाँध से बिजली देने का प्रबन्ध हो गया है । थोड़ी सी कुछ लाइनों की कमी है उसका इन्तजाम हो रहा है । उसके करने पर वह चालू हो जायगी ।

कुंवर श्रीपार्लसिह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि वाराणसी से एक बिजली की लाइन जौनपुर को भी आती है जो नियमित रूप से रोजना शाम से ६ बजे रात के बीच तीन मर्तबा बन्द हुआ करती है । तो इस बात को देखते हुये जौनपुर में भी रिहन्द बाँध से बिजली देने की मन्त्री जी कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इन्टरलिंक जब वाराणसी हो जायगा तो जौनपुर भी कनेक्टेड हो जायगा ।

श्री ऊदल—मन्त्री महोदय ने कहा कि वाराणसी को रिहन्द बाँध की बिजली दी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो वाराणसी को रिहन्द की बिजली दी जा रही वह इसी कम्पनी के माध्यम से दी जायगी जो अभी तक वहाँ देती रही है ? ऐसा क्यों किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—वाराणसी में बिजली की एजेन्सी का काम इसी कम्पनी के हाथ में है । जब तक उनका लाइसेंस है तब तक जितनी वहाँ पर बिजली की आवश्यकता होगी हम इस कम्पनी को ही देंगे ।

श्री अध्यक्ष—उनका खयाल है कि कम्पनी कुछ गड़बड़ करती है ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—ऐसा नहीं है ।

कानपुर से झांसी जाने वाली पैसेंजर गाड़ी के गार्ड की एक विद्यार्थी दल द्वारा हत्या के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय सुदामा प्रसाद ने जिस घटना की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है उसका विवरण इस प्रकार है:—"१९-९-१९६२ को गवर्नमेंट इन्टर कालेज, उरई के विद्यार्थी कालपी में मैच खेलने गये थे और उनके साथ कुछ विद्यार्थी मैच देखने के लिये गये थे। यह सब विद्यार्थी गवर्नमेंट इन्टर कालेज के ८ अध्यापकों के संरक्षण में थे। उसी दिन शाम को यह विद्यार्थी उरई वापस आ रहे थे। रास्ते में इन विद्यार्थियों ने गाड़ी की जंजीर खीचीं जिस पर ट्रेन के गार्ड, श्री एस० एन० हाँडा ने लोगों को डाँटा। कुछ विद्यार्थी आटा रेलवे स्टेशन पर एक फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बिना टिकट पाये गये। इस पर वह डिब्बा बन्द कर दिया गया। जब गाड़ी ८.४८ रात्रि को उरई रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो कुछ विद्यार्थी, जो डिब्बे में से निकल आये थे उन्होंने रेलवे कर्मचारियों पर इंजन के पास पत्थर फेंकने आरम्भ किये। तुरन्त ही गार्ड भी वहीं पर पहुंच गये। इस बीच में ट्रेन के फायरमैन ने एक लड़के को पकड़ लिया। इस पर दूसरे विद्यार्थियों ने उस पर हमला किया और पकड़े हुए विद्यार्थी को छुड़ा लिया। इस बीच में एक लड़के ने ट्रेन के गार्ड श्री एस० एन० हाँडा को छुरा भोंक दिया।

९-०५ पर स्टेशन मास्टर, ऊरई ने कोतवाली में टेलीफोन किया कि रेलवे स्टेशन पर कुछ गड़बड़ी है और वहाँ पर पुलिस की सहायता की आवश्यकता है। इस सूचना के मिलते ही कोतवाली के इंचार्ज इंस्पेक्टर और दरोगा ४ सिपाहियों सहित रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। इस बीच में गार्ड को छुरा भोंका जा चुका था और उसका उपचार स्टेशन मास्टर के कमरे में हो रहा था। लगभग १,००० व्यक्तियों की भीड़ को शान्तिपूर्वक तरीके से बिदा करके और गाड़ी पर दूसरे गार्ड का प्रबन्ध करके ९-५२ पर ट्रेन उरई स्टेशन से चली गयी।

इस दुर्घटना, बलवे और छुरा भोंकने की रिपोर्ट इंस्पेक्टर इंचार्ज, कोतवाली को रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर द्वारा दी गयी। इस पर एक मुकदमा धारा १४७/१४८/१४९/३०७/३३७ भारतीय दण्ड विधान का थाना कोतवाली में रजिस्टर हुआ। और इसकी जाँच इंस्पेक्टर इंचार्ज कोतवाली ने तुरन्त ही, जो स्टेशन पर थे, आरम्भ कर दी। एक लड़का जिसको फायरमैन ने पकड़ लिया था, गिरफ्तार किया गया। गार्ड, श्री एस० एन० हाँडा की अस्पताल में लगभग एक घंटे बाद मृत्यु हो गयी और मुकदमा १४७/१४८/१४९/३०२/३३७ भारतीय दण्ड विधान में बदल कर जाँच जिला पुलिस द्वारा जी० आर० पी० को सौंप दी गयी।

जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक सूचना मिलते ही स्टेशन पर पहुंचे और स्टेशन पर सुरक्षा का उचित प्रबन्ध कर दिया गया। शहर में पैट्रोलिंग आरम्भ कर दी गयी। दूसरे दिन शैक्षिक संस्थाओं ने प्रधान अध्यापकों की मीटिंग बुलायी और विद्यार्थियों को कंट्रोल में रखने तथा शासन को शान्ति व्यवस्था रखने में सहायता देने की अपील की। दूसरे दिन शहर में धारा १४४ लगा दी गयी क्योंकि इस मुकदमे से संबंधित व्यक्तियों की गिरफ्तारी और जाँच होने पर गड़बड़ी की आशंका हो सकती थी।

यह सही है कि इस दुर्घटना के पश्चात् रेलवे गार्ड्स ने रेल पर सुरक्षा की माँग की है। उनकी सुरक्षा हेतु कानपुर से झांसी जाने वाली प्रत्येक पैसेंजर ट्रेन पर आर्म्ड गार्ड्स का प्रबन्ध कर दिया गया है। आर० पी० एफ० के आर्म्ड गार्ड्स का प्रबन्ध रेलवे स्टेशन, उरई पर कर दिया गया है।

६ विद्यार्थी अभी तक गिरफ्तार किये जा चुके हैं। जाँच जारी है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जब आटा स्टेशन पर फर्स्ट क्लास के डिब्बे को गार्ड ने बंद किया तो स्टेशन मास्टर के द्वारा उरई स्टेशन मास्टर को यह भी सूचना दी थी कि वह पुलिस को सूचना दे दे

कि स्टेशन पर वह मिले क्योंकि झगड़ा होने का अंदेशा है ? यदि हाँ, तो क्या वह बतलायेंगे कि स्टेशन मास्टर ने पुलिस को सूचना नहीं दी या सूचना पाकर भी पुलिस जल्दी नहीं आ सकी ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, आटा के स्टेशन मास्टर ने कोई सूचना दी इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। यह बात सही है कि जैसे ही उरई के स्टेशन मास्टर ने सूचना दी, १० या १५ मिनट के अन्दर कोतवाली के ईचार्ज और पुलिस के सिपाही वहाँ स्टेशन पर पहुंच गये थे।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी के पास इसकी भी सूचना है कि इस बलवे में उरई के उच्च अधिकरियों और स्टेशन मास्टर के लड़के भी थे और इस वजह से रेलवे प्रशासन ने तत्काल उरई स्टेशन मास्टर को वहाँ से हटा दिया है ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जैसा अभी मैंने निवेदन किया, इन बातों की जांच चल रही है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वहां के स्टेशन मास्टर हटा दिये गये हैं। मुमकिन है कि रेलवे प्रशासन ने कुछ किया हो।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश के अन्य भागों में भी हुआ करती हैं, तो उनकी रोक-थाम के लिये सरकार ने कोई स्कीम बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री नवलकिशोर—यह कहा जाय कि इस तरह की घटनाएं आमतौर पर हुआ करती हैं, ऐसा तो नहीं मालूम पड़ता है। यह तो विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता का प्रश्न है। इसके लिये पुलिस फोर्स की क्या खास आवश्यकता है ? ये सब बातें तो शिक्षा संस्थाओं के विचारने योग्य हैं कि ऐसी अनुशासनहीनता की बातें नहीं होनी चाहियें।

श्री झारखंडे राय—श्रीमन्, ऐसी घटनाएं अक्सर पढ़ने में आती हैं कि रास्ते में छात्रों ने ट्रेनें रोक दीं और अपने साथियों को जो कि बिना टिकट होते हैं उनको चढ़ा लिया। यह एक रिवाज सा बन गया है। तो इन सब बातों को देखते हुये सरकार ने कोई स्कीम सोची है ?

श्री अध्यक्ष—रेलवे तो सेंटर का सबजेक्ट है और पुलिस आपके कन्ट्रोल में है तो....

श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, इसमें भी दो विंग होते हैं। एक तो जी०आर०पी० और दूसरा आर०पी०एफ०। इसमें पहला इस सरकार के अन्तर्गत है और दूसरा केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत है।

श्री झारखंडे राय—श्रीमन्, मैं यह पूछ रहा था कि अक्सर इस बात की शिकायतें मिलती हैं और अखबारों में खबरें भी छपती हैं कि बिना टिकट लिये लड़कों ने चलती ट्रेन को रोक कर रास्ते में अपने साथियों को उसमें चढ़ा लिया। तो इन बातों की गंभीरता को देखते हुए क्या सरकार ने कोई व्यवस्था ट्रेनों को बिना रुकावट के चलने देने के लिये की है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—यह प्रश्न कई दिशाओं में काम करके हल किया जा रहा है। शिक्षा संस्थाओं के जो प्रिंसिपल इत्यादि हैं, उनसे इस विषय में सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। पुलिस के द्वारा जो रोक-थाम की व्यवस्था हो सकती है वह भी की जा रही है। इसी सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेट्स आदि की नियुक्ति भी की गई है और उनको इस बात के आदेश हैं कि जो बिना टिकट वाले व्यक्ति पाये जायें, उनको स्टेशन पर पहुंचते ही सजा दी जाय। इस तरह से आप देखें कि कई पहलुओं से इन सब बातों को रोकने की चेष्टा की जा रही है। अधिकांशतः जहां तक विद्यार्थियों का सम्बन्ध है, उसकी रोक-थाम तभी हो सकेगी जब कि शिक्षा संस्थाओं के संचालकगण और अध्यापकगण विद्यार्थियों को अनुशासन में रहने की सीख देंगे और उनको रोकने की चेष्टा करेंगे।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि इस प्रकार के उपद्रवों में जिन शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थी शामिल हों उन शिक्षा संस्थाओं की ग्रांट इन एड बन्द कर दी जाय और उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इतनी कड़ी कार्यवाही की व्यवस्था तो सरकार ने अभी नहीं की है। लेकिन अगर ऐसी संस्थाओं का कोई सहयोग होगा जिसके, इस प्रकार के उपद्रवों में, बहुत से विद्यार्थी शामिल होंगे तो सरकार इस सुझाव पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि छात्रों की जो ट्रेनों में बढ़ती हुई उच्छृंखलता है, इसके कई उदाहरण मिल चुके हैं, तो क्या उन विद्यार्थियों से कुछ पुलिस का भी सहयोग है। क्या यह भी सही है कि पुलिस के सहयोग से ही वे विद्यार्थी बिना टिकट ट्रेनों में सफर करते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह बात तो सही नहीं है। इस प्रकार की मुझे कोई सूचना नहीं मिली है कि पुलिस के अधिकारी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे बिना टिकट सफर करें। पुलिस कभी इसके लिये नहीं प्रेरित करती है।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिस डिब्बे में विद्यार्थी सफर कर रहे थे और जो बन्द कर दिया गया था उसमें कोई उरई स्टेशन मास्टर का लड़का भी था ?

श्री नवलकिशोर—मैंने निवेदन किया कि इसकी कोई सूचना नहीं है कि कौन था। किसका लड़का था, उसकी जांच हो रही है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस केस में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं ? यदि हां, तो वह कहां के लड़के पकड़े गये ?

श्री नवलकिशोर—मैंने स्वयं अपने वक्तव्य में बताया कि ६ विद्यार्थी गिरफ्तार किये गये, उनमें से ५ तो गवर्नमेन्ट इंटर कालिज के हैं और एक एक्स-स्टूडेंट है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बतायेगी कि जो लड़के पहले दिन पकड़े गये हैं, उनमें कोई सरकारी अधिकारियों के भी लड़के थे ?

श्री नवलकिशोर—इतने मेरे पास इस वक्त डिटेल्स नहीं हैं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—इस बात को ध्यान में रखते हुये कि मेरी सूचना है कि इन लड़कों में जज और पुलिस अधिकारियों के भी लड़के शामिल थे, तो मामले की जांच किसी अन्य उच्च अधिकारी द्वारा सरकार कराने की कृपा करेगी ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जैसा कि मैंने अर्ज किया, जी०आर०पी० जांच कर रही है और पूरी जांच की जायगी। जिन विद्यार्थियों ने गलती की है उसकी पूरी-पूरी छानबीन की जायगी कि वह किसके लड़के हैं ?

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—इस तरफ भी ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष—आर्डर ! आर्डर !

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—जैसा कि जब हमको गिरफ्तार किया जाता है तो वल्दियत पूछी जाती है, क्या उन विद्यार्थियों की भी जिनको गिरफ्तार किया गया वल्दियत वगैरह पूछी गयी थी ? यदि हां, तो उनका पूरा पता क्या है ?

श्री अध्यक्ष—वल्दियत से क्या मतलब ?

(मा० सदस्य ने पुनः प्रश्न नहीं किया।)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—क्या मंत्री जी को सूचना है कि जो पहले गिरफ्तार किये गये उनमें रेलवे मैजिस्ट्रेट का भी बच्चा था और दूसरे जो छुरे से हत्या की गयी तो वह एक छुरा लगने से हुई या अनेक से और छुरा किस हिस्से में लगा ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जो बच्चे गिरफ्तार हुये थे उनके पिता के नाम तो मालूम हैं, लेकिन क्या प्रोफेशन है, यह पता नहीं ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मंत्री जी को सूचना है कि गिरफ्तार लड़कों में कोई जज का लड़का भी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—यह जवाब दिया जा चुका है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गिरफ्तार विद्यार्थियों में सरकारी कर्मचारियों के लड़के हैं, यह सारा मामला सी०आई०डी० की जांच के लिये रेफर करेंगे ?

श्री नवलकिशोर—क्योंकि यह घटना स्टेशन की है और जी० आर०पी० जांच कर रही है इसलिये फिलहाल तो आवश्यकता नहीं है । अगर सी०आई०डी० की जांच की जरूरत होगी तो उस समय विचार किया जायगा ।

श्री श्यामलाल—जो ६ विद्यार्थी गिरफ्तार हुये हैं क्या उनमें वह भी एक विद्यार्थी है जिसने छुरा भोंका था गार्ड को ?

श्री नवलकिशोर—जिसने छरा भोंका था या जिस पर संदेह भोंकने का है वह शायद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जब इन विद्यार्थियों से झगड़ा हुआ तो उन्होंने जैसा कि इसी सदन में हुआ मुरादाबाद के केस में कि विद्यार्थियों के पक्ष में विरोधी पक्ष द्वारा यह कहने पर कि विदाउट टिकट थे तो छोड़ क्यों नहीं दिया गया, इससे उन्होंने प्रोत्साहन पाकर वहां कहा कि हमारा कुछ नहीं हो सकता ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, यह तो राय का प्रश्न है । मैं नहीं समझता कि प्रोत्साहन मिला होगा ।

२० सितम्बर, १९६२ को विरोधी दलों की अनुपस्थिति में ५ विधेयकों के पारित होने के संबंध में याचिका

श्री अध्यक्ष—कुंवर श्रीपालसिंह ने एक याचिका प्रस्तुत की है जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया है, वह इस प्रकार है—

"मैं, २० सितम्बर, १९६२ को उत्तर प्रदेश विधान सभा में विरोधी पक्ष की अनुपस्थिति में बिना उनकी राय जाने अति अल्पकाल में ५ विधेयकों को पारित कर लिये जाने के सरकार के प्रति प्रदेश में जन-क्षोभ, उत्तेजना तथा अविश्वास के वातावरण से उत्पन्न सामान्य लोक हित के विषय पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम संख्या २३७ खंड ३ के आधार पर, श्री गंगाभक्तसिंह, सह मंत्री, उत्तर प्रदेश जनसंघ तथा अन्य की याचिका प्रस्तुत करना चाहता हूं ।"

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—यह आप क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह बताया जा चुका है ।

[श्री अध्यक्ष]

इस याचिका में यह निवेदन किया गया है :

"(१) यह कि गत २० सितम्बर, १९६२ को उत्तर प्रदेश विधान सभा में विरोधी दलों की अनुपस्थिति में (१) उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२, (२) उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) विधेयक, १९६२, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया, (३) प्रिजन्स उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक १९६२, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, (४) उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का (संशोधन) विधेयक, १९६२, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया, (५) हिन्दू मैरेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया। यह ५ विधेयक अति अल्पकाल में पारित कर लिये गये।

(२) यह कि प्रदेश की जनता द्वारा निर्वाचित विरोधी पक्ष को उक्त विधेयकों पर राय देने का अवसर ही नहीं मिला।

(३) यह कि विरोधी पक्ष के प्रति की गई बहुमत दल द्वारा अवहेलना से प्रदेश की जनता में अत्यन्त क्षोभ, उत्तेजना तथा अविश्वास की भावना व्याप्त हो गई है।

(४) यह कि समस्त विरोधी दलों की राय बिना जाने विधेयक पास किये जाने से जनतंत्र के सिद्धांतों पर कुठाराघात होता है।

(५) यह कि उच्च न्यायालय लेटर्स पेटेंट समाप्ति के लिये संशोधन लाना भारतीय संविधान के नियमों के प्रतिकूल है।

(६) यह कि उक्त सभी विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण थे और उन पर केवल एक ही पक्ष (शासक पक्ष) की राय जानी गई।

(७) यह कि सामान्य लोकहित की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सदन में उक्त सभी पर पुनर्विचार किया जाय।

अस्तु याचकों की यह प्रार्थना है कि महामहिम राज्यपाल से निवेदन किया जाय कि वह उक्त विधेयकों को विधान सभा में भारतीय संविधान की धारा २०० के परन्तुक २ के अनुसार पुनर्विचार के लिये वापस कर दें या अन्य किसी आदेश की आवश्यकता समझी जाय तो वह भी दिया जाय।"

यह है, इसको मैंने आउट आफ आर्डर कर दिया है। यह न नियमों में आता है और इसमें बहुत सी आपत्तियां हैं जो माननीय सदस्य कृपा करके देख लेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—अभी आप कृपया बैठिये।

श्री उग्रसेन द्वारा अध्यक्ष के निर्णय के प्रति 'अन्याय' शब्द के प्रयोग करने पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—माननीय उग्रसेन जी, उस रोज जब आप जा रहे थे, आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया था वे ये हैं—'हमारे ऊपर इस निर्णय से अन्याय हो रहा है।' अध्यक्ष के किसी भी निर्णय के लिये अन्याय शब्द का प्रयोग करना यहां के निर्णयों के अनुसार नियम विरुद्ध है और हमारे सदन में ये शब्द सदैव ही असंसदीय माने गये हैं। अतः आप कृपया उन शब्दों को वापस लें।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—श्रीमन्, इस पर हमारा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। उस पर जो घटना हुई थी उस पर माननीय बैजनाथ सिंह जी ने एक विशेषाधिकार का सवाल उठाया था। उसके बारे में मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ४४६ से पढ़ रहा हूं:—

"WORDS TAKEN DOWN : When disorderly words are used by a Member in debate, notice should be immediately taken of the words objected to (r); and if a Member desires that the words be taken down, he must repeat the words to which he objects, and state them to the House exactly as he conceives them to have been spoken. The Speaker or the Chairman, if in his opinion the words are disorderlys, or having ascertained the sense of the House or the committee, directs the Clerk to take down the words to which objection has been taken (t). Even the Speaker's own words have been taken down (u). The Commons have agreed "that when any member had spoken between, no words which had passed before could be taken notice of, so as to be written down in order to censure" (*a*). On 9th April, 1807, the Speaker decided that certain words could not be taken down, though a member had immediately risen to order and objected to the words used, because another Member and the Speeker had spoken to the question of order, before the House expressed a wish to have the words taken down. When objection was taken to words, after a question put from the chair, it was ruled to be too late."

तो उग्रसेन जी ने जो शब्द इस्तेमाल किये और उस पर आदरणीय सदस्य ने ऐतराज किया उसके बारे में हाउस आफ कामन्स में व्यवस्था यह है कि जिन माननीय सदस्य को ऐतराज होता है, वह उनका उच्चारण उसी समय पुनः करते हैं और आपको उस ऐतराज को उसी वक्त नोट कराना चाहिये। क्योंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिये यह सवाल अब इस सदन में नहीं आ सकता। आपके द्वारा इसके बारे में रूलिंग होनी चाहिये।

श्री बैजनार्थसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—श्रीमन्, हमने उसी समय आपका ध्यान उन शब्दों की ओर दिलाया था।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठिये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—श्रीमन्, यह प्रश्न समाजवादी पार्टी के द्वारा उठाया गया है लेकिन वे तो यह कहते हैं कि आप स्पीकर ही नहीं हैं तो फिर यह व्यवस्था का प्रश्न वे किस के सामने रख रहे हैं। जब माननीय उग्रसेन जी ने "अन्यायपूर्ण" शब्दों का व्यवहार किया था, उस समय वे आपको स्पीकर नहीं मानते थे। इसलिये पहले इस बात का फैसला हो जाना चाहिये कि कन्स्टीट्यूशनली आप स्पीकर हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, जिस समय उग्रसेन जी ने वह बात कही सदन में काफी शोर हो रहा था। कृपया आप उनके उन शब्दों को पढ़ दें जो आपके यहां रिकार्डेड हैं, ताकि हम उस पर विचार कर सकें।

श्री अध्यक्ष—मैं निवेदन कर दूं। माननीय काशीनाथ जी भ्रम में हैं। जिस वक्त माननीय उग्रसेन जी ने 'अन्याय' शब्द का प्रयोग किया था, मैंने स्वयं कहा कि आपके ये शब्द असंसदीय हैं और वे चले गये। अगर असंसदीय शब्द का नोटिस ले लिया जाय तो विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। मैंने नोटिस लिया और मुझे यह अधिकार है कि मैं उनसे यह कहूं कि जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

शब्द आपने प्रयोग किये हैं, असंसदीय होने के नाते उनको आप वापस लें। यह हमारे सदन की हमेशा प्रथा रही है कि चेयर के किसी निर्णय के सम्बन्ध में "अन्याय हो रहा है" कहना असंसदीय है और ऐसे शब्द वापस लिये गये हैं। इनके शब्द ये हैं—"आपके निर्णय से हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है।"

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—हमसे भी सुन लें आप।

श्री अध्यक्ष—मैं सुनता हूं। तो जो पोर्शन माननीय काशीनाथ जी ने पढ़ कर सुनाया वह हमारे ऊपर लागू नहीं है। जो शब्द माननीय उग्रसेन जी ने इस्तेमाल किये हैं वे इस प्रकार हैं—"श्रीमन्, चुर्क सीमेंट फैक्टरी के सम्बन्ध में और यहां गेट पर माननीय सदस्यों के साथ पुलिस की ज्यादती के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के प्रश्न पर जो आपने व्यवस्था दी है, वह हमारे साथ अन्याय हो रहा है।" इस पर मैंने कहा—"माननीय उग्रसेन जी, आपने कहा कि अन्याय हो रहा है, यह सदन का अपमान है, मैं बतला देता हूं।"

उस पर माननीय बैजनाथ सिंह बोले—"श्रीमन्, मैं माननीय उग्रसेन जी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस देता हूं।"

माननीय खेर साहब की रूलिंग है कि चेयर के लिये ऐसी बात कहना कि यह अन्याय हो रहा है, उचित नहीं है। यहां अध्यक्ष के लिये "अन्याय हो रहा है" शब्द कहना असंसदीय है।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि "अन्याय" शब्द असंसदीय हो कैसे गया? रूल तो यह है कि Speaker's decision is not to be questioned. यहां स्पीकर के डिसीजन को क्वेश्चन किया गया है। तो यह ब्रीच आफ प्रीविलेज हो सकता है लेकिन "अन्याय" शब्द असंसदीय कैसे हो गया, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं यह मानता हूं कि यह नहीं होना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिये जिससे कि स्पीकर के डिसीजन को क्वेश्चन किया गया हो, और यह गलत है लेकिन लफ्ज "अन्याय" असंसदीय कैसे हो गया, मेरी समझ में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष—किसी भी शब्द का प्रयोग जो स्पीकर पर रिफ्लेक्शन करता हो; वह नहीं होना चाहिये और ऐसे शब्द के सम्बन्ध में हमेशा यह कहा गया है कि आप ऐसे शब्द को विदड्रा कीजिये और वे विदड्रा हो गये। इसी तरह से मैं कहता हूं कि इन शब्दों को विदड्रा कीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—कुछ नहीं है, आप बैठें।

*श्री उग्रसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मैं उस दिन की सारी घटना आपको बतला दूं। चुर्क सीमेंट फैक्टरी के मजदूरों के सम्बन्ध में मैंने एक काम रोको प्रस्ताव रखा था तो माननीय मुख्य मंत्री ने यहां तक कह दिया कि मैं आपके सवाल का उत्तर भी नहीं देता। तो कन्टेम्ट तो मुख्य मंत्री ने किया जो उस दिन कह दिया कि हम आपके सवाल का उत्तर भी नहीं देते। यह सदन का खुलेआम अपमान है लेकिन श्रीमन् ने नोटिस नहीं लिया। दूसरे ब्रिटिश पार्लियामेंट की यह पद्धति है—हाउस आफ कामन्स में यहाँ तक कर दिया जाता है कि जब हाउस आफ कामन्स खोला जाता है तो एक घंटे के लिये हाउस आफ कामन्स को आने वाली जितनी सड़कें हैं उनका फाटक बन्द कर दिया जाता है ताकि माननीय सदस्यों को सदन में आने में कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कष्ट न हो, लेकिन वहाँ ताला मार दिया गया था। इस पर श्री चन्द्रजीत जी, श्री रामायण राय तथा श्री नरसिंह नारायण जी ने यहाँ विशेषाधिकार के प्रश्न उठाये थे.....

श्री अध्यक्ष—आप सुनिये, मेरी बात तो सुनिये.....

श्री उग्रसेन—आपने ही मुझे मौका दिया है इसलिये मैं आप से साग्रह निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—मेरी बात आप सुन लें। आप जो बात कह रहे हैं किसी अन्य सदस्य ने अगर सदन का अवमान किया है तो आप को अधिकार था कि आप उस के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न लाते। इस समय प्रश्न केवल यह है कि आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्दों से चेयर पर रिफ्लेक्शन होता है इसलिये आप उन शब्दों को वापस लें।

श्री उग्रसेन—हमारा तर्क आप सुन लें। हमारी गैरहाजिरी में जो शब्द कहे गये उन पर आप ने ध्यान नहीं दिया। आपने जो माननीय काशीनाथ जी को पत्र लिखा है वह मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं।

"माननीय काशी नाथ मिश्र जी, जिन शब्दों का आपने उल्लेख अपने पत्र दिनाँक २२ सितम्बर, १९६२ में किया है उन शब्दों का प्रयोग मेरे द्वारा नहीं किया गया है। जिस समय मैंने यह कहा कि "माननीय उग्रसेन जी नहीं हैं, अगर उग्रसेन जी सदन में बैठना चाहते हैं तो उन का फर्ज यह है कि जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है उन्हें वापस लें या एक्सप्लेनेशन दें।" उस समय यह नहीं मालूम था कि वह कार्यवश इलाहाबाद गये हुये हैं, मैंने यह कहा कि इसे स्थगित किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मैंने कहा था वह बात स्थगित हो गई। मुझे खेद है कि आपने पत्र में जो शब्द लिखे वह कार्यवाही को बगैर पढ़े हुये लिखे हैं। मेरे वक्तव्य से स्पष्ट है कि माननीय उग्रसेन का विषय स्थगित कर दिया गया है।

तो इसमें आपने एक्सप्लेनेशन मांगा था और अब नोटिस उन्होंने दिया तो आपने उसको एन्टरटेन किया और प्राइमाफेसी केस इस्टेब्लिश किया और एक खास बात यह हुई कि नोटिस मुझे नहीं मिला था और उस पर आपने कहा कि माननीय उग्रसेन को विधिवत् नोटिस दिया जाय। मैंने समझा कि नोटिस नहीं मिला है तो अभी नहीं लिया जायगा। उसके बाद नियम ६४ के अनुसार माननीय सदस्य, श्री बैजनाथ सिंह द्वारा शिकायत की गई कि ऐसे शब्द कह कर अवमान किया गया है और आपने उस को एन्टरटेन किया, तो आप उस पर व्यवस्था दें। मेरा कहना यह है कि मुझे आप वापस लेने को भी कह रहे हैं और साथ ही उनके प्रश्न को भी ले रहे हैं, तो यह दोनों पनिशमेंट एक साथ नहीं हो सकते, एक जुर्म के लिये दो सजायें नहीं हो सकतीं, यह ला का प्वाइंट है। मेरे केस में हाईकोर्ट ने फैसला दिया था—दफा ५२ में जब जेलर ने कार्ड पर वार्निंग दे दी तब फिर दोबारा सजा नहीं दी जा सकती और हाईकोर्ट ने उस के खिलाफ फैसला हमारे माफिक दिया। इसलिये पहले वह विशेषाधिकार का प्रश्न जो हमारे खिलाफ लाया गया है उस को वापस कराया जाय या आप उसको विशेषाधिकार समिति को भेज दें, वहाँ पर इस का फैसला हो जाय। हम भी अपनी बात—डाक्टर अहमद साहब हैं, माननीय झारखंडे राय जी हैं, माननीय गेंदा सिंह जी हैं, माननीय दुबे जी हैं और वहाँ हमारे प्रतिनिधि भी होंगे, वहाँ जो फैसला होगा हम मानेंगे लेकिन आप की....

श्री काशीनाथ मिश्र—मेरा श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर है, मेरी बात आप सुन लें..

श्री अध्यक्ष—एक बार आपने प्वाइंट आफ आर्डर उठाया उस का जवाब दे दिया गया, अब बार-बार म एलाउ नहीं करूंगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि माननीय अध्यक्ष की रूलिंग पर टिप्पणी नहीं होना चाहिये, मैं इस को मानता हूं लेकिन उस दिन जो स्थिति थी वह ऐसी थी कि उस वक्त लोगों की भावना उत्तेजित थी और जहाँ तक मैं समझ सका माननीय उग्रसेन जी का भाव यह नहीं था कि आप का अपमान हो या आप की रूलिंग पर टिप्पणी हो। उन्होंने उत्तेजक भाव में शब्दों का प्रयोग किया कि यह हमारी भावनाओं पर कुठाराघात है और वह केवल उस तीव्रता के द्योतक मात्र थे। यह ठीक है कि अध्यक्ष की रूलिंग पर इस प्रकार के शब्द कभी नहीं कहे जाने चाहिये। मैं चाहूंगा, मैं आपसे बिलकुल सहमत हूं और चाहूंगा आप स्पष्ट कर दें हमारी गाइडेंस के लिये, जैसे सरकार के जो काम होते हैं वह तो हम अन्याय पूर्ण कह सकते हैं और कभी भी अनपार्लियामेंटरी नहीं होंगे, मैं चाहूंगा कि माननीय उग्रसेन जी जहाँ तक आपका सम्बन्ध है, आपकी रूलिंग के ऊपर उनका भाव कभी यह नहीं था, मैं समझता हूं उनका भाव इस प्रकार का नहीं था कि आपकी प्रतिष्ठा में किसी प्रकार से ठेस पहुंचे। और यदि आपने उसको यह समझा कि आपकी प्रतिष्ठा में ठेस है तो उनकी प्रतिष्ठा भी इसी में होगी कि वह उसका उचित परिमार्जन पेश कर दें।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, जरा हमारा प्वाइंट आफ आर्डर सुन लें।

श्री अध्यक्ष—एक मर्तबा प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया, उसका उत्तर दिया गया।

श्री काशीनाथ मिश्र—आपने जो कहा रिफ्लेक्शन है अध्यक्ष पर, उसकी क्या प्रोसीडिंग है वह मैं पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है, आप बैठ जायं। माननीय नेता विरोधी दल ने जो कहा है उसमें एक बात ध्यान रखने की है। हर एक शख्स, विरोधी दल के व्यक्ति तथा कांग्रेसजन भी, अगर आलोचना सरकार की करना चाहते हैं या मंत्रियों की तो वह कटु से कटु आलोचना करें किन्तु असंसदीय शब्दों में नहीं। उन्हें अधिकार है, मंत्री किसी सदस्य को नहीं कह सकता तुम ईमानदार नहीं हो, व्यक्तिगत तुम्हारा यह जीवन है, तुम जिस पार्टी में हो वह ऐसी है। वे नहीं कह सकते इसलिये कि यहाँ सरकार राज्य चलाती है और जब राज्य सरकार चलाती है तो उसकी आलोचना करने का अधिकार प्रति व्यक्ति को है। मैं राज्य नहीं चलाता, मैं केवल इस सदन का कार्य संचालन करता हूं। अगर मेरी निष्पक्षता पर, मेरे निर्णयों पर अप्रत्यक्ष रूप से भी आलोचना हो तो इसका मतलब यह है कि आपके सदन की मर्यादा कम होती है। इस वजह से जो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है, अगर माननीय उग्रसेन की यह मंशा थी कि वह मेरे ऊपर इस किस्म का कटाक्ष न करें तो उन शब्दों को वापस लें या कहें—मेरी यह मंशा नहीं थी।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—एक बात मैं कहना चाहता हूं। सबसे पहले उग्रसेन जी ने जो कहा था उसको पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री राधेश्याम शर्मा—माननीय नेता विरोधी दल ने जो कहा वह सही है कि माननीय उग्रसेन ने जो कहा उससे यह भाव नहीं टपकता आपके लिये। चुर्क सीमेंट फैक्टरी के सम्बन्ध में और गेट पर सदस्यों....

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर सुन लें।

श्री अध्यक्ष—जब उग्रसेन जी बोल लें तब....

श्री काशीनाथ मिश्र—वापस लेने के आदेश आप नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष—मैं इसे रूल आउट कर रहा हूं।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मेरी एक बड़ी भारी कठिनाई है और सबसे बड़े सक्षम व्यक्ति आप ही हैं। आज संसदीय परम्परा, जिस परम्परा के अन्तर्गत हम लोग चलते हैं, भारतीय संविधान के अन्तर्गत जो दिया है और प्रक्रिया नियमावली में जो है उसके अन्दर चलते हैं। और जहाँ नहीं है, हाउस आफ कामन्स में जो रहा है, किस आधार पर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप मुझे समझने का मौका दें, किस आधार पर यह कह रहे हैं। दूसरे मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि ट्वाइस पनिशमेंट में माननीय वैद्य जी के विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को खारिज कर दें।

श्री अध्यक्ष—आप शब्दों को वापस लेते हैं तो प्रश्न नहीं उठता।

श्री उग्रसेन—वापस लेने का प्रश्न ही नहीं है। मैं ला नहीं पढ़ा हूं, लेकिन हिन्दी जरूर पढ़ा हूं। जरा ध्यानपूर्वक सुन लें, क्या मैंने कहा था:—

"श्री उग्रसेन—श्रीमन्, चुर्क सीमेंट फैक्टरी के सम्बन्ध में और यहां गेट पर माननीय सदस्यों के साथ पुलिस की ज्यादती के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के प्रश्न पर जो आपने व्यवस्था दी है, वह हमारे साथ अन्याय हुआ है और हिटलर शाही की तरह से सत्तारूढ़ दल अपनी संख्या के बल पर जनतंत्र को जिस तरह से कुचल रहा है उसके विरुद्ध सोशलिस्ट पार्टी एक घंटे के लिये सदन का त्याग करती है। "क्या कांटेक्स्ट है, कौन सा असपर्शन कास्ट किया हूं, मैं नहीं समझ सका कि मैं गिल्टी हूं और अगर आप गिल्टी समझते हैं तो विशेषाधिकार समिति को भेज दें।"

श्री अध्यक्ष—इसमें ये शब्द प्रयोग हुये हैं—चुर्क सीमेंट फैक्टरी के सम्बन्ध में एक चीज, माननीय सदस्यों के साथ पुलिस की ज्यादती के सम्बन्ध में दूसरी चीज और विशेषाधिकार के प्रश्न पर जो आपने व्यवस्था दी है तीसरी चीज, इस सबके सम्बन्ध में कहते हुये माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि वह हमारे साथ अन्याय हुआ है। मैं घोषित करता हूं कि मेरा निर्णय यह है कि माननीय उग्रसेन जी ने उन शब्दों का प्रयोग किया है जिनके द्वारा मेरे ऊपर रिफ्लेक्शन होता है और वे उन शब्दों को वापस लें।

(श्री भगवानसहाय के उठने पर)

श्री अध्यक्ष—प्लीज सिट डाउन (please sit down)।

श्री उग्रसेन—मैंने कोई ऐसे शब्द नहीं कहे हैं जिनसे सदन का अवमान होता हो। इसलिये मेरे वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—अगर वापस नहीं लेते हैं तो आप सदन छोड़ें।

श्री उग्रसेन—जनता ने चुनकर हमें भेजा है यहां बैठने के लिये। ऐसे ही क्यों छोड़ दें?

श्री जेड० ए० अहमद—मैं अपनी व अपनी दल की तरफ से उग्रसेन जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस शब्द को वापस ले लें। "अन्याय" शब्द जो उन्होंने कहा है उस सम्बन्ध में हमारी यह इच्छा है कि उसे वह वापस ले लें।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—आपसे एक बात साफ़ करवाना चाहता था। वह यह है कि इसी सदन के अन्दर जब कभी विरोधी दलों ने यहां से वाक आउट किया है तो अक्सर आपकी रूलिंग पर वाक आउट करते हुये कहा है कि व आप की रूलिंग के प्रोटेस्ट में वाक आउट करते ह। तो आपकी रूलिंग के विरुद्ध वाक आउट करना या "अन्याय" शब्द कह कर वाक आउट करने में क्या फर्क है?

श्री अध्यक्ष—इस समय यह प्रश्न नहीं है। माननीय उग्रसेन कृपया सदन छोड़ दें।

(श्री उग्रसेन के सदन न छोड़ने पर)

मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और उन को इंगित करता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय उग्रसेन जी को एक महीने के लिये सदन की सेवाओं से निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि माननीय उग्रसेन को १ महीने के लिये सदन की सेवाओं से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गयी।)

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता जब कि घंटी बज रही है। वोटिंग हो जायगा उसके बाद व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, अब डिवीजन चैलेंज हो गया है, लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक महीने के निष्कासन का प्रश्न जब कि इतना महत्वपूर्ण बिल आ रहा है, उचित नहीं होगा। इस पर आप गम्भीरता से पुनः विचार कर लें तो अच्छा होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष जी . . . .

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं। माननीय नेता विरोधी दल, मैं आप से निवेदन कर दूं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह प्रथा है कि जब पहली मर्तबा निलम्बन होता है तो ५ दिन से कम नहीं होता है और दूसरी मर्तबा १५ दिन से कम नहीं होता है। यहाँ पर माननीय उग्रसेन जी को दूसरी मर्तबा मुझे इंगित करने का दुर्भाग्य हुआ है एक मर्तबा उनकी कालावधि को कम कर दिया था। अब माननीय नेता सदन चाहें तो चेंज कर सकते हैं।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मेरा यह दुर्भाग्य है कि माननीय नेता विरोधी दल ने जो मुझ से अभी आग्रह किया है, मैं उसे इस अवसर पर स्वीकार करने में असमर्थ हूं। जब पहले भी निलम्बन करने का प्रश्न उठा था और इसी दल के साथी को एक महीने के लिये निष्कासित किया गया था तब विभिन्न दलों के नेताओं ने मुझ से यह कहा था कि इस अवधि को घटा दिया जाय और मैंने स्वतः इस सदन में प्रस्ताव पेश किया था कि उनके निलम्बन को घटा दिया जाय, परन्तु मैंने उस समय भी यह कहा था कि यह आखिरी दफा है जब मैं इस तरह की बात करने के लिये इस सदन के समक्ष इस प्रकार का निवेदन कर रहा हूं। मैंने जान बूझकर यह बात कही थी और इस लिये कही थी . . . .

श्री राधेश्याम शर्मा—श्रीमन्, यह भाषण क्यों हो रहा है? वापस लेना चाहें तो ले लें।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—इस तरह की बातें रोज रोज नहीं सुनी जायेंगी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सदन में इस तरह की घटना दुहराई न जाय इस लिये मैं राजा साहब के सुझाव का समर्थन नहीं कर सकता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कल इस विषय के सम्बन्ध में हमने मिलकर बात की और उस सम्बन्ध में कुछ सुझाव कम्युनिस्ट पार्टी के उप नेता की तरफ से आये और उनको मैंने उन व्यक्तियों तक पहुंचाने की चेष्टा की जो उस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दल से सम्बन्ध रखते हैं और कल रात्रि में मुझे जो उत्तर मिला वह निराशाजनक तो था ही परन्तु वह उक्त नेता के साथ भी न्याय नहीं करता है।

श्री राधेश्याम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था हो चुकी है। आप नियम देखिये, जब कोई व्यवस्था हो जाती है तो भाषण नहीं हो सकता है। आप की व्यवस्था के खिलाफ कोई बात हो नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष—एक गलती मैंने की है। दूसरी मर्तबा निलम्बन १५ दिन के लिये नहीं होता बल्कि २० दिन का होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अब इस पर वाद विवाद नहीं होगा।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने जो कुछ कहा उससे मैं अक्षरशः सहमत हूं।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—मैं कह रहा हूं कि पुनर्विचार कर लें इस मियाद को कम करने के लिये। एक मौका और दे दें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि माननीय उग्रसेन को इस सदन की सेवाओं से एक माह के लिये निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१५५,

विपक्ष में—८४।)

श्री अध्यक्ष—माननीय उग्रसेन सदन छोड़ें।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। मैंने बहुत प्रयास किया और मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया कि इस प्रकार की क्राइसिस खड़ी न की जाय, सरलता से चीज निभ जाय। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री ने मेरी बात नहीं मानी। एक महीने का निलम्बन मैं समझता हूं कि अत्यधिक है। अपनी संख्या के बल पर उन्होंने यह किया है, उसके प्राटेस्ट स्वरूप हम लोग पाँच मिनट के लिये वाक आउट करेंगे।

(इसके उपरान्त जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—अब हमको भी जरा मदद कीजिये।

माननीय उग्रसेन जी सदन छोड़ें। (श्री उग्रसेन के सदन न छोड़ने पर) मार्शल को आदेश दिया जाता है कि माननीय उग्रसेन जी को बाहर ले जायं। आदरपूर्वक ले जाइये।

एक सदस्य—बिल्डिंग के बाहर ले जायं या सदन के बाहर ?

***श्री उग्रसेन**—(मार्शल के प्रार्थना करने पर) मैंने कौन सा गुनाह किया है ? माननीय अध्यक्ष की आज्ञा शिरोधार्य है। मगर हमको भी जनता ने चुन कर भेजा है। जनता की भावनाओं को आदर देने के लिए हम सदन में विरोध करते हैं। तो आप क्या हमें समझायेंगे, आपको ले जाने की आज्ञा है, हमको सदन से ले जायं।

(मार्शल द्वारा वापस जाकर रिपोर्ट करने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—मैं पहले नेता कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी व पी० एस० पी० से निवेदन करूंगा कि वह उग्रसेन जी को बाहर कर दें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—आप अब निवेदन क्यों कर रहे हैं? आपने नेताओं को बोलने नहीं दिया। आप नेता विरोधी दल की बात नहीं सुनते हैं, तो निवेदन के क्या माने हैं? (शोर)

एक सदस्य—व्यवस्था का प्रश्न तक नहीं सुनते हैं (शोर)

श्री अध्यक्ष—मार्शल को आदेश दिया जाता है कि माननीय उग्रसेन को बलपूर्वक सदन के बाहर करें। आदेश की पूर्ति करें।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—हम लोगों ने निवेदन किया कि महीने भर का ज्यादा है.....

श्री अध्यक्ष—वह बात बाद में हो सकती है।

श्री उग्रसेन—(मार्शल के पुनः पास पहुंचने पर) हम इस तरह से नहीं मानेंगे।

(व्यवधान)

यह मुर्गी मार सजा हम नहीं मानेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी के राज्य में मुर्गी मारने पर एक महीने की सजा होती है। आप पांच, छः महीने के लिए हमको निकाल दें.....

(शोर)

श्री अध्यक्ष—(मार्शल के श्री उग्रसेन के पास से वापस लौटने पर) मार्शल, माननीय उग्रसेन जायेंगे आपके साथ। (मार्शल के पुनः श्री उग्रसेन के पास जाने तथा श्री उग्रसेन के उनके साथ सदन के बाहर न जाने पर) अगर मार्शल स्वयं अपने बल से नहीं निकाल सकते तो पुलिस को अन्दर बुलाना पड़ेगा। मैं फिर आगाह कर देता हूं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहता हूं कि हम सदन नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे।.... (शोर) आप हमारे अध्यक्ष नहीं हैं,... (शोर) हम आपको अध्यक्ष नहीं मानते।... (शोर)

श्री अध्यक्ष—आप जो बातें कह रहे हैं वह सदन का अवमान है और आपको इसे वापस लेना चाहिए।

श्री राधेश्याम शर्मा—श्रीमन्, सोशलिस्ट पार्टी के लोग कभी अपने शब्द वापस नहीं लेते।

श्री अध्यक्ष—तो जो बाधा माननीय राधेश्याम डाल रहे हैं उसके लिए मैं उनको भी इंगित करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय राधेश्याम जी भी एक महीने के लिए सदन की सेवाओं से निलम्बित किये जायं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि माननीय राधेश्याम जी को एक महीने के लिए सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय। (शोर)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गई।)

श्री अध्यक्ष—माननीय उग्रसेन का वोट नहीं गिना जायगा क्योंकि वह निलम्बित हैं।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ—
पक्ष में—१६५,
विपक्ष में—६६।)

श्री अध्यक्ष—माननीय राधेश्याम जी सदन छोड़ें। (व्यवधान)

श्री भगवानसहाय—अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि माननीय राधेश्याम ने क्या बात कही थी?

(शोर और कोलाहल के बीच)

श्री अध्यक्ष—माननीय राधेश्याम और माननीय उग्रसेन सदन छोड़ें।

(शोर, दोनों सदस्यों के सदन न छोड़ने पर)

अब मैं इस आदरणीय सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि माननीय उग्रसेन तथा माननीय राधेश्याम को मार्शल आदर सहित सदन से बाहर कर दें।

(मार्शल ने श्री उग्रसेन तथा श्री राधेश्याम शर्मा से सदन छोड़ने की प्रार्थना की किन्तु वे सदन से बाहर नहीं गये।)

श्री अध्यक्ष—माननीय राधेश्याम तथा माननीय उग्रसेन सदन छोड़ने के लिये तैयार नहीं ह। अब १ बज रहा है। हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(शोर और कोलाहल)

श्री मैनेजरसिंह—अभी १० मिनट बाकी हैं। १ नहीं बजा है।

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को २ बजे तक के लिए स्थगित करता हूं और अब पुलिस आकर इन दोनों इंगित माननीय सदस्यों को सदन से बाहर निकालेगी।

(इस समय १२ बजकर ५२ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजे उपाध्यक्ष, श्री होती लाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई। इस अवधि में मार्शल ने दोनों सदस्यों से सदन छोड़ने की प्रार्थना की, किन्तु वे सदन के बाहर नहीं गये। तब मार्शल ने पुलिस की सहायता से दोनों सदस्यों को सदन से बाहर कर दिया।)

श्री यादवेन्द्रदत्त—मुझे आप एक निवेदन करने की आज्ञा दें। यह जो मुख्य मंत्री ने अपनी हठ पर एक घटना यहां कर दी और लोगों को एक एक महीने के लिये निष्कासित किया जब कि कल से लैंड टैक्स बिल आने वाला है और इस बिल का महत्व हम सभी जानते हैं, इस बात को देख कर यह शक हो रहा है लोगों के दिमाग में कि कहीं मुख्य मंत्री जी आउट वोट न हो जायं इस डर से लोगों को इस पार्लियामेंटरी टैक्टिस को अपना कर सदस्यों को बाहर तो नहीं निकाल रहे हैं। यह अनुचित है और इस स्थिति का जो निर्माण हो गया है उसकी जिम्मेदारी मुख्य मंत्री पर है। उनके अन्दर स्वयं फूट है, अपनों को सम्हाल नहीं सकते और रोष सदन पर निकालते हैं और इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यदि प्रजातंत्र की रक्षा करनी है तो यह सरकार इस्तीफा दे और प्रेसीडेंसियल रूल यहां लागू किया जाय, (तालियां) अन्यथा जो वातावरण यहां बन रहा है उसका परिणाम बड़ा भीषण होगा और इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे। तो मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारी बातों पर ध्यान दें और जो हो गया है उसको समाप्त करने की चेष्टा कर।

श्री उपाध्यक्ष—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—हमारा पहले निवेदन तो सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—आप विराजिये । मैं यह कहना चाहता हूं कि....

श्री रामसुन्दर पांडेय—एक व्यवस्था का सवाल सुन लीजिये, फिर बैठ जाऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं पहले अपनी बात समाप्त कर लूं तब आप अपनी बात कहिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—व्यवस्था की बात तो पहले सुनी जानी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—जब स्पीकर बोलते हैं तो उस समय नहीं । मैं उत्तेजना नहीं चाहता । मैं चाहता हूं कि शान्तिपूर्वक काम हो । जहां तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का ताल्लुक है, वह सरकारी पक्ष और विरोधी दलों के बीच में हैं

एक सदस्य—वाह ।

श्री उपाध्यक्ष—माफ कीजिये । हम लोगों से इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि माननीय मुख्य मंत्री जी क्या चाहते हैं या आप क्या चाहते हैं । मान लीजिये कि थोड़ी देर के लिये उनका मंशा है कि आप लोग इस प्रकार निकाले जायं तो आप उस जाल में फंसते ही क्यों हैं ? अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो निलम्बन नहीं हो सकता । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई वैसी बात नहीं होगी तो चेयर से ऐसी कोई बात नहीं होगी जो पक्षपात की बात हो । बाकी यह है कि आपके और उनके बीच में जो है वह है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष ने उग्रसेन जी को इंगित किया था और मुख्य मंत्री जी ने उनके लिये एक महीने का निलम्बन का प्रस्ताव रखा । माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि एक महीने की सजा (निलम्बन) अधिक है ।

श्री उपाध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—आप सुन तो लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—कहिये, भूमिका न बांधिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—नेता विरोधी दल ने यह कहा कि एक महीने की सजा ज्यादा ह । मुख्य मंत्री जी उस बात का उत्तर देने खड़े भी नहीं हुए और माननीय अध्यक्ष ने कहीं का उल्लेख करते हुये उद्धरण दिया कि पहली मुअत्तली के बाद दूसरी मुअत्तली १५ दिन से कम की नहीं करनी चाहिये । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय अध्यक्ष को जो प्रक्रिया संचालन नियमावली है उसके किसी नियम के अन्दर यह अधिकार माननीय मुख्य मंत्री जी को था ? वह सुझाव देते और गाइड करते । आपसे मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—कृपया एक एक सदस्य बोलें, आप पहले मेरी बात सुनिये । माननीय रामसुन्दर जी ने जो बात कही वह इस वक्त नहीं लागू होती है । उनको उसी समय वह बात कहनी चाहिये थी । माननीय अध्यक्ष के खिलाफ कोई बात मैं न कहना चाहता हूं और न सुनना चाहता हूं । अब वह प्रश्न तो हल हो चुका है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं उस वक्त खड़ा हुआ था और एक बार नहीं, मैंने अनेक बार कहना चाहा । परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस पर खयाल ही नहीं किया और अपनी बात ही वे कहते रहे ।

श्री उपाध्यक्ष—आप विराजिये। आप इसकी व्यवस्था को माननीय अध्यक्ष पर ही छोड़ दें। यह प्वाइंट इस समय नहीं रेज होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री यादवेन्द्रदत्त—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रश्न माननीय रामसुन्दर जी ने उठाया है वह एक बड़ा ही अहम प्रश्न है। आपने कहा कि माननीय अध्यक्ष की बात पर कोई व्यवस्था नहीं दी जा सकती। तो जब यह स्थिति है तो आप हाउस ऐडजर्न कर दीजिये या माननीय अध्यक्ष को बुलाइये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं यह कह रहा हूं कि यह प्वाइंट आफ आर्डर उसी समय होना चाहिये था। अब लंच आवर के बाद इस पर कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री भगवानसहाय—उपाध्यक्ष महोदय, राम सुन्दर जी का प्रश्न बड़े महत्व का है। अध्यक्ष महोदय जब इस सदन में आये .....

श्री उपाध्यक्ष—इस वक्त कोई भी बात उस समय से संबंधित नहीं हो सकती है।

***श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**—उपाध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि मुझसे कोई मतलब नहीं है तो आपको अध्यक्ष महोदय को भेजना चाहिये। आप मेरी बात सुन लीजिये पहले। आपको मुझे भी बोलने देना चाहिये। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरा नियम ६९ को भी देखें। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ६९ की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें इस प्रकार लिखा है कि :—

"जब अध्यक्ष नियम ६७ के प्रथम भाग में उक्त रीति से अतिरिक्त व्याख्या मांग लेने के बाद, शिकायत को उपर्युक्त नियम के पश्चाद्वर्ती भाग के नियमानुकूल ठहराये तो वे उस विषय को जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन के निमित्त विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर सकेंगे या यदि उनकी यह राय हो कि विषय ऐसा है, जो सदन द्वारा निस्तीर्ण किया जा सकता है तो वे शिकायत करने वाले सदस्य से यह प्रस्ताव करने के लिये कह सकेंगे कि विषय पर तत्काल या किसी आगामी तिथि पर विचार किया जाय।"

यह जो विशेषाधिकार का प्रश्न श्री उग्रसेन जी ने उठाया उस पर विचार हुआ .....

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, इस वक्त बीच आफ प्रिविलेज का कोई प्रश्न हाउस के सामने नहीं है और न कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर हो ही सकता है। वह मामला तय हो गया है और कोई उस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कुछ कहना हो तो वह माननीय अध्यक्ष जब हों तब कह लिया जाय।

(व्यवधान)

***श्री काशीनाथ मिश्र**—उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। देखिये यह आदरणीय सदन है और इसके आप उपाध्यक्ष हैं और हम लोग इसके सदस्य हैं। यहां सवाल माननीय मदन मोहन वर्मा का या माननीय होतीलाल अग्रवाल का नहीं है। यह सवाल इस आदरणीय सदन का और व्यवस्था का है। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में यह लिखा है—

". . . . Under the standing order as amended on 30th March, 1926, suspension continues on the first occasion until the fifth day on which the House sits after the day on which the Member was suspended (g); on the second occa-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

sion until the twentieth day, and on any subsequent occasion until the House orders that the suspension of the Member shall terminate or in default of such order, for the remainder of the session."

यानी पहले निलम्बन ५ दिन के लिये होगा, उसके बाद दूसरी मर्तबा २० दिन के लिये होगा और तीसरी बार शेष सेशन की अवधि के लिये। कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि निलम्बन एक महीने के लिये हो। यह बिलकुल बेलगाम होकर, संख्यासुर के बल पर लाया गया है और समझ में नहीं आता कि इस तरह से सदन कैसे चलेगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठिये . . . .

श्री काशीनाथ मिश्र—माननीय मुख्य मंत्री की स्वतः इच्छा से यह सदन नहीं चलेगा। आपकी व्यवस्था काम करेगी, या उनकी स्वतः इच्छा काम करेगी, या हाउस आफ कामन्स की प्रथा काम करेगी? इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। उस समय हाउस के सामने जो काम था वह समाप्त हो गया और उसमें फैसला हो गया। (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—किसी को यह हक हासिल नहीं है कि नियमों के खिलाफ वह कार्यवाही करे. . . .।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इस प्वाइंट आफ आर्डर को रूल आउट करता हूं। यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। अब आगे का कार्य चलेगा।

(व्यवधान)

(राजस्व मंत्री के बुलाये जाने पर)

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—मेरा एक प्रस्ताव था . . . . .

श्री रामसुन्दर पांडेय—मेरा एक संकल्प था, उसे उपाध्यक्ष महोदय, सुन लिया जाय . .

श्री उपाध्यक्ष—अब कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अत्यधिक वर्षा से पुनः बाढ़ स्थिति उत्पन्न होने के कारण सदन को एक सप्ताह के लिए स्थगित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—माननीय बिपिन बिहारी जी, आपका क्या प्रस्ताव है?

(व्यवधान)

*श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—गत सप्ताह से अब तक वर्षा के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में बाढ़ आ गयी है जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जन-जीवन त्रस्त हो उठा है और तत्काल सहायता की आवश्यकता है। सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से सहायता कार्य प्रभावी हो सकता है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का कार्य आज से एक सप्ताह के लिये स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया इस पर एक ब्रीफ एक्सप्लेनेटरी वक्तव्य ही दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री काशीनाथ मिश्र—मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर.....

(व्यवधान)

मैंने आपके सामने हाउस आफ कामन्स की . . . .

श्री उपाध्यक्ष—मैं रूल आउट कर चुका हूं। आप विराजिये। जब कोई चीज सामने नहीं है तो उस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं आ सकता है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—श्रीमन्, बड़े दुख का विषय है कि अभी थोड़े दिन हुये सदन में बाढ़ का प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ था और अब फिर १ सप्ताह के अन्दर ही बाढ़ के प्रकोप के कारण, वर्षा के कारण, जानवरों के चारे का और लोगों के खाने रहने का प्रश्न उपस्थित हो गया है। ऐसी स्थिति में उन्हें तत्काल सहायता पहुंचाने की आवश्यकता है। अगर हम लोग अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर सहायता के कार्य में लगेंगे तो वास्तव में हम उनकी सहायता कर सकेंगे। समाचार-पत्रों से पता लगता है कि कितने हजार मकान और जानवर चारों तरफ बरबाद हो गये हैं और रास्ते बन्द हो गये हैं। आवागमन के मार्ग अवरुद्ध हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसी स्थिति में यहां की कार्यवाही स्थगित करके सभी माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र में पहुंचना चाहिये। अभी माननीय राजस्व मंत्री ने सदन में घोषणा की थी कि हम जिलाधीशों को वहां तमाम सहायता पहुंचाने के लिये आदेश देंगे। लेकिन वे आदेश पर्याप्त नहीं हो सकते। अगर हम सचमुच प्रदेश की जनता को बाढ़ के सम्बन्ध में सहायता पहुंचाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम लोगों का भी उसमें सहयोग होना चाहिये। वहां कपड़ा, दियासलाई और अन्न इत्यादि बांटने का सवाल है। केवल सरकारी मशीनरी के द्वारा जो सहायता होगी वह अपर्याप्त है। इसलिये अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं को भी योगदान देने के लिये प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—आप विराजिये। अभी एक स्पीच हो रही है, इस समय नहीं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सहायता बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सरकार द्वारा दी जाती है उसका कुछ मूल्य नहीं होता। छटांक भर चना बाढ़ पीड़ितों को सरकार के द्वारा बांटा जाता है। यह बहुत ही अपर्याप्त है।

श्री नेकराम शर्मा—व्यवस्था का प्रश्न है। यह मोशन नहीं आ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री नेकराम शर्मा—आपने इस मोशन को मूव करने की अनुमति दी है। पहले तो इसका समर्थन होना चाहिये था। ऐसा विषय हाउस में अभी पेश हो चुका है, इसलिये यह दोबारा इस सदन में नहीं लाया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष—हाउस के ऐडजर्नमेन्ट के लिये है।

श्री नेकराम शर्मा—प्रक्रिया नियमावली के नियम ११३ (२) के अनुसार आप आज्ञा दे सकते हैं। लेकिन ११४ में यह है कि जो विषय सदन में पेश हो चुका है वह नहीं उठाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—ऐसी बात नहीं है। तिवारी जी बोलिये, लेकिन जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—सरकार की बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने की योजना असन्तोषजनक है। इसके लिये हमें बहुत-सी बातें सोचनी होंगी।

श्री उपाध्यक्ष—तिवारी जी, आप केवल ब्रीफ स्टेटमेंट देंगे, जिसमें पोस्पोनमेंट के कारण बतलावेंगे।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—आपने हमको १० मिनट दिये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें यह है कि आप रीजन्स फार पोस्पोनमेंट बतावेंगे, स्पीच नहीं देंगे । अगर कोई साहब अपोज करेंगे तो वह एक ब्रीफ स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद सवाल पुट कर दिया जायगा । आप केवल ब्रीफ स्टेटमेंट दीजिये ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—रीजन्स तो मैं दे ही रहा हूं । आज प्रदेश में गंगा और जमुना में बाढ़ आती है, घाघरा और दूसरी नदियों में बाढ़ आती है, चौका नदी से सारी जमीन कटकर वहां के किसानों की हानि हो रही है । बाढ़ से भयंकर संकट उत्पन्न हो गया है और सारी जनता त्रस्त हो उठी है, उनके जानवर बह चले जा रहे हैं, रहने के लिये मकान नहीं, पहनने के लिये कपड़ा नहीं, खाने के लिये अन्न नहीं और जानवरों के लिये चारा नहीं । अगर हमें उनकी तबाही में उनके प्रति स्नेह प्रकट करना है तो एक योजना बनानी होगी जिसमें सभी माननीय सदस्यों का हाथ होना चाहिये । केवल जिलाधीशों का या जो वहां बाढ़ कंट्रोल अफसर हैं उनका सहायता करना पर्याप्त नहीं होगा ।

प्रदेश में प्रति वर्ष बाढ़ें आने लगी हैं । सरकार ने जो सड़कें बनवाई हैं, बांध बनवाये हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष—विषय पर आ जाइये ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—जब तक पूरी स्थिति नहीं बताऊंगा तब तक कैसे होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जाइये, आपका हो गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक संकल्प के बारे में सदन के प्रारम्भ होने के बाद माननीय अध्यक्ष से कहा था और उन्होंने आदेश दिया था कि जब कार्यवाही शुरू हो तब आप पेश कर दीजियेगा । मैं कई बार खड़ा हुआ लेकिन बद-किस्मती हमारी है कि आपका ध्यान हमारी ओर नहीं गया ।

श्री उपाध्यक्ष—जो चल रहा है वह तय हो जाय, तब आप कहिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मेरे इसी समय कहने से माननीय मुख्य मंत्री को आसानी हो जायेगी । प्रस्तुत प्रस्ताव में और मेरे में यह फर्क है कि. . . .

श्री बलवानसिंह—चूंकि आप कूल-माइन्डेड हैं, आप उनकी बात सुनिये । अगर वह भी इसी तरीके से शांति से सुनते तो हाउस में इस तरह की बात नहीं आती ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय राम सुन्दर जी, आप कहिये, क्या कह रहे हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—हाउस का निश्चय हो चुका है कि २८,२९ और ३० को सदन नहीं बैठेगा, पहली को सदन रहेगा, दूसरी को महात्मा गांधी जयन्ती की छुट्टी रहेगी । फिर १,३,४ और ५ को सदन न बैठकर १५ तक के लिये स्थगित हो जाय ।

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—अभी तो एक प्रस्ताव सदन के सामने है उस समय यह दूसरा प्रस्ताव कैसे आ गया ?

श्री उपाध्यक्ष—रामसुन्दर जी, आपका प्रस्ताव हो गया, अब आप खत्म कीजिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव यह है कि २८ सितम्बर से १४ अक्तूबर तक की छुट्टी कर दी जाय जिससे हम लोग बहिया में लोगों की सहायता कर सकें ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—आप विराज जाइये ।

श्री लखीसिंह—श्रीमन्, पश्चिमी जिलों में बाढ़ आ गयी है, पहले पूर्वी जिलों के लिये यह सदन स्थगित हुआ था।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, इसमें मेरा एक संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें संशोधन का कोई नियम नहीं है। मैं निहायत नम्रता से अर्ज करता हूं कि आप विराज जाइये। मैंने मुख्य मंत्री जी को बुला लिया है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैं भी निहायत अदब के साथ अर्ज करता हूं कि मेरा इस पर पर एक अमेंडमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष—ऐडजर्नमेंन्ट मोशन पर कोई अमेंडमेंट नहीं होता। नियमों में यह लिखा हुआ है कि जो प्रस्ताव करेगा वह ब्रीफ स्टेटमेंट देगा और उसके बाद जवाब में ब्रीफली कुछ कहा जायगा, उसके बाद वोट हो जायगा। इसमें संशोधन का कोई सवाल नहीं है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—संशोधन तो हर प्रस्ताव में किया जा सकता है।

*मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रस्ताव सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं यह समझता हूं कि इस सदन के सदस्यों का भी कुछ उत्तरदायित्व उन कार्यों के सम्बन्ध में है जो हमें इस सदन के सदस्य के नाते करने हैं। यह सही है कि कुछ स्थानों पर फिर बहिया आ गयी है लेकिन बहिया जब आती है तो सरकार की तरफ से मदद की जाती है और हर पार्टी की जो जिले जिले में शाखायें हैं वे भी अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों की मदद करती हैं। यहां कोई भी दल ऐसा नहीं है जिसकी जिले-जिले में शाखायें न हों या जिनके कार्यकर्ता वहां न हों। हमारा कुछ ऐसा दुर्भाग्य है कि बहिया हमारे प्रदेश में हर साल आ जाती है। इसलिये सरकार ने इस फ्लड के सिलसिले में एक योजना बना ली है और जब कभी बहिया आती है वह चालू हो जाती है और सरकार की ओर से विभिन्न सुभीते जनता को प्रदान किये जाते हैं तथा गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से भी प्रदान किये जाते हैं। अतः इस सदन के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि जो गुरुतर कार्य उन्हें यहां करना है, उसकी ओर इस समय वे ध्यान दें और बहिया के प्रति जो कर्त्तव्य है उसे, सरकारी कर्मचारीगण तथा गैरसरकारी व्यक्ति और संस्थायें अपनी-अपनी जगह पर रहते हुये निभायेंगे और जो फ्लड में फंस गये हैं उन सब को वे सहायता प्रदान करेंगे। इस कारण से मैं यह समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है वह प्रस्ताव सदन को नहीं मंजूर करना चाहिये। मैं यहां तो यह भी निवेदन कर दूं कि नियम ११५ (३) के अन्तर्गत आपको स्वतः यह अधिकार है। क्योंकि यह कार्य सम्पादन करने के लिये हाउस का ऐडजर्नमेन्ट नहीं मांगा जा रहा है, परन्तु कार्य को न चलाने के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव पेश किया गया है, ऐसी मेरी धारणा है। क्योंकि कल भी कुछ नेताओं से मेरी बात हुई थी और उनसे मैंने नम्रता से निवेदन किया था कि हमें अधिक से अधिक दिवस....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जब आपने अपना डिस्क्रेशन इस्तेमाल किया, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री आपको एक प्रकार का डाइरेक्शन दे सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठें। वे ऐसा कह सकते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि हमारे सामने एक बड़ा विधेयक आने वाला है, तो उसकी अहमियत को देखते हुये और उसके प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुये आपको सदन में बैठना चाहिये और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

सदन को उसके ऊपर विचार करना चाहिये। इसलिये सदन के उठने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसे सदन को स्वीकार नहीं करना चाहिये। मैं उस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का कार्य आज से एक सप्ताह के लिये स्थगित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७९,

विपक्ष में—१६८।)

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, अब तो हमारा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें....

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठें, मैं रूल आउट कर चुका।

श्री काशीनाथ मिश्र—यह दूसरा है श्रीमन्, जो अव्यवस्था इस सदन में चल रही है उसका कोई औचित्य....

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं, आप बैठ जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, हाउस आफ कामन्स की प्रथा है कि किसी वक्त भी वह उठाया जा सकता है, केवल जिस वक्त अध्यक्ष बोलते होंगे तब नहीं उठ सकता।

श्री उपाध्यक्ष—आप सुन तो लें। मैं आप को पढ़ कर सुना दूं। नियमावली में है कि "a point of order can beraised at the moment"

इसके बाद यह कहना गलत है। इस का मतलब यह है कि जो विषय चल रहा है उसके सम्बन्ध में ही व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—इसी के बारे में तो मेरा प्रश्न है, यह हमारा हक है, यह बिल के सम्बन्ध में है.....

श्री उपाध्यक्ष—बिल के सम्बन्ध में है तो क्या है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—बिल के सम्बन्ध में तो नहीं है, लेकिन इस सम्बन्ध में है कि यह सदन कैसे चलेगा ? इस पर मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप विराजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—मेरी बात तो आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—नहीं, मैंने वह आपका रूल आउट कर दिया है। माननीय राजस्व मंत्री पेश करें।

इस बिल के सम्बन्ध में कोई बात होती तो मैं सुन लेता, बिल के सम्बन्ध में आपने कोई बात नहीं कही इसलिये मैं नहीं सुन सकता।

*श्री काशीनाथ मिश्र—सुन तो लीजिये, मैं समझता हूं कि यह सदन व्यवस्थित ढंग से कार्यवाही नहीं कर रहा है और उस हालत में हमें व्यवस्था का प्रश्न उठाने का हक है, आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। (फिर उठकर) लेकिन अब मैं दूसरा व्यवस्था का प्रश्न ला रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—नहीं, आप बैठ जायं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, यह सदन जब से माननीय उग्रसेन जी व श्री राधेश्याम जी निकाले गये हैं, सारे अवैधानिक कार्य कर रहा है । यहां माननीय मुख्य मंत्री की बात चलेगी या जो नियम हैं और व्यवस्थायें हैं उनके अनुसार यह सदन चलेगा.....

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जाइये....

श्री काशीनाथ मिश्र—जिस अवैधानिक तरीके से माननीय मुख्य मंत्री जी सदन की कार्यवाही चला रहे हैं उस के विरोध में हम सोशलिस्ट पार्टी के सभी सदस्य सदन का त्याग कर रहे हैं और हम कहना चाहते हैं कि माननीय उग्रसेन जी और माननीय राधेश्याम जी को बड़े निरंकुश और अवैधानिक तरीके से बगैर किसी कारण के निकाला गया है और अगर इस तरह की कार्यवाही यहां चलगी तो यह सदन चल नहीं सकता और इस तरह की नौबत हमेशा आया करेगी । अगर इसी तरह से माननीय सदस्य इंगित होते रहे और एक एक दो दो मास के लिये निकाले जाते रहे और माननीय मुख्य मंत्री पर लगाम नहीं लगी तो फिर किस नियम और मर्यादा के अन्दर इस सदन की कार्यवाही चल सकती है ? इस स्वेच्छाचारिता और नियंत्रण के वातावरण में सदन की कार्यवाही नहीं चल सकेगी । इस के प्रोटेस्ट में हम आधा घंटा के लिये अपनी पार्टी के साथ सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(इसके उपरान्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, एक गड़बड़ हो गई और एक बात रह गई....

श्री उपाध्यक्ष—आप विराजिये ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, वह नियम ५२ वगैरह के प्रश्न आज क्या हुये ?

श्री उपाध्यक्ष—वह सब हो गये ।

†उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋण विधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२

*समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋण विधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय ।

यह विधेयक तो बिलकुल कैपिटलिस्ट्स और महाजनों के खिलाफ है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—वह किसके खिलाफ है जो जमीन ऐक्वायर किया है श्री अरोरा की और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है आपके खिलाफ है । वह किसके खिलाफ है?

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठिये ।

श्री महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह व्यवस्था थी कि जमींदारों और काश्तकारों के खिलाफ बहुत सा कर्जा हो गया था इसलिये उसको कम करने के लिये १९३४ में एक ऐक्ट पास किया गया जो इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट है जिसके द्वारा इस बात की कोशिश की गई कि जमींदारों पर जो कर्जा बढ़ गया है महाजनों का उनको थोड़ी सहायता दी जाय । इसके बाद जब जमींदारी खत्म की गई थी सोचा गया इन लोगों को जब उनकी जमींदारी ले ली गई और जो उन्हें मालियत मिलती बाजार में उतनी नहीं मिली तो कुछ सहायता और मिलनी चाहिये । तो कर्जे को कम करने

---

†२१ सितम्बर १९६२ की कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव]

के लिये डेट रिडक्शन ऐक्ट पास किया गया। यह दोनों ऐक्ट इसी सदन ने पास किये हैं और इनके जो सिद्धांत हैं वह आप लोग मंजूर कर चुके हैं।

अब इसके बाद जब नागर क्षेत्र की जमींदारी ली तो उनको कुछ मुआवजा दिया, एन्युटी दी, रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट की जगह पर और उनसे जब जमींदारी ली है तो यह सोचा गया उन जमींदारों को भी जो कि नागर क्षेत्र के जमींदार थे, उनको भी वे सुविधायें जो उन दोनों ऐक्टों के द्वारा दे रखी हैं वे पहुंचायी जायं। इसलिये इस बात की आवश्यकता हुई कि इन दोनों अधिनियमों में कुछ कुछ संशोधन कर दिये जायं। मसलन जहां पर लिखा हुआ है स्टेट वहां पर अब हमने ऐग्रीकल्चरल एरिया (कृषि क्षेत्र,) कर दिया है क्योंकि नागर क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में शब्द कृषि भूमि है। या यह कि रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट की जगह पर हमने एन्युटी दी है तो उसको एन्युटी लिख दिया जाय। तो आप देखेंगे इसकी दो अनुसूची हैं। पहले में वह संशोधन है जो हमें इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट में करना चाहते हैं। और दूसरी अनुसूची में वह संशोधन है जो डेट रिडक्शन ऐक्ट में करना चाहते हैं। इन दोनों संशोधनों का केवल प्रभाव यह होता है कि जो ऐसे जमींदार हैं जिनकी जमींदारी नगर में थी और जो अब ली जाय तो उनको कुछ थोड़ी सी सुविधायें मिल जायं अपने कर्जे को अदा करने में। तो सिद्धांत सदन पहले से स्वीकार कर चुका है और केवल यह बात हमको लागू करनी है उस क्षेत्र में जो नया क्षेत्र है। इसलिये इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाय, इस पर गम्भीर विचार करने की भी बात नहीं है। मैं आशा करता हूं यह सदन इस पर विचार करके इसको स्वीकार कर लेगा।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने जो रिहबिलिटेशन ग्रान्ट की जगह पर एन्युटी रखा है इसके अधीन क्या उसूल है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट उन लोगों को जो नागर क्षेत्र के जमींदार है नहीं दी गई, उनको ऐन्युटी दी गई है। तो जहां पर ऐक्ट में रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट लिखा है अगर उसको वहां लागू करेंगे तो उसके कोई माने नहीं होंगे क्योंकि रिहैबिलिटेशन ग्रांट वहां नहीं है, वहां ऐन्युटी है। इसलिये ऐन्युटी रख दिया गया है।

श्री भगवानसहाय—रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट जो थी उसकी जगह जो ऐन्युटी दे रहे हैं तो आपने जो नाम का परिवर्तन किया इस पर क्या उसूल है जो नाम बदल कर एन्युटी रखा ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह तो प्रश्न इस वक्त पैदा नहीं होता। एन्युटी का शब्द रखा गया जब, जब अर्बन जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट पास हुआ था। उस वक्त एन्युटी क्यों रखा उस पर विचार करने का यह वक्त नहीं है। हां, उसमें कुछ स्लेब सिस्टम होने से सहूलियत की वजह से उसे रखा गया था।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—यह बात साफ नहीं हुई। आज यह शब्द चेंज किया जा रहा था। तब की स्थिति में और आज की स्थिति में अन्तर है। इस शब्द को क्यों चेंज किया जा रहा है इस बारे में मंशा बिलकुल स्पष्ट होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—आप अपने भाषण में यह सब कहियेगा। इस समय उसका मौका नहीं है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—माननीय मंत्री जी ने भाषण करते हुये तमाम कागजात का जिक्र किया। पुराने इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट का जिक्र किया। हमने तो स्वीकृति दी नहीं थी, पता नहीं किसने दी थी। लिहाजा जो सम्बन्धी पत्रक हैं वे उनको वितरित करना चाहिये वरन

इस पर विचार करना संभव नहीं हो सकेगा क्योंकि इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जो एन्युटी है उसके मानी हैं बराबर मिलेगा बहुत दिनों तक ।

श्री उपाध्यक्ष—राजस्व मंत्री अगर कोई पत्रक दाखिल करना चाहते हों तो दाखिल कर दें।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—नियम यह है कि कोई विधेयक किसी पत्र के आधार पर बने तो वह पत्र मांगा जा सकता है। उसकी कापी हम दे देंगे लेकिन इसमें तो इतनी बात है कि रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट का शब्द जहां आया है वहां पर शब्द "एन्युटी" रख दें। अगर आप सेक्शन १४ को देखेंगे तो पायेंगे कि जहां रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट रखा हुआ है तो इस ऐक्ट को लागू करने के लिये आप वहां "एन्युटी" शब्द कर लेंगे। अब मैं कौन सी पत्रावली दे दूं यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री कल्पनार्थसिंह—आपके आदेशोंपर जो स्पष्टीकरण दिया है वह साफ नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—आपको भाषण करने के वक्त मौका मिलेगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—माननीय मंत्री जी ने कहा कि "एन्युटी" उसके स्थान पर कर लिया जाय, तो मैं यह कह रहा हूं कि "एन्युटी" शब्द उस ऐक्ट में इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। अब पत्रक नहीं मिलेगा तो विचार कैसे होगा? हमारा अधिकार है कि पुराने पत्रक हमें मिलने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—यह सब आप अपने भाषण में कह लीजियेगा।

श्री मैनेजरसिंह—मान्यवर, आपने माननीय मंत्री जी से कहा कि कोई पत्रक हो तो पेश कर दें। अतः जिस विवरण से सम्बन्धित यह संशोधन विधेयक है उसे वह प्रस्तुत कर दें। माननीय सदस्यों को मांगने का हक है। प्रक्रिया नियमावली के नियम १३१ का आप अवलोकन करें और उसके मुताबिक आप हमको पत्रक दिलायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—कौंसिल से यह पास हुआ है। सेक्शन इसमें दिया हुआ ही है। बाकी सारी बात जो थी वह आपने पूछ ही ली है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—पत्रक इसलिये मांगे जा रहे हैं कि लाखों रुपये एक से छुड़वा कर दूसरे को दिलवाये जा रहे हैं। लिहाजा मसले की अहमियत को देखते हुये पुराने पत्रक हमको मिलने चाहिये। वह कागजात दे नहीं रहे हैं इसलिये बार-बार कहना पड़ रहा है।

***श्री हरिनाथ तिवारी** (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

> "उत्तर प्रदेश नगर क्षेत्र ऋण विधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जिसे इस विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन एक महीने के अन्दर सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे।"

माननीय मन्त्री जी ने बहुत थोड़े से शब्दों में इसके उद्देश्य रखे हैं। उन्हीं उद्देश्यों में यह भी कह दिया कि जमींदारों और काश्तकारों के फायदे के लिये यह बिल लाये हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि काश्तकारों के पास कौन सी ऐसी भूमि है कि जिसके द्वारा ऋण उस जमीन से वसूल हो सकता है। यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट में तो बहुत सा कर्जा प्रोनोटों पर हुआ करता था, सिम्पिल मनी डिक्री जिसे कहते थे या ऐसे भी थे जिनमें किसी भूमि पर चार्ज नहीं था। वे सब तो माफ़ हो गये। काश्तकारों की बात इसमें कहीं नहीं है और न काश्तकारों का कर्जा इस विधेयक में आता है और न उनके कर्जों में किसी प्रकार की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिनाथ तिवारी]

कमी हो सकती है। जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा है, इस विधेयक को लाने का उद्देश्य केवल इतना ही रखा है कि प्रतिकर मूल्य कम दिया जा रहा है इसलिये ऋण कम कर दिये जांय। यह नहीं कहेंगे कि प्रतिकर बढ़ा दिया जाय। यानी जिन लोगों ने ऋण दिया था उनका गला काटो। और अभी हमारे सन्त्री महोदय ने कहा कि पूंजीपतियों और महाजनों के खिलाफ भी ला रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिये, राज्य में पूंजीपति और काश्तकार सभी बराबर हैं। इस तरफ़ के ज्यादातर लोग आप को पूंजीपतियों का साथी कहते हैं और उन्हीं की थैलियों पर आप यहां आये हैं वरना शायद यहां न होते। इसमें यह भी कहा गया है कि इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट में जिनकी जमीनों पर कर्जा था उन पर यह लागू होगा। परन्तु उनको मैं बतला देना चाहता हूं कि उस समय इसका सर्वेक्षण हुआ था कि सारे उत्तर प्रदेश में कितना कर्जा किसके ऊपर है और एक एस्टीमेट लगाया गया था। क्या आप ने भी कोई एस्टीमेट लगाया है या जब आप अरबन एरियाज जमींदारी एबालिशन ऐक्ट ला रहे थे उस समय भी आपने कोई सर्वेक्षण किया था कि अरबन इनडेटेडनेस कितनी है? आपके पास किसी प्रकार की संख्या नहीं होगी जिससे यह पता चल सके कि इतनी इनडेटेडनेस है। आप किस आधार पर इस संशोधन को लाना चाहते हैं, इसका कुछ पता नहीं है। क्या आप के पास इसका कोई आधा र है? इसके लिये आप ने कुछ नहीं कहा है कि कितने इनडेटेड हैं। इसलिये हमारा कहना यह है कि जो अधिनियम लाया जा रहा है, यह निर्मूल और निराधार है। इसके बाद अरबन एरिया डेट लाज ऐक्ट बनाया गया। इसमें कहा गया कि यह अरबन एरिया के लोगों के लिये ला बनाया जा रहा है। यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ में बनाया गया था। इसके बाद आप ने उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम बनाया और अब आप दूसरा ऐक्ट लागू करते हैं तो क्या हम यह समझें कि उस ओर के रहने वालों का मेंटल और इंटलेक्चुअल दोनों की बैंकरप्टसी हो गई है कि वे दूसरा ऐक्ट इसके अनुरूप जो इससे संबंधित हो नहीं ला सकते थे? इस लैंड लाज ऐक्ट की तरह से आपने ५ ऐक्ट जरूर बना दिये। इसी तरह से इसको तीन ऐक्ट्स के लिये बनाया जा रहा है यानी चूं चूं का मुरब्बा कर दिया है। अब आप देखिये कि यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ का है और आज १९६२ है। आज की और उस जमाने की परिस्थिति में क्या अन्तर है? अब इस ऐक्ट को आप केवल अरबन एरिया के लिये बनाने जा रहे हैं और यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट सारे प्रदेश के लिये बना हुआ है। तो क्या आप आजकल की परिस्थिति के अनुकूल ऐक्ट नहीं बना सकते थे?

श्रीमन्, इसको ध्यान से देखने की बात है कि यह यू० पी० के पूरे हिस्से में लागू है और यह आपका नया अधिनियम जो आप बनाने जा रहे हैं यह थोड़े से हिस्से में लागू करने जा रहे हैं। दूसरे इसको आप ने दुरुस्त भी नहीं किया है। इस ऐक्ट में आपने केवल दो सूची ऐड कर दी हैं और ऐक्ट बनाना चाहते हैं और आप ने ६ धारायें दी हैं। एक में आप यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के रिपील के लिये कहते हैं, दूसरा रिमूवल आफ डाउट का है तीसरा एडेप्टेशन का है और चौथा रिमूवल आफ़ डिफीकल्टीज का है, वगैरह-वगैरह। अब अरबन एरिया में कर्जे को दूर करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट जो ३४ का है उसको अब लागू करना चाहते हैं। अब यह सोचने की बात है कि इसमें क्या-क्या है? इसका सेक्शन १४ क्लाज ४ (सी) है, यह एग्रीकल्चरल रिलीफ ऐक्ट से लागू नहीं होगा। इसको रिमूव कर देना चाहिये था, क्योंकि यह रिपील हो गया है और इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट पर आप ने ध्यान नहीं दिया है। जो भी ऐक्ट ला रहे हैं वे आप की तरफ़ से नहीं आ रहे हैं बल्कि किसी और की प्रेरणा से आ रहे हैं। अब सेक्शन १४ (४) (सी) देखिये।

"...the provisions of the United Provinces Agriculturists' Relief Act, 1934, shall not be applicable to proceedings under this Act."

(व्यवधान)

अब यह प्राविजन कहां रह गये हैं ? आप ने पूरा ऐक्ट रख दिया है। क्या होगा, क्या नहीं होगा यह तो बाद में देखेंगे लेकिन जिस वक्त आप ऐक्ट को ले रहे थे, उस वक्त आप ने जरा सा भी ध्यान नहीं रखा, एक बार इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट ले रहे हैं, दूसरी बार अरबन एरियाज ऐक्ट और तीसरी बार रिडम्शन ऐक्ट को लेकर एक चूं चूं का मुरब्बा तैयार कर के रख दिया। यह उसी तरह से है जैसे धोती फट जाय और पेबंद लगाते चले जायं। फिर बाजार में पहनकर निकलिए तो कैसा लगेगा ? जोड़-जोड़ कर रख दिया। जोड़ने के बाद यह भी नहीं देखेंगे कि तुक बैठता है या नहीं। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ने एन्युटी डिफाइन किया है ? आप को डिफाइन करना चाहिए था।

अब आप सूची पर आइये। पहली सूची हम ले लेते हैं। अनुसूची १ धारा १ में लिखा है कि खंड (एन) और (ओ) में पार्श्व में आये हुये शब्द, अक्षर और अंक "U.P. Act of 1951" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा अंक "U.P. Act No. IX of 1957." रख दिये जायं। अब आप देखें कि (एन) और (ओ) में ऐक्ट, ५१ कहीं है भी ? हमारे पास जो संस्करण है उसमें तो कहीं है नहीं। इसमें है ही नहीं तो आप ऐड कहां कर रहे हैं, किस चीज को निकाल रहे हैं? इसी तरह से और भी गलतियां हैं। अनुसूची २ में क्रम-संख्या १ को आप देखें। यहां पर लिख दिया है कि जहां भी शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१" आये हों, उन के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९५७" रख दिये जायं। इसमें भी हमने देख लिया है, ऐक्ट में कहीं भी नहीं है, जो ओरजिनल ऐक्ट है। आप देख लें कि "उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१" कहीं आया है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जहां पर यू० पी० जमींदारी अबालिशन ऐक्ट लिखा है वहां पर रख देते हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी—वह तो आप फिर देखें, जो शब्द वहां लिखे हैं वह हैं यू० पी० जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट, १९५० और आप लिख रहे हैं ऐक्ट वन आफ १९५१।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—वह ऐक्ट वन आफ १९५१ ही है।

श्री हरिनाथ तिवारी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह हम जानते हैं। लेकिन वह शब्द जो रखे जायेंगे, जो शब्द आप वहां से हटाना चाहते हैं, वही तो रखे जायंगे, उन्हीं शब्दों को तो आप लिखेंगे कि ये शब्द वहां से हटा दिये जायं ? यह तो नहीं हो सकता कि उनकी जगह दूसरा कुछ लिख दें मनमानी। यही हम कह रहे थे कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। माननीय माल मन्त्री जी ने कहा था कि हम लोग पढ़ते नहीं। मैं कहता हूं कि आप लोग देखते तक नहीं हैं। जो कुछ वहां से चला आता है उसको देखते भी नहीं हैं और उस को वैसे ही रख देते हैं। यह तरीका नहीं है। जो भी विधेयक आये वह अच्छी तरह से देखभाल कर आना चाहिए। लोगों की राय लेकर अच्छी तरह बहस मुबाहिसे के बाद तब विधेयक आना चाहिए। इस तरह नहीं जिस तरह कि आजकल ऐसे-ऐसे विधेयक इस सदन से पास कर दिये जाते हैं जिनसे हमको बाहर क्रिटिसिज्म का पात्र बनना पड़ता है। इसी प्रकार इसमें सब गलतियां शुरू से आखिर तक भरी पड़ी हैं। यह कह देना कोई माने नहीं रखता कि ऐक्ट वन आफ १९५१ वही मतलब रखता है जो जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट है। यहां तो आप वर्डस् को हटा रहे हैं। तो वही वर्डस् आप को लिखने चाहिए वरना इसका नतीजा यह होगा कि वह तो अपनी जगह रहेगा ही, और उसके साथ एक दूसरा यह और आ जायगा। तो दोनों साथ-साथ चलायेंगे आप ?

इसके अतिरिक्त जो इसके सेक्शन्स ४ और ५ हैं, इनको देखने से ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट में या डेट रिडक्शन ऐक्ट में की है और अपनी उस पुरानी गलती को आप इसमें ला रहे हैं। अभी तो ऐक्ट लागू भी नहीं हुआ तो लागू

[श्री हरिनाथ तिवारी]

होने के पहले किस तरह रिमूवल आफ डिफिकल्टीज का, एडाप्टेशन का और डाउट्स का रख दिया ? इससे हम यह समझ रहे हैं कि आप की नीयत साफ नहीं है बल्कि उन तीनों ऐक्ट्स में कोई गलती रह गई है, जिसको दूर करने के लिए आप यह डिफिकल्टीज का और डाउट्स का और एडाप्टेशन का ला रहे हैं। हमेशा रिमूवल आफ डिफिकल्टीज, वगैरह ऐक्ट आने के बाद आया करता है। अधिनियम में पहले से ही यह नहीं हुआ करता। इस प्रकार माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर जगह इसमें गलतियां हैं। उनको दूर करने के लिए इसके ऊपर डिस्कशन हो जाय, अगर कहीं संशोधन की आवश्यकता हो तो वह अभी कर लें, नहीं तो कल को फिर आप संशोधन विधेयक लायेंगे और पब्लिक मनी और टाइम वेस्ट होगा। इसलिये इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

*श्री भगवानसहाय—उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक को देखने और इसके ऊपर गौर करने से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सरकार हर कीमत पर पूंजीपतियों को मदद करना चाहती है। इस बिल के निफाज होने से जो असर पड़ेगा उसकी तरफ हम देखते हैं तो हमें बड़ी निराशा होती है। सरकार कहती है कि हम कैपिटलिज्म को खत्म करना चाहते हैं, समाजवादी व्यवस्था को लाना चाहते हैं। लेकिन इसमें भी जहां सामन्तशाही और पूंजीपति का मुकाबिला है उसमें भी सरकार यह उजड़े हुए जो पुराने सामन्त हैं जिनके लिये थोड़े बहुत टुकड़े उसने कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट के रूप में दिये हैं, उसमें भी वह कैपिटलिस्टों की मदद कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी निराशा होती है जब हम यह देखते हैं कि उस उजड़े हुये जमीदार को जो मुआविजा मिला वह मारकट वेल्यू के हिसाब से नहीं मिला। वह बात हालांकि जुदा है लेकिन जहां कहीं आपने कैपिटलिस्ट को मुआविजा दिया तो आप ने मारकेट वैल्यू पर ही नहीं दिया बल्कि जो शेयर की वैल्यू थी उसके हिसाब से दिया। आज थोड़े बहुत टुकड़े जूठन आप दे रहे हैं उसको उसके गुजारे के लिये। इसलिये कि वह जिन्दा रह सके कुछ और कर के किसी तरह से जिन्दा रह कर गुजारा कर सके। उसमें आपने मुआविज को अटैच कर दिया और मुआविजे को अटैच कर के जो रिलीफ दे रहे हैं उसके अनुपात से जो आपने अटैचमेंट किया है वह बहुत ज्यादा है। मैं समझ सकता था कि अगर आप कम्पन्सेशन बांड को अटैच कर लेते और उससे आप कज की अदायगी कर देते तो मैं समझता हूं वह एक उसूल की बात थी लेकिन रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट जिसको माननीय मन्त्री जी अब एन्विटी नाम से लिख रहे हैं उसको छोड़ना चाहिये था। इस रिहैबिलिटेशन और कम्पेन्सेशन की जगलरी में आप क्यों डालना चाहते हैं ? आखिर यह क्यों ? पहले रिहैबिलिटेशन और फिर एन्विटी और फिर कम्पेन्सेशन। जब आपने देहाती क्षेत्र में जमींदारी का खात्मा किया तो उसमें भी कम्पेंसेशन दिया और उसमें रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट दी। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जो आप ने यह एन्विटी का नाम रखा है यह रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट का नाम है और आप ने जो यह सालाना गुजारा के लिये दिया है शायद इसी उद्देश्य से दिया है कि वह उजड़ा हुआ जमीदार, जिसको आप ने मुआविजे के रूप में थोड़ी बहुत जूठन दी दी, छोटे-मोटे टुकड़े दिये, वह किसी न किसी तरह से अपना गुजारा कर सके। आपने उसके बांड को अटैच किया होता तो शायद वह सही बात होती लेकिन आप ने जो सालाना उसको दिया है वह भी उससे ले लिया है। यह एन्विटी क्या है ? यह उस रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट की औलाद है। उसका पहले नाम रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट था जिसको वह एन्विटी कर दिया।

रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट क्या है ? इसके माने हैं कि जिस आदमी को रिहैबिलिटेट करना चाहते हैं उसको ओरिजिनल कंडीशन पर लाइये या उसकी जो लायबिलिटी है उससे उसको हटा दीजिये। जब आप ने उसकी एन्विटी को कुर्क कर लिया और उस पूंजीपति की बढ़ी हुई मालियत में और इजा फा करने के लिये उजड़े हुये जमीदार की एन्विटी को कुर्क कर लिया तो यह कौन सी उसूल की बात ह ? एक तरफ तो आप देते हैं मुआवजा कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपनी उजड़ी हालत को ठीक कर सके, अपनी लायबिलिटी को पूरा कर सके लकिन दूसरी तरफ जब रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट या एन्विटी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को कुर्क कर लिया तो यह क्या किया ? न तो वह अपने पांव पर खड़ा हो सकता है और न अपनी उजड़ी हुई हालत को बना सकता है। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने इसके अन्दर कौन सा उसूल रखा कि जिसमें उन्होंने अपनी एन्विटी को कुर्क किया है। इसमें सिर्फ एक उसूल समझ में आता है और वह यह है कि किसी हालत में पूंजीपति को फायदा हो जाय और उसकी बढ़ी हुई हालत में और इजाफा करें। मुझे बड़ा दुख होता है जब कभी मैं यह देखता हूं कि सरकार का सारा सोशलिज्म जमींदारों के ऊपर है। पहले सरकार ने जमींदारी का खात्मा किया। उसके बाद सरकार ने सीलिंग किया और उसके ऊपर जो इन्कम टैक्स लगाया उसकी दर भी उससे ज्यादा है जो एक आदमी सूद से पैदा करता है। जो आदमी सूद से पैदा करता है वह ३,५०० के ऊपर इन्कम टैक्स देता है और जो जमीन पर टैक्स लगाया है वह १,५०० के ऊपर टैक्स लगाया है। यह आप के समाजवाद की नीति है कि सूद से पैदा करनेवाला आदमी जो ३,५०० के ऊपर टैक्स दे और मेहनत से पैदा करने वाला और मशक्कत से पैदा करने वाला जो कुदरत की तमाम अदली बदली का मुकाबला करके किसी तरह स गुजारा करता है, वह १,५०० के ऊपर टैक्स दे। तो जब माननीय मन्त्री जी इस बिल को लाये तो मुझे बड़ी निराशा हुई। मैं समझता था कि इसम वाकई में कोई न कोई रिलीफ उन उजड़े हुए जमींदारों को देंगे, लेकिन इसे दख कर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आपने इसमें असली रिलीफ उस कैपिटलिस्ट को दी है जिसका कर्जा जमींदार पर है। इसलिये मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि इस बिल पर सरकार पुनः विचार करे और कम से कम एन्युटी को कुर्क होने से बचा दे।

*श्री कल्पनाथ सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, कब्ल इसके कि में बोलना शुरू करूं मैं आप से दरख्वास्त करता हूं कि आप मुझे बठ कर बोलने की इजाज़त दें।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, बोलिये।

श्री कल्पनाथसिंह—यह बिल जो सदन में आया है जिस पर हमारे हरिनाथ जी ने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया, मैं उसके समर्थन में बोलने की बात सोचता हूं। बात कुछ ऐसी हो गयी है कि जिसके चलते उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत सोचन पड़ते हैं कि आखिर यह बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है वह क्यों ? इसके पीछे सिद्धांत क्या है। कौन सी ऐसी बात निहित है कि जिस की वजह से मंत्री जी को यह बिल इस हाउस में लाना पड़ा। माननीय मन्त्री जी, हरिनाथजी और भगवान सहाय जी को सुनाने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इसमें एक ऐसा सिद्धान्त निहित है कि जिससे मोटेतौर पर यह कहा जा सकता है कि मन्त्री जी की ओर से, जैसा कि उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है, वह चाहते हैं कि उन जमींदारों की जिनकी जमींदारी ले ली गयी है और जिनके ऊपर क़र्ज है, पूंजीपतियों, और सरमायादारों से उनको मुक्ति दिलावें। बात बड़ी सुन्दर है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जो मन्त्री उनकी ऋण से मुक्त करने की बात सोचते हैं वह मंत्री यह बात क्यों नहीं सोचते कि शहरों में जहां लाखों लाखों लोग बेघरबार पड़े हुए हैं, जो किराया न अदा करने की वजह से या कम किराया अदायगी की वजह से बेदखल किये जाते हैं और फुटपाथ पर सोते हैं उनके लिये भी उनको कुछ करना है। उन जमींदारों के जो लाखों, लाखों के मकान शहरों में खड़े हैं उनको कब्जे में लेने की मन्त्री जी क्यों नहीं सोचते। इसी पर एक बात याद आती है कि "आता है याद मुझ को गुजरा हुआ जमाना।" फिर वह जमाना याद पड़ जाता है कि जब रूरल जमींदारी खत्म करने की बात आयी। जब इस पक्ष से और खास कर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कहा गया कि जमींदारी को मुआवजा बंद करिये, रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट उन छोटे जमींदारों को दीजिये, जिनको उसकी आवश्कता है, तो सुना नहीं गया और आज भी वही बात अरबन एरिया के बारे में पैदा होती है। इस विधेयक पर बोलते समय मंत्री जी ने यह नहीं बतलाया कि वह किन जमींदारों को या कितने रुपये की मालियत पर क्या-क्या संशोधन करने जा रहे हैं या क्या क्या छूट देने जा रहे हैं। उसमें कितने छोटे जमींदार हैं और कितने बड़े ? कितना रुपया इस से प्रभावित हो सकता है, उनकी क्या आवश्यकता है, किस तरह के कर्जे हैं, यह सारी चीजें इस बिल में साफ़ होनी चाहिये थीं और मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर जब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथसिंह]

तक यह बातें साफ नहीं होतीं तब तक अपनी बात सफाई से नहीं कही जा सकती। माननीय मंत्री जी समाज कल्याण के मंत्री हैं। अगर राजस्व मंत्री जी यह बिल पेश किये होते तो मैं सोचता कि वे इससे सम्बन्धित नहीं हैं, लेकिन जिस मंत्री का समाज कल्याण से भी संबंध है और वही मंत्री जी अगर अब पेश कर देते हैं इस सदन के सामने तो यह सोचना पड़ेगा कि आखिर इस बिल को अगर प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो इसमें जितनी बातें आनी चाहिए थीं वह सब आ सकती हैं। मैं नहीं समझ सकता हूं कि इसे प्रवर समिति में न भेजने में क्या स्वार्थ निहित है। आप देखें कि जब इस प्रदेश की जमींदारी ली गयी थी तो यह उसी समय सोचना चाहिये था कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जनता के ऊपर, इस समाज के ऊपर। इसमें यह कहा जाता है कि जो मुआवजा दिया गया है वह बहुत ही कम है दिया गया है। परन्तु प्रश्न यह है कि उनसे लिया ही क्या गया जिसके एवज में कम दिया गया। उनकी जमीन ले ली गई। जमींदारी कागज के ऊपर थी और जमीन मौके पर है। उसमें आप देखें कि खबट हट जायगा और खतौनी तथा खसरा रह जायगा। फर्क क्या पड़ता है यह देखना चाहिए। मंत्री जी से कुछ पूछो तो वे कह देते हैं कि जमींदारी ली गई है। परन्तु उससे क्या फायदा हुआ है। न दूसरे लोगों को मकान बनाने के लिये जमीन ही मिल सकी। और न कोआपरेटिव्ज के लिये ही जमीन मिली जिनके माध्यम से कुछ मकान बनाये जा सकते। उन पर धीरे-धीरे कर के लोग अपना कब्जा कर लेते। तो अगर ऐसी व्यवस्था आई होती तो इस बिल के माध्यम से मैं यह समझ सकता था कि हां इस बिल की उपयोगिता है। परन्तु आप देखें कि कोई भी सिद्धान्त इस बिल में निहित नहीं मालूम पड़ता है।

श्रीमन्, आप देखें कि अरबन एरियाज के ऊपर मंत्री जी टैक्स लगाये जा रहे हैं, केवल इस बात को छुपाने के लिये यहां यह बिल पेश किया गया है। वे इसके द्वारा यह कहना चाहते हैं कि देखो अरबन एरिया वालों हम तुम्हारे लिये मगरमच्छ के आंसू बहाये चले जा रहे हैं। यह बात इसलिये कह रहा हूं कि यह सारी बातें जो इस सदन में कही गईं कि यह शब्दावली चेंज कर दो, वह चेंज कर दो। परन्तु उन सब से क्या होता है। जब रिहैबिलिटेशन और एन्यूटी के बारे में पूछा गया कि वह बता दीजिये परन्तु मैं तो पहले ही समझ गया था कि मन्त्री जी उस को बताने में हिचकिचाते हैं। मंत्री जी ने कहा कि उसको बताने में लोग नाराज हो जायेंगे। यह कोई अच्छी बात नहीं है।

श्रीमन्, एक बात और कहूंगा कि मंत्री जी ने कहा कि मैंने इसको पढ़ा नहीं है। मैं मानता हूं और बिलकुल खुल्मखुल्ला कहता हूं कि हां मैंने इसको पढ़ा नहीं है। लेकिन यह भी कहने के लिये मजबूर हूं कि शायद आपने भी इस बिल को नहीं पढ़ा है। यदि आपने पढ़ा होता तो जब माननीय तिवारी जी ने प्रस्ताव पेश किया था तो आप कभी न पन्ना खोजते और यह कहते कि यह दफा दिखाओ और वह धारा दिखाओ। आखिर मामला क्या है। मैं यह समझता हूं कि मुझको नाराजगी नहीं होगी उनकी बात में और शायद उनको भी न होनी चाहिए। लेकिन यह वास्तविकता है। माननीय मंत्री जी इसे दिल से कबूल कर लें तो जो इस बिल में खामी महसूस होती है वह दूर की जा सकती है। वह खामी प्रवर समिति में जाने पर ही दूर हो सकती है।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी इस बिल को सदन में ले आये। इस बिल को लाने से पूर्व उनको यह सोचना चाहिये था कि अगर यह बिल वेल ड्राफ्टेड नहीं होगा, और उससे रेलीवेन्ट सारे कागजात अगर माननीय सदस्यों को नहीं दिये जायेंगे तो उससे यह बात झलकेगी कि इस बिल को जल्दी जल्दी पास कराना चाहते हैं। यह हो सकता है कि आप इसको जल्दी पास कराने की बात सोचते हों, लेकिन इस जल्दी में कहीं ऐसा नुकसान न हो जाय जिससे समाज पर बुरा असर पड़े। अर्बन एरिया के छोटे जमींदारों पर जो कर्जे से लदे हुये हैं, वे किस तरह के हैं, आपको यह भी देखना होगा। वह कर्जे मकानों के ऊपर लिये गये हैं, या जमीन के ऊपर लिये गये हैं, या दस्तावेज के ऊपर लिये गये हैं, या कोई रहन आदि पर लिये गये हैं, इसकी भी सफाई होनी चाहिये थी। यह बात भी स्पष्ट होनी चाहिये थी अगर उस अर्बन एरिया का आदमी फिर से कर्जा चाहे तो उसके ऊपर कोई

कोई मुसीबत न आये। उसकी कोई लिमिट भी मुकर्रर होनी चाहिये थी। मैं नहीं कहता कि उनको छूट दी जाय, लेकिन मंत्री जी की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि छोटे जमींदारों के लिये, उनकी जरूरत के वक्त, कौन सा रास्ता अख्तियार किया जायेगा। ठीक वही दशा किरायेदारों की भी होगी। जब जमींदार या मकान मालिक यह सोचेंगे कि उनके ऊपर इस तरह का बोझ पड़ने वाला है तो वे किरायेदारों से कुछ किराया भी ज्यादा बढ़ा कर वसूल करेंगे।

श्रीमन्, जब रूरल एरिया की जमींदारी खत्म की गयी, तब यह कहा गया था कि उन जमींदारों को रिहैबिलीटेशन ग्रान्ट मत दीजिये जिनकी लाख-लाख रुपये आमदनी है, जिनकी बहुत ज्यादा आमदनी है। वह नहीं हुआ। हुआ क्या? जो जितने छोटे जमींदारी थे उनको उतना ही कम रुपया मिला और जो जितने बड़े आदमी थे उनको उतना ही ज्यादा रुपया मिला। माननीय मंत्री जी उस बारे में कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं, यह साफ हो जाना चाहिये। आंकड़ों के जाल में मैं नहीं पड़ना चाहता लेकिन यह बात जरूर करना चाहता हूं कि आखिर जो स्थिति रूरल एरिया में जमींदारी के खत्म होने के वक्त हुई थी, इनकमबर्ड कानून को लाने के बक्त हुई थी, वही यहां भी होने वाली है। यह मैं मानता हूं कि उससे जमींदारों का कुछ ऋण कम हो गया था लेकिन देहात की साख बिलकुल समाप्त हो गयी और लोगों में उनके प्रति अविश्वास पदा हो गया। नतीजा यह हुआ कि देहात के आदमी को कोई ऋण देने को तैयार नहीं है बावजूद इसके कि लोगों को शादी, मरने, बीमारी, दवाई आदि तरह-तरह के कामों के लिये उसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। उसी प्रकार से अरबन एरिया में भी लोगों की हालत हो जायगी। जिस प्रकार से आपके बच्चों के ऊपर जो मसूरी आदि स्थानों में ३००–३०० रुपया माहवार प्राइमरी कक्षाओं में खर्च करते हैं, आपको रुपये की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से छोटी-छोटी जगहों में पढ़ने वाले बच्चों के लिये भी रुपये की आवश्यकता होती है। क्या इसके लिये आप कोई व्यवस्था कर रहे हैं। जिन जमींदारी के लिये आप मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं क्या उनके लिये आप कोई रोजगार या भरणपोषण की व्यवस्था कर रहे हैं? नहीं, यह नहीं हुआ और न आपने उनके लड़कों को पढ़ाने के बाद कोई रोजगार या काम देने का प्रबन्ध किया। कहा जाता है कि सरकार उनके लिये हमदर्दी में भरी जा रही है। और इसीलिये उनके कर्जे में कुछ कमी करने जा रही है। जिन संशोधनों से माननीय मंत्री जी उनका भला करना चाहते हैं उनसे उनका भला नहीं हो सकता। इसको और व्यापक बनाना होगा और वह होगा माननीय हरिनाथ जी के संशोधन को मानने से कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री मैनेजर सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, उसको मैंने पढ़ने की कोशिश की। लेकिन विधेयक के साथ जो पुस्तिका हमें मिली है उसको मैंने उलट पलट कर देखा लेकिन कोई खास बात मुझे उसमें नहीं मिल पायी। मैं ऐसा समझता था कि इस आदरणीय सदन में कानून के पंडित हैं, वे इसमें दिलचस्पी लेंगे और इस संशोधन विधेयक का ऊहापोह करके तथ्यों को सदन के सामने रखेंगे। लेकिन आप देख रहें कि दोनों ओर के कानून में रुचि रखने वाले माननीय सदस्य जैसे, माननीय कृष्णानन्द जी, कमलासिंह जी, दीपनारायण जी, आदि भी इस समय सदन में नहीं हैं। इसमें मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि उनको भी इस विधेयक में कुछ नहीं मिला। मान्यवर, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक में कुछ है ही नहीं। जहां तक मैंने इसके उद्देश्य को देखा और माननीय राजस्व मंत्री के भाषण को सुना। उन्होंने कहा कि नागर क्षेत्र की जो जमींदारी ली गयी है, उन जमींदारों को कुछ राहत देने के लिये विधेयक लाया गया है। उनके ऊपर कर्जे का बोझ है उसे कुछ हल्का करना चाहते हैं। मैं तो माननीय राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस माननीय सदन में रोज आपके पक्ष के लोग श्रद्धेय महात्मा जी का नाम लेते हैं और हर बात में उनकी दोहाई देते हैं। आपकी तरफ से कोई कुकर्म होता है तो उसमें भी आप पूज्य महात्मा जी का नाम लेते हैं। उनका नाम लेते

[श्री मैनेजर सिंह]

का आपको क्या अधिकार हासिल है ? क्या मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को स्मरण दिलाऊं। जब एक बार लूइफीसर के प्रश्न के उत्तर में महात्मा जी ने क्या कहा था ? उन्होंने कहा था—जब स्वराज होगा, इस देश में जमींदारी का उन्मूलन होगा और जमीन किसानों को दी जायगी। यह गरीब देश है, यहां के किसान गरीब हैं तो मुआवजा देने का प्रश्न कहां से उठेगा ? लेकिन खेद है कि पूज्य महात्मा जी की इच्छा के विरुद्ध आपने करोड़ों रुपये मुआवजे में उन जमींदारों को दिये जिन्होंने किसानों का शोषण किया था और आज भी किसी न किसी प्रकार से उन्हीं जमींदारों को राहत देने की बात सोची जा रही है। यही तो हमारा अभियोग है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आये दिन ऐसे-ऐसे प्रस्तावों को प्रस्तुत करती है कि जिन प्रस्तावों के जरिये इस प्रदेश के जो भूतपूर्व जमींदार, पूंजीपति व उद्योगपति हैं, उनको राहत पहुंचाने की कोशिश होती है ।

इसलिये इस संशोधन विधेयक क मूल उद्देश्य का हम विरोध करते हैं और इसीलिये चाहते हैं कि माननीय हरिनाथ तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रवर समिति में भेजने का, माननीय सदन स्वीकार करे ताकि इस संशोधन विधेयक का ऊहापोह हो, इसकी छानबीन हो और इसमें कोई उचित संशोधन परिष्कार किया जाय ।

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी तो चले गये लेकिन उनके स्थान पर हमारे समाज कल्याण मंत्री जी इस विधेयक को लाये हैं, इस सिलसिले में मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपने जमींदारी उन्मूलन किया, बहुत तेजी से जबाव देते हैं, बहुत शेखी के साथ आपकी तरफ से बातें कही जाती हैं कि जमींदारी उन्मूलन किया। लेकिन आपने क्या किया ? आपने सार्वजनिक हितों का उन्मूलन किया है । जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में आपने ऐसी व्यवस्था की और ऐसी सुविधायें और छूट जमींदारों को दे दीं कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक हितों का उन्मूलन ही हो गया। इस संशोधन विधेयक में भी सुविधायें दी जा रही हैं उन्हीं भूतपूर्व जमींदारों को विशेष कर शहर के जमींदारों को। शहर के जमींदार यों ही धनी मानी होते हैं। शहर में कोई भी ऐसा जमींदार नहीं है जिसके पास कुछ भवन व भूमि शहर में न हों। आज शहरों के सबसे बड़े जमींदार जैसा कि हमारे माननीय साथी कल्पनाथ सिंह जी ने कहा—मकान मालिक हैं और मैं समझता हूं कि जितना शोषण मध्यम वर्ग के लोगों का—छोटी नौकरी पेशा लोगों का, छोटी-छोटी पेशा करने वालों का, आज मकान मालिक कर रहे हैं उतना शोषण जमींदारों के जमाने में भी नहीं होता था। मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं माननीय राजस्व मंत्री जी से कि आप इस विधेयक को वापस लें। यदि आप को बड़ा स्नेह है और बड़ी आपकी इच्छा है कि इस पर विचार ही हो तो आप कृपा करके श्री हरिनाथ तिवारी के प्रस्ताव को मानकर इसे प्रवर समिति में जानें दें, मुझे आशा है कि वह इस बात को मानेंगे, मैं कोई शिकायत नहीं करता लेकिन हम लोग यह आशा करते थे कि हमारी भावनाओं का आदर करेंगे और हमारे माननीय मंत्री जी तो एक ऐसे मंत्री हैं कि विरोधी पक्ष की उचित सलाह को मानते हैं और उन्होंने इस का प्रमाण भी दिया है। लेकिन क्या कारण है कि जब से उन्होंने यह राजस्व मंत्री का कार्य अपने जिम्मे लिया है तब से वह भी वही रुख अपना रहे हैं जो राजस्व मंत्री जी अपनाते हैं। मैं चाहता हूं कि वे इस प्रस्ताव को मानें और माननीय हरिनाथ जी तिवारी के प्रस्ताव के अनुसार प्रवर समिति में भेजें ताकि आप का जो सुन्दर स्वभाव है उसको ठेस न लगे और यदि आप इसको स्वीकार करते हैं तो वह आप के सौम्य स्वभाव के अनुरूप न होगा। मैं चाहता हूं कि जब भी ऐसा प्रस्ताव आये कि जिस में भूतपूर्व जमींदारों को, पूंजीपतियों को और बड़े लोगों को छूट दी जाय तो आप उस को सदन में विचार करने के लिये न आने दें। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप तो एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं कि कांग्रेस के चुनाव होते हैं उनमें आप जज मुकर्रर किये जाते रहे हैं और मैं भी उस संस्था में रहा हूं मैंने कभी यह नहीं सुना कि कभी किसी साथी ने आपकी न्यायप्रियता का अनादर किया हो या उंगली उठाई हो। इसलिये हम आपसे आशा करते हैं कि आप इस प्रकार के बिल को जो कांग्रेस के प्राण को लेने वाला है उसको वापस

लेंगे। माहात्मा गांधी जिन की फोटो सामने है उनकी इच्छाओं का अनादर कर के आप किसी तरह से भी परोक्ष रूप से भी भूतपूर्व जमींदारों और पूंजीपतियों की मदद न करेंगे। आज दुर्भाग्य है कि उस तरफ भूतपूर्व जमींदार अधिक हैं जिन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म करने के लिये अथक प्रयास किया उन पर ही कांग्रेस के भूतपूर्व जमींदार इल्जाम लगाते हैं।

आज यह बिल आया है इसका एक कारण है। एक काला बिल किसानों के हक के खिलाफ आने वाला है। इस प्रदेश में सबसे बड़ा आघात कांग्रेस हुकूमत किसानों पर करने वाली है। वह जोत कर विधेयक के द्वारा होने वाला है। उस सवाल पर आज कांग्रेस पार्टी के अन्दर आपसी मतभेद है और मनमुटाव है। उसके कारण भी यह बिल लाया गया है। मैं निवेदन कर दूं कि इसको लाने का कारण क्या है? वह यह है कि जोत कर के कारण बहुत से कांग्रेस के माननीय सदस्यों में क्षोभ है। इसलिये उसे दूर करने के लिये और विरोधी दल को राजी करने के लिये आपने ८ एकड़ तक की छूट की बात मान ली है। आज बड़े काश्तकार कांग्रेस दल में हैं, वे बौखलाये हुए हैं और बड़ी जोत वाले ही कांग्रेस के मददगार हैं और उनको खुश करने के लिये भूतपूर्व जमींदार को सुविधा प्रस्तुत विधेयक द्वारा दी जा रही है।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उससे विधेयक का क्या सम्बन्ध है?

श्री उपाध्यक्ष—जरा विषय पर आइए।

श्री मैनेजर सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जब रोगी के फोड़े का आपरेशन होता है तो उसे भी बौखलाहट होती है।

विधेयक का जो उद्देश्य है उसके संबंध में कह रहा था। असल जिसे मंत्री जी ने नहीं लिखा है। जो बड़े काश्तकार कांग्रेस पार्टी में हैं उनको खुश करने के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है उनसे कहने के लिये कि शान्त रहो तुम्हें इस तरह छूट दे रहे हैं। जोत कर के विरुद्ध जो विरोध चल रहा है उसको कम करने के लिये यह एक चाल सरकार की है।

डिवाइड और रूल की जो अंग्रेजों की पालिसी थी वह सरकार को विरासत में मिली है। कायदे कानून यहां ऐसे ही बनते हैं जिनसे आपस में मन मुटाव बढ़े, झगड़े फैलें, लोग एक दूसरे का गला काटने लगें, समाज में फूट फैले और उसका लाभ सरकार उठावे। इस प्रदेश में रेहन के पटान का कानून बना था। उसके आंकड़े अगर मंत्री जी दे सकें तो दें। उससे किसी भी कर्जदार किसान का उपकार नहीं हुआ बल्कि जो अपने आराम के लिये बड़े लोग कर्ज लेते थे उनको सहायता मिली होगी। हजारों किसान परिवार तबाह हो गये। यदि इस बिल को दूसरे मंत्री लाये होते तो मैं उसकी नीयत पर शक करता, लेकिन माननीय महावीर प्रसाद जी श्रीवास्तव की नीयत पर हमला नहीं करता। इस विधेयक में कुछ नहीं है, हमारे ऐसे सीधे सादे कार्यकर्त्ता के लिये कुछ मिला नहीं इस विधेयक के पढ़ने के बाद। हमारे वकील साथी मौजूद नहीं हैं उन्होंने भी विरोध जाहिर किया उपस्थित न होकर और प्रमाणित किया है कानूनी दृष्टिकोण से भी इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल कोरा कागज है इसलिये वे आज अनुपस्थित हैं।

जैसी महात्मा जी की इच्छा थी कि जमींदारों की जमींदारी ली जाय तो उन्हें कोई मुआवजा न दिया जाय। अतः सरकार को उनको अधिक राहत देने के लिये कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये। आज जमींदारों, पूंजीपतियों के बल पर प्रदेश में शासन करना चाहते हैं तो ज्यादा दिन नहीं चल सकता। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह ऐसे लोगों पर विश्वास न करें जो पूंजीपतियों के हित पर आघात लगने पर आपकी संस्था से कूच कर जायंगे और अगर सरकार उन पर विश्वास करती है तो धोखा खायेगी। इसलिये आपके द्वारा सरकार से निवेदन है कि वह भूतपूर्व जमींदारों अथवा पूंजीपतियों पर आस्था रखना छोड़े और उनकी मदद न करें और ऐसे कानून न लावे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का मूलतः विरोध करता हूं और मेरे साथी तिवारी जी ने जो संशोधन रखा है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा

[श्री मैनेजरसिंह]

जाय उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आशा है कि हमारे अनुरोध को वह स्वीकार करेंगे ।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के सदस्यों की तरफ से जो वक्तव्य दिये गये हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने यह भावना बना ली है कि सरकारी पक्ष की ओर से अच्छी या बुरी जो भी बात लाई जाय उसका विरोध अवश्य किया जाय। जैसा कि श्री मैनेजरसिंह ने कहा कि इस बिल में तो कुछ है ही नहीं, उनको दरअसल कुछ मसाला ही नहीं मिला जिससे कि वह सरकार का विरोध कर सकते, इसलिये उन्होंने ऐसी बातें कहीं जिनका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है। लिहाजा वह बतलायें कि वे पूंजीपतियों के समर्थक हैं या हम।

यह बिल इसलिये लाया गया है कि जमींदारी अबालीशन ऐक्ट के अन्तर्गत जो ऋण जमींदारों पर था उस को सन् १९३४ के इंकमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के अन्तर्गत जिस स्तर पर जमींदारों को कम्पेंसेशन दिया गया था उसी स्तर पर ऋण भी लाया गया था, उसी प्रकार नागर क्षेत्र की जमींदारी को जो कम्पेन्सेशन दिया गया है उसी स्तर पर उनके ऋणों को लाने के लिये यह बिल लाया गया है। इसमें सिर्फ शाब्दिक परिवर्तन किये गये हैं जैसे कि नागर क्षेत्र जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में "रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट" के स्थान पर "एन्युटी" शब्द था वही शब्द इस बिल में भी इस्तेमाल किया गया है। इसलिये इसमें क्या अनुचित है ? क्या यहउ चित है कि जो महाजन १ से १०० और १२५ रुपये वसूल करते हैं उसको भूतपूर्व जमींदारों से जिनको कम्पेंसेशन बहुत कम दिया गया है पूरा सूद वसूल करने दिया जाय। अगर सूदखोरों को इससे नुकसान होता है तो क्या यह पूंजीपतियों का समर्थन है ? इस बिल का खेतिहर मजदूरों और किसानों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस बिल से उन्हीं लोगों को हानि पहुंचेगी जो १ रुपये के १०० और १२५ रुपये वसूल करते हैं। इससे कोई सार्वजनिक धन की हानि नहीं होती है। इससे हानि तो कैपिटलिस्ट्स को ही पहुंच रही है। तो मैं माननीय मैनेजरसिंह और दूसरे लोगों से यह पूछूंगा कि क्या वे कैपिटलिस्ट्स का समर्थन नहीं कर रहे हैं और क्या उस महाजनी प्रथा को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं जिसमें काफी तादाद में रुपया कर्ज लेने वालों से वसूल किया जाता है। जहां हमारी सरकार यह प्रयास कर रही है कि सहकारी समितियां कायम हो जायं और लोगों को ऋण कम सूद पर प्राप्त हो सके वहां हमारे प्रजा सोशलिस्ट दल के माननीय मैनेजरसिंह जो अपने को समाजवादी कहते हैं, वे कहते हैं कि उन महाजनों का नुकसान न हो जो काफी तादाद में सूदखोरी कर रहे हैं भले ही नागर क्षेत्र के उन भूतपूर्व जमींदारों का नुक्सान हो जाय जिनको सरकार सार्वजनिक हित में ज्यादा प्रतिकर नहीं दे रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारण इसे प्रवर समिति में भेजा जाय। जसा कि माननीय मैनेजरसिंह और दूसरे सदस्यों ने भी कहा है, यह तो एक सीधासादा बिल है। तो जब कोई चीज ही इसमें नहीं है तो फिर प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय तिवारी जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री लखीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो आज मुझे बड़ा खेद है कि एक जबरदस्त घटना हुई। मैं कुछ दुखी हूं इस वजह से मैं कुछ ज्यादा बात नहीं कहूंगा लेकिन मुझे आशा है कि आप मुझे आज रोकेंगे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—आप इसी विधेयक के सम्बन्ध में कहें, मैं नहीं रोकूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लखीसिंह—इसी पर तो कहूंगा ही। मैं सन् १९३० से इस सरकार को देख रहा हूं। तीन सरकारें मेरे सामने बनी हैं—स्वराज्य वाली सरकारें। पहली माननीय गोविन्द बल्लभ पंत जी .....

श्री उपाध्यक्ष—इस विधेयक पर ही बोलिये।

श्री लखीसिंह—मैं उसी पर आऊंगा। पहले भूमिका तो बना लूं मैं। तो माननीय पंत जी की मिनिस्ट्री में सन् ३६ में हमने वोट दिलाये। हमने बड़ी-बड़ी डींग मारी, जमींदारी खत्म करेंगे और बिला मुआवजा खत्म करेंगे, कांग्रेस को वोट दो और जमीन का मालिक किसान होगा, ऐ धरती के लाल, धरती के लाल कहा। और क्या कहा? यह कहा, किसान भगवान, अन्न के पैदा करने वाले, आप कमाओ औरों को खिलाने वाले। लेकिन हमारी माननीय सरकार पंतजी वाली ने जो किया वह हमने देखा। उसके बाद जमींदारी प्रथा खत्म करने का एक बम चलाया गया कि हम जमींदारी प्रथा खत्म कर रहे हैं। मैं जहां तक समझा हूं जमींदारी प्रथा खत्म नहीं की गयी बल्कि जमींदारी प्रथा खत्म करने की आड़ में जमींदारों को बढ़ावा दिया गया और बहुत पहले ही यह एलान कर दिया क्योंकि यह तो मिली जुली है न उनसे यह सरकार जो थी जमींदारों की सहेली थी। हम किसान लोग और गांव के कार्यकर्त्ता इसको समझ नहीं पाये। जो इनके पीछे बैठते हैं वे डर के मारे कुछ नहीं कहते हैं। जमींदारों के ऋण में रियायत दी जाय। इसमें यही बात है तो हमारी मलूक सरकार ने कभी यह भी कहा कि किसानों को ऋण में रियायत दी जाय। यह मैं मानता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि उधर के माननीय सदस्य जब मैं भाषण देकर बैठ जाऊंगा तो क्या कहेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—श्रीमन्, यह किस पर बोल रहे हैं।

श्री लखीसिंह—मैं इसी विधेयक पर बोल रहा हूं। यह कहेंगे कि माननीय सदस्य ने अभी तक विधेयक पढ़ा ही नहीं। अब लिखने पढ़ने का भी ठेका इन्होंने ही ले लिया है।

श्री उपाध्यक्ष—आप विधेयक पर ही कहें।

श्री लखीसिंह—जी हां। स्पेशल पावर्स ऐक्ट में हमें गिरफ्तार किया गया और संविधान को ताक में रख दिया गया और हमें ६ महीने की सजा और २५० रुपया जुर्माने किये। यही पढ़ी लिखी सरकार का काम है। लेकिन हाई कोर्ट से उल्टे सरकार से ५०० रुपया हरजाने के दिलाये गये।

श्री उपाध्यक्ष—विधेयक के बारे में ही कहें।

श्री लखीसिंह—विधेयक पर ही मैं कह रहा हूं। मैं पढ़े लिखे लोगों का एक प्रमाण देता हूं। पढ़े लिखे लोग यहां थे और हम जेल में थे जिस समय हाई कोर्ट के तीन जज फैसला कर रहे थे और ५०० रुपये हरजाने के सरकार के ऊपर हो रहे थे। उस समय रामपुर की जेल में मुझे नीचा देखना पड़ रहा था सरकार के लोग कैसे पढ़े लिखे हैं जो इस तरह से हमें गिरफ्तार किया गया आगे अब कोई सदस्य नहीं कहेगा कि इधर के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। इधर के लोग बहुत बड़े विद्वान् हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी और रक्षपालसिंह जी ने प्रस्ताव रखा है कि "उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋण विधि प्रवृति विधेयक, १९६२ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे इस विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो एक महीने के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन के सम्मुख प्रस्तुत करें"। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें क्या ऐसी बात है? यह तो न्यायसंगत बात है। मंत्री जी जो इस विधेयक को लाये हैं बहुत ऊंचे पढ़े लिखे हैं और उनकी जोट के वयोवृद्ध राजस्व मंत्री जी बहुत अनुभवी और ऊंचे पढ़े लिखे हैं। जो विधेयक आ रहे हैं उन पर आप लोग गम्भीरता से विचार करे। मेरे मजदीक न तो जमींदार खत्म हुए न राजा खत्म हुए। अभी तक सदन में कहते हो कि राजा बैठे हैं, जमींदार बैठे हैं। यह तो खत्म हुए नहीं लेकिन मेरा शुबहा है कि यह सरकार न तो जमींदारो को खत्म करेगी और न पूंजीपतियों को खत्म करेगी,

[श्री लखीसिंह]

न राजाओं को खत्म करेगी क्योंकि यह इन की सहेलियां हैं और यह जोतकर विधेयक किसान को खत्म कर देगा।

श्री उपाध्यक्ष—यह सब बातें तब कहिएगा, जब वह आयेगा।

श्री लखीसिंह—उपाध्यक्ष जी, हमारे अधिकारों की तो आप ही रक्षा करेंगे। आज तो हम वैसे ही निकाल दिये गये। हमीं तो बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप जरा विधेयक पर आ जाइये।

श्री लखीसिंह—मैं विधेयक की ही बात कर रहा हूं। उन जमींदारों को ऋण माफ कर रहे हैं। मैं विधेयक के बाहर नहीं हूं। जमींदारों को ऋण में रियायत करना और जमींदारी प्रथा खत्म करने के बहुत पहले कह दिया था कि जमींदारी खत्म करेंगे, तो जमींदार होशियार थे, उन्होंने जमीन बेच-बेच कर पैसा बना लिया और कानून क्या रखा? खुद काश्त रखी, सीर रखी, मकान रखा, बाग रखा। पटवारी को मिलाकर सीर और खुद काश्त में जमीन भरवा कर, पूरी जमीन जमींदारो ने बना ली। आज वह ट्रैक्टरों से खेती कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि कहां से जमींदारों को ऋण में सरकार रियायत देने जा रही है। इसी तरह से १८५७ के गदर में जिन जमींदारों ने अंग्रेजों को छिपाया और हमारे आजादी के लड़ने वाले जवानों को फांसी पर लकटवाया, उन जमींदारों को इस सरकार ने किसानों से दस गुना लेकर मुआवजा दिया। सोशलिस्ट पार्टी कदम पर कदम विरोध करती रही कि दस गुना मत लो बिना मुआवजा जमींदारी प्रथा खत्म करो। मेरे बापू जी ने कहा कि जमींदारी प्रथा खत्म करो और बिना मुआविजे के खत्म करो।

श्री उपाध्यक्ष—लखीसिंह जी, आप बहुत इधर-उधर कह रहे हैं।

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, आपका लक्ष्य का यह है कि गरीबों के लिए कोई बिल नहीं ला रहे हैं।

श्री लखीसिंह—मैं वही कहने जा रहा हूं। श्रीमन्, नागर क्षेत्र के सम्बन्ध में चर्चा इसमें की गई है। यह है न? माननीय काशीनाथ जी बहुत पढ़ लिखे हैं उन्होंने मुझे बताया है। तो मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देता और इसका स्वागत करता अगर इसमें जो गांव के छोटे-छोटे जमींदार थे, सौ पये की मालगुजारी के या १५० रुपये की माल-गुजारी के, जिनकी जमीन चली गई, जो पांच-पांच बीघे के जमींदार थे, और जो आज भूमिहीन हो गए, माननीय मंत्री जी शायद न जानते हो, लेकिन हम जानते हैं, वह भूमिहीन हो गए हैं, अगर उनकी चर्चा भी होती इसमें तो मैं इसका स्वागत करता। लेकिन इसमें तो लखनऊ के जमींदार, कानपुर के जमींदार, बनारस के जमींदार, इनकी चर्चा है . . . .

(इस समय ४ बजकर ११ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अब अध्यक्ष महोदय आ गए हैं, अब मुझे ज्यादा सुरक्षा मिलेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। चूंकि वह आपसे संबंधित है इसलिए उस वक्त माननीय उपाध्यक्ष महोदय के सामने रखा था तो उन्होंने कहां कि माननीय अध्यक्ष जी आवें तो उनसे कहिएगा। वह यह कि.....

श्री अध्यक्ष—माननीय लखीसिंह बोल रहे हैं, उससे संबंधित है?

श्री रामसुन्दर पांडेय—जी नहीं, सदन उठने से पहले जो कार्यवाही चल रही थी उससे.....

श्री अध्यक्ष—तो वह समाप्त कर लें तब आप कहियेगा।

श्री लखीसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कर रहा था कि अगर इस विधेयक में एक लब्ज यह भी होता कि गांव के जमींदार जो हैं उनके ऋण में भी रियायत दे दी जायगी तो मैं पहला आदमी होता जो इस विधेयक का समर्थन करता। खेतिहर मजदूर, जो छोटे-छोटे किसान हैं, उनके कर्जे की बात भी रखी गई होती तो मैं इसका समर्थन करता। अब तो मुझे इसका घोर विरोध करना ही है। साथ ही साथ यह भी कहना है कि सरकार के मंत्रिमंडल में कोई मन्त्री तो ऐसा होता जो कोई ऐसा बिल लाता जिससे किसान से कुछ कहने के हकदार हम बनते। क्या वोट लेकर के आप लोग नहीं आये हैं? हम भी आये हैं? आप भी वोट लेकर आये हैं और हम भी वोट लेकर आये हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, आप भी तो वोटों से चुन कर आये हैं। हमने उनसे यह कहा है कि देखो, दो पंचवर्षीय योजनायें तो बिलकुल विफल गयी हैं। उनमें तो बिलकुल सरकार ने कुछ किया ही नहीं। अब की तगड़ा विरोधी दल और सबल विरोधी दल पहुंचे तो अबकी पंचवर्षीय योजना में आपके लिए राहत मिलेगी। ऐसी बात हमने कही है ....

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम २९१ की ओर आकर्षित करता हूं जिसके अनुसार माननीय सदस्य प्रस्तुत विधेयक पर नहीं बोल रहे ह बल्कि इधर-उधर की बात कर रहे ह।

श्री अध्यक्ष—मैं पहले सुन तो लूं कि क्या बोल रहे हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, इनसे प्रस्तुत विधेयक का नाम पूछ लीजिए, जो एतराज कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—माननीय लखीसिंह जी, इतने जोर से न बोलिए, धीरे बोलिए।

श्री लखीसिंह—अध्यक्ष महोदय ने एक बात बड़ी अच्छी बतायी कि जोर से न बोलो। जोर हमारे पास है कहां। जोर तो हमारा अंग्रेजों ने निकाल लिया और फिर जो बचा था वह हमारी सरकार ने निकाल लिया। मैं यह कह रहा था कि हमारी सरकार और हम जनता को क्या कह कर आये हैं। सरकार ने कहा है कि अब की तीसरी पंचवर्षीय योजना में विकास हो जायगा। बड़े-बड़े उद्योग धंधे खुलेंगे और बड़ा उत्पादन बढ़ेगा लेकिन हम तो प्रचार कर ही रहे थे कि हमारे गुप्ता जी महाराज ने तीन आना रुपया, जो पहले आबपाशी में छूट हो रही थी, उसको फिर लगा दिया जिसके लिये हम कहते थे कि सरकार ने ३ आना रुपया छोड़ दिया। अब बतलाइये कि हम क्या जनता म जाकर जवाब द। अंग्रेजों के जमाने में सिंचाई की दर ५ रुपया १० आना थी। फिर हमारी सरकार ने ८ रुपया कर दिया। फिर उसको १२ रुपया कर दिया और फिर पूरा ३० रुपया पक्का बीघा कर दिया। सम्पूर्णानन्द मिनिस्ट्री के जमाने में हमने आन्दोलन छेड़ा कि इस सिंचाई दर को कम किया जाय। जेल में सड़ते-सड़ते हमारे प्राण चले गये और बड़ी मुश्किल से हम बच पाये। बलवानसिंह जी हमारे साथी थे और वह भी जेल के अन्दर थे। तब जाकर वह ३ आना छटा। हमने उसके लिये ढोल नहीं बजाया। हमने सरकार की तारीफ की लेकिन गुप्ता जी महाराज दे उसको फिर लगा दिया....

श्री अध्यक्ष—यह तो कर्जे को कम करने की चीज है। इसी पर बोलिये।

श्री लखीसिंह—वही मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार जमींदारों के कर्जे में छूट क्यों कर रही? छोटे-छोटे किसान, मजदूर जिन पर कर्जा लदा हुआ है, गांव के छोटे जमींदार हैं, ५ बीघे के जमींदार हैं उनकी बात इस कानून में क्यों नहीं लिखी? यह मेरे कहने का मतलब है। अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी कहते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूं लेकिन आप तो मेरा पक्ष करेंगे कि मैं सही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—यह इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट और उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करन का अधिनियम छोटे काश्तकारों के लिये भी है।

श्री लखीसिंह—मैं इसके उद्देश्य को भी पढ़ देता हूं। उसमें यह लिखा है कि नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन ऐसे मध्यवर्तियों को जिनकी कृषि भूमि उक्त अधिनियम के अधीन अध्याप्त की गई है, दिया जाने वाला प्रतिकर उक्त भूमि के बाजार मूल्य से कम है, इसलिये यह आवश्यक है कि देय प्रतिकर के अनुपात में उनके ऋणों को कम करने की व्यवस्था की जाय। मैं यह कह रहा था कि ....

श्री यादवेन्द्रदत्त—माननीय लखीसिंह जी, जो बोल रहे हैं उन्होंने अपने कुछ उद्धरण दिये हैं। उन उद्धरणों के आधार पर वह अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं। उसको आप पूरा सुनने की कृपा करें। फिर आप जैसा निष्कर्ष निकालें लेकिन इस समय उनको अवश्य बोलने का अवसर प्रदान करें।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—जब से माननीय लखीसिंह बोलने के लिये खड़े हुए हैं तब से कई दफा माननीय सदस्यों ने उनको रोका है। उनका जो खास कहने का उद्देश्य है वह यही है कि जो गरीब लोग हैं, खेतिहर मजदूर हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है उन लोगों के लिये सरकार ने कोई बिल लाने की बात नहीं रखी है। यहां पर कह दिया कि हम कैपिटलिस्टों के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब हैं उनके लिये भी तो कुछ करना चाहिये। माननीय सदस्य उन गरीबों के सिलसिले में ही आपसे निवेदन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—अगर माननीय लखीसिंह के स्थान पर बलवानसिंह जी को बोलने दिया जाय और हम उनको सुन लें तो समझ लिया जायगा कि माननीय लखीसिंह का यही आशय था।

(हंसी)।

श्री लखीसिंह—श्रीमन्,....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—जब एक सदस्य पहले बोल रहा है तो उसके बीच में दूसरे सदस्य को क्या बोलने के लिये कहा जा सकता है?

श्री अध्यक्ष—वह उनकी बात को एक्सप्लेन कर रहे थे।

श्री लखीसिंह—आज के मेरे बोलने में एक ही खैरियत है कि माननीय बनारसीदास जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनकी हमारी तरफ दया है। नहीं तो प्रक्रिया नियामावली की तोप लेकर वह खड़े हो जाते वैसे हम तो उस के अनुसार चलते ही है। अतएव ऐसे नागर क्षेत्रों में जिन में उपयुक्त अधिनियम प्रवृत्त है यू० पी० इंकमबर्ड स्टेट्स ऐक्ट, १९३४ और उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२ के उपबन्धों को उपयुक्त परिष्कारों के साथ प्रवृत्त करने के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है। अब इस उद्देश्य में गांव के किसान, मजदूर, गरीब को चर्चा तक नहीं है। तो इसका हम घोर विरोध करेंगे। हम उसी परिवार के आदमी हैं और यह सरकार, तो बस। खाली पंडित जवाहरलाल जी कभी-कभी सच्ची बात कह देते हैं कि इस सरकार में बड़े-बड़े पूंजीपतियों, बड़े-बड़े जमींदारों, बड़े-बड़े ताल्लुकेदारों ने कब्जा कर रखा है और यह साबित करता है कि यह एक तमाशा है। एक बार फिर मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को, जैसा कि बड़े विद्वान नेताओं ने कहा है, विचार के लिये प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और एक महीने तक गंभीरतापूर्वक वहां बैठ कर इस पर विचार किया जाय। अगर कोई ऐसे जमींदार हैं जिन पर कर्जा हो गया हो तो ठीक है, लेकिन मेरा अनुभव है कि बड़े-बड़े जमींदारों, नेताओं के लड़के जज हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं और बड़े-बड़े जमींदारों के लड़के बड़ी-बड़ी फौज की नौकरियों में पड़े हैं और जो बड़ी-बड़ी ऊंची

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तनख्वाहें ले रहे हैं। मुझ को एक नमूना बतला दें हुकुमसिंह जी कि गांव के किसान का लड़का कहीं भी कलेक्टर, कमिश्नर या गवर्नर बना हो। हमारी सरकार के खजाने का बड़ा हिस्सा यह राजाओं और जमींदारों के लड़के ले रहे हैं और उन्हीं के लिये हमारे खजाने में से हमारे खून पसीने की कमाई निकाल कर खर्च की जा रही है। हम पर कर लगा कर जोतों पर, मकानों पर, मोटर यात्रा करने पर कर लगा कर पैसा वसूल किया जाता है, हमारी हड्डियों को निचोड़ कर पैसा लिया जाता है और इससे साबित होता है कि आप भी वही काम करने लगे हैं जो अंग्रेज १५ अगस्त, १९४७ के पहले करता था। जमींदार उनके लाडले थे, अब आपके हैं। हम फिर कैसे इसका समर्थन करें? तो मैं निहायत अदब से कहूंगा आप से कि इस बिल को सोच समझ कर प्रवर समिति को दें। दोनों महान मंत्री हैं, बुजुर्ग हैं और माननीय हुकुमसिंह जी तो सन् १९३६ से कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन जब हम एम० एल० ए० बन कर आये तभी यह काले कानून आप क्यों बनाने चले हैं? (तालियां) हम तो बदकिस्मती से अब की जीत कर आये हैं। पहले हार गए थे सन् १९५२–५७ में, परन्तु अब की हमको जनता ने जिताया है। आप ऐसे-ऐसे टैक्स हमारी और जनता की छाती पर लाद रहे ह कि हम जनता को क्या मुंह दिखायेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप ही बताइये कि आखिर हम क्या जवाब देंगे जिस समय हम जनता के सामने जायेंगे।

(व्यवधान)

मैं मानता हूं कि आप मेरे साथी हैं और १५ अगस्त, १९४७ के बाद कांग्रेस में आये हैं। लेकिन जो पहले कांग्रेसी हैं जिन्होंने किसानों को धोखा दिया और आज भी दे रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आपके पाप का घड़ा फूटने वाला है क्योंकि वह भर चुका है। मैं यह कह रहा हूं कि आप किसानों की छाती पर टैक्स लाद रहे हैं और जनता का खून चूस रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आप विषय से हट रहे हैं।

श्री लखीसिंह—श्रीमन्, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, आप क्षमा करेंगे। मैं जरा डर जाता हूं और इसीलिये शायद विषय से हट जाता हूं। मैं कह रहा था कि आपका पाप का घड़ा भर चुकने के कारण फूटने ही वाला है। अब आपका समय खत्म हो चुका है। मैं भी और सब पार्टी वाले उसके दायरे में आते हैं। याद रखिये कि यदि अब भी आप नहीं चेते तो देश में खून-खराबा और खूरेंजी, हो सकती है, जो कि हमारी समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है। हम नहीं चाहते हैं कि देश में खूनी क्रांति हो। हमतो पूज्य बापू के समान सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं और उन्हीं के मार्ग पर चलने वाले हैं। परन्तु मैं यह कह दूं कि यदि हमारे देश की तरफ या हमारी सीमा की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखी तो सोशलिस्ट पार्टी पहली पार्टी होगी कि उसका मुकाबला करे। हम एक इंच भूमि भी नहीं अपनी नहीं जाने देंगे। लेकिन यह सरकार अपने बहुमत के बल पर आज जो चाहती है वह पास करा लेती है। हमारा किसान बहुत ही उदार है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया विषय पर ही रहें।

श्री लखीसिंह—श्रीमन्, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं उसके आस-पास ही हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि आज मजदूरों में जागरूकता आती चली जा रही है। आप ज्यों-ज्यों पूंजीपतियों को अधिक सहूलियतें दे रहे हैं त्यों-त्यों वह वर्ग चेत रहा है। उसमें बराबर चेतना आती जा रही है। आप हेर-फेर करके अपना जाल बिछा कर के किसानों को लूट रहे हैं और इसी तरह के विधेयक भी बना रहे हैं। जैसे कल ही वह साढ़े १२ एकड़ वाला था। अगर उद्योग-धंधों की आड़ में उनको ज्यादा तंग किया तो मेरा ऐसा अनुमान है कि उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा।

[श्री लखीसिंह]

श्रीमन्, यह सरकार मस्ती में अपने बहुमत के बल पर टेढ़े कानूनों को पास करा लेती है। आज इस समय मुख्य मन्त्री जी यहां बैठे हुये होते तो मैं अपील करता। मैं उस वर्ग से आता हूं कि जो खेती से ताल्लुक रखता है और जो धूल से रोटी पैदा करता है, उस वर्ग से नहीं जो नमक और तेल का व्यापार करता है। इस बिल के जरिये जमींदारों को मालामाल बनाया जा रहा है। माननीय राजस्व मंत्री जी यहां हैं, समाज कल्याण मंत्री जी हैं, और भी मंत्रियों की जो फौज है, सभी से मैं निहायत अदब से कहूंगा कि आज कई याचिकायें हो चुकी हैं बिलों के सम्बन्ध में, कहीं ऐसा न हो जाय कि यह बिल भी वहां चला जाय। मुझे, अध्यक्ष महोदय, अभी उस याचिका समिति में जाना है, इसलिये मैं अधिक समय नहीं लूंगा। माननीय मन्त्री जी कानून के पंडित हैं, वे इस पर पुनः विचार करें और इसे स्वीकार करें जो प्रस्ताव यह है।

हां एक बात और है..... (हंसी)

श्री कृष्णानन्दराय—श्रीमन्, कुछ सदस्य प्राम्प्ट कर के बुलवा रहे हैं... (व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—माननीय सदस्य का यह कहना ग़लत है.....

श्री बलवानसिंह—इस तरह से कांग्रेस बेंचेज की तरफ़ से भी तय होता है कि कौन बोलेगा, कौन नहीं और यह कहा.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठिये। लखीसिंह जी, आप कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री लखीसिंह—इस तरह से गड़बड़ होने पर श्रीमन्, मैं तो भूमिका ही भूल जाता हूं....

श्री अध्यक्ष—आप याचिका समिति में जाने की बात कह रहे थे।

श्री लखीसिंह—हमारी बदकिस्मती यह है कि श्रीमन्, हम लोग थोड़ा पढ़े हैं। जब मैं पुस्तकालय में जाता हूं कि कोई किताब लाऊं और उसमें से कानून देख कर बोलूं, तो श्रीमन्, मुझे वहां हिन्दी की कोई किताब नजर ही नहीं आती, मोटी-मोटी तमाम अंग्रेजी की किताबें ही दीखती हैं। यह एक चौधरी चरणसिंह जी की लिखी हुई एक किताब हिन्दी में मुझे मिली है। उनकी किताब मिली है इसमें से तो मैं बोलूंगा उस दिन जिस दिन खोज कर आवेगा। लेकिन मैं आप से बड़ी पूरी आशा करूंगा कि अगर सन् १९४२ जैसा दिन आज होता तो होली जलती अंग्रेजी की किताबों की, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि जब तक अंग्रेजी भाषा बनी रहेगी तब तक मैं देश को स्वाधीन नहीं समझूंगा। यह हमसे कहा था। मैं ही नहीं, बहुत से माननीय सदस्य होंगे जो अंग्रेजी की किताबों से अनभिज्ञ हैं। चन्द वकील और बैरिस्टर किताबों को लेकर खड़े हो जाते हैं और गिटपिट करते हैं बहुत देर तक लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। मैं यह बताना चाहता हूं कि एक तरफ़ तो किसानों पर चकबन्दी लाकर उनके खून पसीने की कमाई लूटी जायगी और दूसरी ओर यह ऋण माफ़ी करने की बात सरकार रखती है। अब तो पश्चिमी जिलों में भी बाढ़ आ गई है और दूसरी ओर सरकार को नागर क्षेत्रों के जमींदारों की चिन्ता में नींद नहीं आती है, जलपान नहीं करती है, हमारी सरकार। किसान और मजदूरों के जहां घर और झोपड़ी बही जा रही हैं उनकी ओर इसका ध्यान नहीं जाता। आज सुबह माननीय तिवारी जी प्रस्ताव लाये थे तो माननीय उपाध्यक्ष ने कह दिया कि उसका समर्थन कोई नहीं करेगा। लेकिन अध्यक्ष जी, आप होते तो हमें समर्थन की इजाजत देते ही। पंजाब के बांध टूट रहे हैं और हमारे मथुरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, मेरठ और जालौन में बाढ़ आई है। जालौन की खबर आई मुझ पर कि सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं। उरई से मुझ पर चिट्ठी आई है।

श्री अध्यक्ष—आप बहुत बोल चुके हैं। याचिका समिति में आपको जाना है।

श्री लखीसिंह—आज ही तो मुझे मौका मिला है।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—उनके लिये आप समय निश्चित कर दें, १० मिनट या १५ मिनट।

श्री लखीसिंह—मेरा कहना है कि हमारी बड़ी नामधारी सरकार, बड़ी उदार सरकार, जो किसान और मजदूर का नाम लेकर वोट हासिल करती है, उसने आज जमींदारों के ऋण की ओर ध्यान दिया है, मगर उसने छोटे-छोटे किसान और मजदूरों की ओर ध्यान नहीं दिया है जो ऋण से दबे पड़े हैं। उनकी तरफ भी तो आप ध्यान दीजिये, मंत्री जी। अगर सरकार छोटे किसानों और गरीबों के ऋण की ओर ध्यान नहीं देती है तो मैं समझता हूं कि वह इस देश को और इस प्रदेश को चीन के किसानों की तरह मजबूर कर रही है, जैसे चीन के किसान ऊब गये थे। यहां हमारी सरकार किसान को निमंत्रण देती है, और उसे पूंजीपतियों और जमींदारों की बहुत चिन्ता रहती है कि उन्हें कैसे तरह-तरह की सुविधायें दी जावें। मगर किसानों को यह सरकार खूनी क्रांति का निमन्त्रण देती है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर तिवारी जी और रक्षपाल सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी से अपील करूंगा कि वे इस को प्रवर समिति में जरूर भेजें।

सूचना राज्यमंत्री (श्री बनारसीदास)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उमाशंकर (जिला बिजनौर)—श्रीमन्, हम लोग अभी बोले नहीं हैं। हम भी अपना विचार इस पर व्यक्त करना चाहते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, आप देख लीजिये कि अभी तक कितने माननीय सदस्यों के भाषण इस पर हुए हैं।

श्री बनारसीदास—किस तरह से आप भाषण करा रहे हैं।

श्री उमाशंकर—श्रीमन्, यह बनारसीदास जी ने बहुत अनुचित आपके लिये कहा कि आप किस प्रकार से भाषण करा रहे हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, आपके लिये यह कहना सरासर सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष—श्री बनारसीदास जी इसको स्पष्ट करें क्या मुझसे कहा था?

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, यह मैंने आप से नहीं कहा। जब माननीय लखीसिंह जी बोल रहे थे तो उधर के माननीय सदस्य उनसे जबरदस्ती बुलवा रहे थे, उसके लिये कह रहा था।

श्री उमाशंकर—श्रीमन्, वह भाषण तो आपकी इजाजत से हो रहा था, मेरी इजाजत से तो हो नहीं रहा था।

श्री अध्यक्ष—उनकी क्या मंशा थी, वह मैं समझ गया।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, अभी तो इस पर बहुत कम भाषण हुए हैं। मैं आपके द्वारा वह निवेदन करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को वापस ले लें। बिला वजह के प्रोवोकेशन से हाउस का काम किस प्रकार से चल सकता है।

श्री अध्यक्ष—मैंने माननीय रक्षपाल सिंह जी को बुला लिया है। इस समय वे भाषण देंगे, उसके बाद अगर वे उस प्रस्ताव को रखना मुनासिब समझेंगे तो रखेंगे।

विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, जब माननीय उग्रसेन जी को आपने इंगित किया था तो माननीय नेता सदन ने उठकर प्रस्ताव किया कि इनको एक माह के लिये सदन से निलम्बित किया जाय। उस वक्त माननीय नेता विरोधीदल ने उठकर माननीय मुख्य मन्त्री जी स निवेदन किया कि एक महीने का निलम्बन बहुत ज्यादा है। मैं उस वक्त बड़ी संजीदगी से उस को सुन रहा था कि आप ने क्या उत्तर दिया था? आपने मुख्य मन्त्री जी को इशारा किया था कि पहले ५ दिन तक का होता है और दूसरी बार १५ दिन से अधिक का होता है।

श्री अध्यक्ष—मैंने "२० दिन तक" कहा था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मेरा ऐसा खयाल है कि आपने नियमावली को बहुत पढ़ा होगा। इस नियमावली में कहीं भी ऐसा नियम नहीं है कि आप किसी को इंगित करने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी को गाइड करें या कोई सुझाव दें। मैं समझता हूं कि जिस कुर्सी पर आप विराजमान हैं, वहां से इस प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—पहले आप जवाब तो सुन लीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं मान सकता हूं कि माननीय उग्रसेन जी के शब्द से आप को कुछ तकलीफ हुई हो और इसीलिये हम सब लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि वे अपने शब्द को वापस ले लें। लेकिन उन्हें इंगित करने के बाद आप के अन्दर वह भावना नहीं रहनी चाहिए जिससे आप उनको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने के लिये मुख्य मंत्री जी को प्रेरित करें।

श्री अध्यक्ष—मैं निवेदन कर दूं कि मेरा इशारा था कि दूसरी मर्तबा २० दिन होता है। मैं आशा करता था कि महीने भर के बजाय २० दिन कर दिया जाय, इस मंशा से मैंने कहा और उसको आपने उल्टा समझा, तो अब मैं क्या करूं? मेरा आब्जेक्टिव यही था कि पहली मर्तबा ५ दिन का और दूसरी मर्तबा १५ दिन का होता है। उसको एक्जेगरेट न कीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं पूछता हूं कि आप को जरूरत क्या पड़ी उसे कहने के लिये?

श्री अध्यक्ष—मैंने नेता विरोधी दल का समर्थन किया था कि बजाय महीने भर के १५ दिन होना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अगर आप कुछ न कहे होते तो बड़ा अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष—हो गया जवाब।

श्री रामसुन्दर पांडेय—एक बात और है। १ बजने में अभी १० मिनट बाक़ी था तो आपने माननीय सदन को स्थगित कर दिया था और हम लोगों में से बहुत से माननीय सदस्यों की आदत है कि अवकाश के समय यहां हाउस में ही बैठे रहते हैं और अपना कुछ काम करते हैं। तो आप के जाने के बाद सदन के सारे पंखे बन्द कर दिये गये थे।

श्री अध्यक्ष—वे तो अभी भी बन्द हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—उस वक्त बहुत से चल रहे थे और इस वक्त भी चल रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि उसके लिये आपने आज्ञा प्रदान की थी या किसकी आज्ञा से और किस वजह से पंखे बन्द कर दिये गये थे?

श्री अध्यक्ष—मैंने सुन लिया। पंखे मैं देख रहा हूं कि सब बंद हैं, कुछ चल रहे हैं अक्सर। किसी ने जानबूझ कर बन्द नहीं किया।

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, मैं एक जानकारी लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैंने कई बार रूलिंग दी है कि जानकारी के लिये मुझसे कोई प्रश्न यहां नहीं किया जा सकता। कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसे आप मेरे कमरे में आकर प्राप्त कर सकते हैं। अब श्री रक्षपालसिंह बोलेंगे।

आर्डर, अब आप बैठें।

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, आचार्य नरदेव जी शास्त्री, जो सन् १९५२ में इस असेम्बली के सदस्य भी थे, उनका देहान्त कल हो गया है। तो उनके प्रति शोक प्रकट करने के लिये हम लोग कम से कम ५ मिनट लें।

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—उस को कल लेंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ६९ की ओर दिलाना चाहता हूं। जब आप माननीय उग्रसेन जी को निलम्बित कर रहे थे तो मैंने दो निवेदन किये थे। एक तो यह कि माननीय उग्रसेन जी के ऊपर या तो प्रिविलेज मोशन लाइये जिसके लिये आपके द्वारा उनको नोटिस मिल चुकी थी और दूसरा यह कि....

श्री अध्यक्ष—मैंने अपना वाला रखा था कि विदड्रा कीजिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—जब आप के विचारार्थ एक विषय पर प्रिविलेज मोशन हो-और आप स्वयं माननीय उग्रसेन जी को नोटिस दे चुके हों तो मैं आप का ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ६९ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें दिया हुआ है....

श्री अध्यक्ष—मैं पढ़ चुका हूं और मैं उसे पढ़ कर ही आया था कि मुझे क्या करना है। इस सम्बन्ध में निर्वाचन के बाद ही मैंने आदेश दिया था कि वे अपने शब्दों को विदड्रा कर लें। उसी को मैं प्रेस कर रहा था और दूसरे को मैंने खारिज कर दिया था।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—जब मैंने उसे खारिज करने के लिये कहा तो आपने नहीं किया?

(व्यवधान श्री काशीनाथ मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ जी, आप से मैं कहता हूं कि आप बैठ जायं।

श्री उमाशंकर—श्रीमन्, मेरी बात सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं, कोई प्रश्न नहीं है।

(श्री काशीनाथ के पुनः खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—माननीय काशीनाथ जी, अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। आप बैठें।

(व्यवधान)

अब कोई प्रश्न नहीं है। माननीय रक्षपालसिंह जी बोलें।

(व्यवधान)

श्री उमाशंकर—मेरी बात तो सुन लीजिये। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अभी नहीं सुनी जायगी, आप बैठें।

(व्यवधान)

माननीय उमाशंकर जी, मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप बीच में व्यवधान न कीजिये। इस वक्त मैं कुछ नहीं सुनता, जो कुछ कहना हो मेरे कमरे में आकर कहियेगा।

श्री उमाशंकर—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष—कुछ नहीं, आप बैठ जायं। अब माननीय रक्षपालसिंह जी बोलेंगे।

श्री उमाशंकर—श्रीमन्, मुझे भी तो कुछ निवेदन कर लेने दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं कहूंगा कि आप सदन छोड़ दें।

श्री उमाशंकर—मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—आप बीच में न बोलें, बैठ जायं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो सदन के सामने....

श्री बलवानसिंह—मैं नियम ३१९ की तरफ, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—वह मैंने देख लिया है और इस सम्बन्ध में आदेश हो चुका है।

श्री बलवानसिंह—मैं यह कह रहा हूं कि जब शास्त्री जी के निधन का समाचार अखबारों में आज छप चुका है तो क्यों ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से कहा जा रहा है कि वह सदन में कल शोक प्रस्ताव लायेंगे। अगर वह नहीं लाते हैं तो नियम के अनुसार हम पेश कर सकते हैं। कल आचार्य नरदेव शास्त्री का निधन हुआ है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उधर से ऐसी बात कही गई कि उस को कल लिया जायगा।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी आज ही उनके रेफ्रेन्स के लिये तैयार थे, लेकिन उस वक्त सदन में ऐसी व्यवस्था चली कि जिसकी वजह से वह आज नहीं ला सके, अब वह कल आ जायगा।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, अब वह कल आयेगा।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋण विधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२—(क्रमागत)

श्री रक्षपालसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक पर जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव पेश किया गया है उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह कानून जिसको यह सरकार पास कराना चाहती है उस के बारे में कहा जा रहा है कि वह बहुत छोटा-सा कानून है, देखने में भी यही लगता है कि कुल ६ धाराओं का कानून है लेकिन इस कानून के बारे में जैसा कि कई सदन के माननीय सदस्यों ने कहा.....

श्री अध्यक्ष—सदन में शान्ति रहनी चाहिये।

श्री रक्षपालसिंह—कई सदस्यों ने कहा कि उस को हम ने पढ़ने की कोशिश की कुछ समझ में नहीं आया कि इसके द्वारा क्या होने वाला है और प्रयास करने पर भी कुछ समझ में नहीं आया। वैसे तो इस के बारे में हमें बहुत कुछ कहना है लेकिन इसके बारे में पहली बात मैं यह कहूंगा कि वास्तव में यह बड़ा ही विचित्र-सा कानून है कि जिसके अन्दर एक कानून नहीं

बल्कि ६ कानून तो ऐसे हैं जिन का इसमें सीधा-साधा रेफेन्स है, परिभाषायें दूसरे कानूनों में हैं और नियम और धारायें जो हैं वह तीसरे कानून में हैं और संशोधन चौथे कानून में हैं और वह जमींदारों का कर्जा कम करने के लिये दफायें एप्लाई करेंगी ।

इस कानून के बारे में मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि इसे क्या कहा जाय, यह तो शैतान की आँत है। इस कानून के अन्तर्गत यू० पी० ऐक्ट १, सन् १९५१ यू०पी० ऐक्ट संख्या ९, १९५७, यू० पी० ऐक्ट १५, १९५३, यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ और यू० पी० ऐक्ट १३, १९५४ सम्बन्धित किये गये हैं और इन पर यह आधारित है, इनके प्रसंग में ही यह कानून आया है। यू० पी० ऐक्ट, १९५१ जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के सम्बन्ध में मैं बता दूं कि उसमें जो परिभाषायें हैं वे डिफाइन इसमें नहीं हैं। कानून जानने वालों के लिये यह परिभाषायें यू० पी० टीनेंसी ऐक्ट और अवध टीनेंसी ऐक्ट में मिलेंगी और कुछ ऐसी भी हैं जो लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट में मिलेंगी। इस तरह से कहने को तो यह छोटा-सा ६ दफाओं का कानून है और यह कह कर ही मंत्री जी इसको पास कराना चाहते हैं लेकिन यह समझ में नहीं आता कि इस कानून को समझा किस तरह से जाय और किस परपज़ के लिये यह बनाया गया है और इसको देख कर यह भी कहना कठिन है कि शहर के जमींदार को इससे क्या लाभ होगा। वैसे तो इस कानून के अन्तगत जो कुछ कहा गया है वह यह है कि इसकी पहली धारा में कानून का नाम लिया गया है और दूसरी धारा में यह दिया गया है कि शिड्यूल १–२ में जो कानून दिये हुए हैं उन में यह संशोधन के साथ लागू होगा। और कब से लागू होगा ? तो लागू होने की बात जब से वह कानून यहां आये हुए हैं। इनमें से एक कानून १९३४ से लागू है। कहा गया जो शेड्यूल में संशोधन दिये गये हैं उनको उन पुराने कानूनों में लागू करके यहां पर लागू किया जायगा इसके अन्तर्गत यह कहा गया है। १९३४ से यह कानून लागू समझा जायगा यह धारा २ में कहा गया है। और १९३४ का कानून १९५४ में अमेंड हो गया। जो दूसरा शेड्यूल है उसमें डेट रिडक्शन ऐक्ट, १९५२ क है जिसमें संशोधन किया गया है और उसके बाद कई प्रावीजन हैं जो इस कानून के अन्तर्गत उसमें लागू होंगे। जो प्रवर समित में भेजने का प्रस्ताव है उसका समर्थन इस कानून की जो अन्य धारायें हैं वे स्वयं करती हैं। जो तीसरी धारा है उसको देखें . . . .

श्री अध्यक्ष—

3. 'Where any provisions of the U. P. Encumbered Estates Act, 1934, or the U. P. Zamindars' Debt Reduction Act, 1952, has been repealed. . . ."

श्री रक्षपालसिंह—

'. . . .the repeal, alteration or amendment shall not—
'. . . .revive any thing, affect any right, affect any remedy. . . .'

तो जो इसकी धारा ३ है यह इसकी द्योतक है कि इसके अन्तर्गत यह जो प्रोवीजन हैं अब से जब अमेंडमेंट हो जायगा तब से वह रिपील्ड समझे जायंगे। यह एक दूसरे की कन्ट्रेडिक्टरी है। धारा २ में कहा गया है १९३४ से ही लागू हो जायगा। फिर आगे कहते हैं धारा ३ में इस कानून के अन्तर्गत जैसे अमेंडमेंट हुआ है वैसे अमेंडमेंट समझे जायंगे। यह एक दूसरे के विरुद्ध है इस कारण इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

चौथी धारा देखें Settlement of doubts. धारा २ इसमें मुख्य है परन्तु इसमें भी अनेक व्यवस्था करनी पड़ेगी—

4. For the settlement of doubts, it is hereby declared that the repeal of Amendment of any provision of the U. P. Encumbered Estates Act, 1934 by this Act shall not affect :'

और 'ए' से 'एफ' तक उपधारायें दे दी हैं जिनको एफ़ेक्ट नहीं करेंगी। धारा ४ स्वयं बताती है इसमें डाउट्स हैं और इनको खत्म करने के लिये इसमें व्यवस्था कर दी गई।

[श्री रक्षपाल सिंह]

धारा ५ देखें इसमें भी कानून से कोई संबंधित बात नहीं 'Power of the Court other authority for adaptaion'.

यानी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है परन्तु कोर्ट जैसा चाहेंगे वैसा एडाप्ट कर लेंगे और उसमें कोर्ट किस सर्कम्स्टांस में एडाप्ट कर लेंगे इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है ।

धारा ६ देखें:

'The State Government may, for the purposes of removing any difficulty ...

(*a*) direct that the U. P. Encumbered Estates Act, 1934 or the U. P. zamindars' Debt Reduction Act, 1952, as the case may be, as amended by this Act, shall, during the period of two yaers...."

तो मतलब यह है इसका जो ६ सेक्शन है उसमें भी रिमूवल आफ डिफीकल्टीज के लिये प्राविजन है । तो जो ६ सेक्शन का कानून है उसमें धारा २ और ३ कांट्राडिक्टरी हैं । एक कहती है १९३४ से लागू होगा । दूसरी कहती है जब से अमेंडमेंट कर दिया जाय तब से लागू समझा जायगा । फिर डाउट्स होंगे, कोर्ट्स कैसे एडाप्ट करेंगे और आखिरी बात जो इसमें डिफिटीज पैदा होंगी उनको कैसे रिमूव किया जायगा ।

दो बातें, जैसा मैंने बताया, इसमें उल्लेखनीय हैं एक तो इस नये विधेयक के लाने की जो बात थी तो माल मंत्री महोदय एक कानून बना सकते थे कि ऐसे कुछ लोग जो जमींदार थे, उनकी इतनी-इतनी प्रापर्टी थी और उन पर इतना ऋण है वह कानून के द्वारा इतना कम कर दिया जायगा। लेकिन समझ में नहीं आता कि एक सुविधा देने के लिये मंत्री महोदय ने यह रास्ता अपनाया कि उन्होंने कुछ शब्दों का हेरफेर इसमें कर दिया जैसे रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट के स्थान पर एन्युटी कर दिया । क्या जो पुराने कानून हैं उन्हीं की परिभाषाओं का रखा जाना आवश्यक है ? एक सीधी-सी बात को रखने के लिये हमारे मंत्री महोदय ने एक कानून में ६ कानूनों की व्यवस्था कर दी है और अनेकों कानूनों को उलझाने वाला यह कानून बनाया है । कोर्ट का जो हाल है वह सभी को ज्ञात है । यह सेक्शन किस पर आधारित है, उसके लिये पहले संशोधन अधिनियम ढूंढा जाय, फिर ओरीजिनल ऐक्ट ढूंढा जाय और जो सम्बन्धित ऐक्ट्स हैं उनको ढूंढा जाय और प्रकार से साधारण जनता तो क्या वकील को भी समझने में कठिनाई होगी । एक व्यवस्था को ढूंढने में जानकार व्यक्ति को भी २० मिनट लग जायेंगे ।

जहां तक डेट रिडक्शन करने की बात कही गयी है यह ठीक थी कि जिनकी जमीनें चली गयीं उन जमींदारों को कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये लेकिन इसमें प्रमुख बात यह देखने की है कि शहरी क्षेत्र के जमींदारों ने, यह देख कर कि देहाती क्षेत्र की जमींदारी समाप्त कर दी गयी, समझ लिया था कि उनकी भी जमींदारी जायगी और इसी लिये बहुधा यह देखने में आया कि सारी की सारी जमीन उन्होंने पहले ही समाप्त कर दी और कितने ही गुना उन्होंने उससे फायदा उठाया । लेकिन इस सरकार की नीति बड़ों को बड़ा करने की है । छोटे काश्तकार को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है । सरकार शहरी क्षेत्र के जमींदारों को सुविधा देने के लिये क्यों लालायित है ? उनको रिहैबिलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से उनके पास उद्योग धंधे और कल कारखाने हैं । सरकार ने काश्तकार के ऋण को खत्म करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की । इन सब दिक्कतों को देखते हुये कि यह विधेयक बड़ा मिसलीडिंग है सरकार इसे वापस लेगी और ऐसे टेढ़े मेढ़े कानून को प्रेस नहीं करेगी क्योंकि समझ में नहीं आता कैसे उसका उपयोग हो सकेगा ? तो मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसे वापस लें और अगर वापस न लें तो प्रवर समिति में भेज दें ताकि यह एक सीधा कानून बन सके और इसमें जो खामियां हैं कि कितने प्रतिशत दिया जायगा कितने प्रतिशत नहीं दिया जायगा वह सब दूर हो सकें । इन सब बातों के लिये यह प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि इसमें आमूल रूप से परिवर्तन हो सके ।

श्री अध्यक्ष—माननीय सूचना मंत्री ।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, ...

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें। (श्रीकल्पनाथ सिंह द्वारा बार-बार अपनी बात कहने का आग्रह करने पर) देखिये मैंने एक माननीय सदस्य को बुला लिया है, वह पहले बोल लें तब आप बोलियेगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह—लेकिन एक बात उसी से संबंधित है ।

श्री अध्यक्ष—वह प्रस्ताव रख दें तब आप बता दीजियेगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह—तब आप मानेंगे नहीं ।

श्री अध्यक्ष—मानूंगा क्यों नहीं ।

श्री बनारसीदास—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री कल्पनार्थसिंह—मैं इसका विरोध करता हूं। विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के अध्याय १३ के नियम ११३ के खंड ८ के अन्तर्गत किसी भी सदस्य को यह अधिकार है कि वह किसी भी नियम के निलम्बित करने के लिये प्रस्ताव लाये। इस नियम के अन्तर्गत मैं धारा ११६ के निलम्बन के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—क्लोजर मोशन के लिये यह नहीं हो सकता। दिस इज आउट आफ आर्डर ।

श्री कल्पनार्थसिंह—जी नहीं। मैं उस नियमावली का हवाला दे रहा हूं। नियम ११३ के खंड ८ के अन्तर्गत हर सदस्य को यह अधिकार है कि वह बिना पूर्व सूचना के किसी भी नियम को निलम्बित करने का प्रस्ताव कर सकता है और उस धारा के मातहत मैं नियम ११६ को निलम्बित करने का प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्यवाही तक के लिये उसको निलम्बित किया जाय ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—नियम ११६ में जो लिखा है उसको देख लीजिये। उसमें यह है कि कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय और जब तक कि अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव इन नियमों का दुरुपयोग है, तो यह सर्वथा दुरुपयोग है मेरा यह कहना है। आप देखते हैं कि इस बिल में कोई भी संशोधन नहीं आया है। पिछले ३६ घंटे से कम में जो भी संशोधन आये उनको आपने जरा-सी आपत्ति करने पर अस्वीकार कर दिया इसके बाद अब इस पर कोई विवाद नहीं होगा, यह आखिरी है और मुश्किल से अभी दो घंटे यह बिल चला है। तो अध्यक्ष महोदय, इतने कम समय में अगर इस प्रकार आप माननीय सूचना मंत्री का विवादान्त प्रस्ताव स्वीकार करा देंगे तो यह आगे के बिलों को बड़ा खतरा है और डर लगता है कि इस तरह से तो ५-५ मिनट बाद प्रस्ताव आ जायेंगे। इसलिये आप कतई आज्ञा न दें ।

श्री अध्यक्ष—देखिये मैं बता दूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता था कि .....

श्री अध्यक्ष—माननीय रामसुन्दर जी आप बैठ जाइये। जो हमारे सामने माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी ने कहा उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना और मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि जिस प्रकार से विवाद हो रहा था उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा था और समय लेने के लिये विवाद हो रहा है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था से मुझे आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष—माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी, आप बैठ जाइये ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—आपकी आज्ञा से विवाद हो रहा है और आप आक्षेप कर रहेहैं।

श्री अध्यक्ष—देखिये, मुझे अधिकार है कि अगर मैं देखूं कि आपका प्रस्ताव अनुचित है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बैठ जाइये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष जी, आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिये। मेरी प्रार्थना यह है कि आप जब से सदन में आये हैं। माननीय लखीसिंह और रक्षपालसिंह जी ने भाषण दिये और किसी ने भाषण नहीं दिया। बोलने वालों में बहुत से माननीय सदस्य बैठे हैं जो अपने विचार इस पर देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—हो गया। अब आप कृपा करके बैठ जाइये। एक बात सुन लीजिये। जब प्रश्न उपस्थित हुआ तो उस पर विवाद नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री कल्पनार्थसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो व्यवस्था उठाई थी उस पर आपने व्यवस्था नहीं दी ?

श्री अध्यक्ष—उसको मैंने अस्वीकार कर दिया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, एक तो आपने कहा कि सदन का समय नष्ट करना.....

श्री अध्यक्ष—यह मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि सदन का समय लेना है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, यह विवाद आपकी आज्ञा से हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—मैं कह रहा हूं कि जो मैं सुन रहा था उससे मालूम हुआ कि सदन का समय लेने के लिये विवाद जारी रखना चाहते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से ही तो विवाद जारी है।

श्री अध्यक्ष—जब मैं समझूंगा कि विवाद नहीं होना चाहिये तो उसके लिये मुझे कहना पड़ेगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय कल्पनार्थसिंह जी ने रखा उस पर भी विचार कर लेना चाहिए था। उसको आप हाउस में पुट कर देते फिर जो निर्णय होता उसे देखते।

श्री अध्यक्ष—मैंने विचार कर लिया है।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गयी।)

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, अभी केवल ढाई घंटा ही हुआ है।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, हमने क्या खता की है ....

श्री अध्यक्ष—माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी, आप बैठ जाइये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, मैं भी माननीय रक्षपालसिंह के साथ खड़ा हुआ था।

श्री अध्यक्ष—इस समय कोई प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, वह तो मैंने माना, लेकिन आपने जो आब्जर्वेशन्स कर दिये हैं उनको अन्याय कहूं या क्या कहूं ?

श्री अध्यक्ष—मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर वे अपमानजनक हैं तो मैं उनको कार्यवाही से निकाल दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा था It is taking the time of the House and you should not do it. यह मेरा मतलब था।

श्री बलवान्तसिंह—श्रीमन्, कम्युनिस्ट पार्टी में से कोई नहीं बोला, स्वतंत्र पार्टी से कोई नहीं बोला, पी० एस० पी० से सिर्फ दो बोले हैं। श्री टम्बेश्वरीप्रसाद जोरों से तैयारी कर रहे हैं, आपने किसी को मौका नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—अब तो प्रश्न नहीं उठता।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—एक आपत्ति है। आप से हरिनाथ जी कह गये थे कि हमको बुला लीजियेगा। आपने बुलाया नहीं।

(घंटी बंद होने के उपरान्त)

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में .. १२८,

विपक्ष में .. ५०।)

श्री अध्यक्ष—श्री हरिनाथ तिवारी।

(श्री हरिनाथ तिवारी अनुपस्थित थे।)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, वह याचिका समिति में गये हैं। मैंने बुलवाया है। अभी दौड़े आ रहे हैं। दूसरे सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष—नहीं, वह नहीं कर सकते। जिन्होंने पेश किया है वही कर सकते हैं।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत है जैसा कि मैंने शुरू में बताया इसमें केवल थोड़े से संशोधन ऐसे किये गये हैं ताकि यह दोनों अधिनियम उन जमींदारों के कर्जों पर भी लाग हो जायं जिनकी जमींदारी शहर में है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, हरिनाथ जी आ गये।

श्री अध्यक्ष—नहीं।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सन् १९५२ में जो अधिनियम पास किया गया इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जिन जमींदारों के आस्थान हस्तगत किये गये हैं उनके ऋण को कम करने के लिये अधिनियम बनाया गया है। जैसा कि इन शब्दों से मालूम होता है, यह अधिनियम केवल उन जमींदारों के सम्बन्ध में है जिनकी जमींदारी ५० वाले अधिनियम के अनुसार ली गयी थी। अगर आप देखेंगे जो इसमें अनुसूची लगी हुई है उसमें हमने यह कहा है, अनुसूची नम्बर २ में दिया है, पार्श्व में जहां भी शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ आये हों उनके स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९५७" रख दिये जायें जिसके माने यह होते हैं कि यह जो डेट रिडक्शन ऐक्ट है यह लागू हो जाता है और अगर हम यह संशोधन नहीं करते तो यह डेट रिडक्शन ऐक्ट की जो कुछ सुविधायें हैं उनसे वह ज़मींदार वंचित रह जाते। मैं यह तो दावा नहीं करता कि इस ऐक्ट को बिलकुल मैंने याद कर लिया है, मगर यह बात जरूर है कि मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की और माननीय मैनेजर सिंह ने जो मुझको सर्टिफिकेट दिये हैं उनके लिये मैं उनका बहुत आभारी हूं, उनको एहतियात से रखूंगा, शायद वक्त जरूरत पर

[श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव]

काम आवें। मगर वह इसको सोचें और मेरे साथ आकर के बैठें और देखें। जिन अधिनियमों में संशोधन किया गया है और जो इस अनुसूची में दिये गये हैं उन को मैं उनके सामने मंगाऊं और वह देख लें कि उन संशोधनों का क्या परिणाम होता है तो वह खुद मान जायेंगे कि यह ऐसा मसला नहीं है कि यह प्रवर समिति को जाय। और बहुत से विधेयक ऐसे आगे आने वाले हैं जिनके लिए उनको अपनी जितनी शक्ति है उसे सुरक्षित रखनी चाहिए और प्रवर समिति वगैरह के संशोधन उनके लिय वक्त पेश किये जायं। यह तो अधिनियम ऐसा है कि इसमें कई अधिनियमों का हवाला है और यह जो इसमें दो अनुसूचियां दी हुई हैं इन अनुसूचियों को जब तक उन अधिनियमों के साथ न पढ़ा जाय तब तक उनके माने भी समझ में नहीं आ सकते और मैं यह अर्ज करूंगा कि मैंने इसको समझने के लिए यह किया कि जितने संशोधन हैं उन को उन अधिनियमों में रखकर के उनमें अपने हाथ से लिखा और उस पर लिखने के बाद यह बात समझ में आती है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो यह कहा जाय कि कोई सिद्धान्त की बात है।

अब माननीय तिवारी जी ने एक बात कही, यह बात है कि इसके अन्दर सिद्धान्त यह है जो हमारे संविधान के आर्टिकिल १४ में दिया है और इसके द्वारा हमने वही सब चीजें इसमें लागू कर दी हैं। एक बात माननीय तिवारी जी ने पढ़ी जरूर, मगर यह तो एन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट है उसमें इस ऐक्ट वन आफ १९५१ का हवाला दिया और यह कहा कि यह इसमें लिखा हुआ है, गलत है। तो यह बात मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा कि उन्होंने देखा नहीं कि मार्जिन में लिखा हुआ है, बाडी आफ दि ऐक्ट में नहीं है। मार्जिन पर ऐक्ट नम्बर और सन् दिया हुआ है और जहां पर धारा के अन्दर है वहां पर वही लिखा हुआ है 'जमींदारी उन्मूलन अधिनियम सन् १९५०'।

श्री हरिनाथ तिवारी—मार्जिन में नहीं है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मार्जिन वाला जो गवर्नमेन्ट का एडीशन है उसमें उस मार्जिन को हटा कर के हमने यह कर दिया है। अगर उनकी किताबों में मार्जिन पर कुछ लिखा ही नहीं है तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। वह तो वही है जो उसके मार्जिन पर लिखा हुआ है।

श्री हरिनाथ तिवारी—माननीय मंत्री जी ने कहा कि मार्जिन पर लिखा है। इस किताब में नहीं है और यह आपकी ही वितरित की हुई किताब है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—अगर मार्जिन पर लिखा हुआ नहीं है तो सवाल नहीं है। जहां पर लिखा हुआ है वह मैंने बतलाया। जैसा उस धारा में लिखा हुआ है वह वही शब्द लिखे हुये हैं। अब इस तरह से आप देखेंगे तो जितने अनुसूची में संशोधन हैं उनको अगर उस जगह पर रखें कि जिस धारा पर वह हैं तो उसमें हम कोई ऐसी बात नहीं पैदा कर रहे हैं और न ऐसी कोई बात पास करने की कोशिश कर रहे हैं और न कोई बात की जा रही है कि जो विधेयक के खिलाफ हो या हमारे संविधान के विरुद्ध हो। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यह प्रवर समिति में जाय, वरना मैं प्रवर समिति के खिलाफ नहीं हूं। अगर ऐसा कोई विधेयक हो जिसमें ऐसा सिद्धांत हो या ऐसी पेचीदा बात हो जिस पर इस सदन में विचार नहीं किया जा सकता और उसके लिये जरूरत है कि थोड़े से आदमी बैठकर उस पर विचार करें तो अवश्य उस पर वहां विचार किया जाय। इसका मैं हामी हूं। मगर इस विधेयक के सिलसिले में यह अर्ज करूंगा कि इसमें कोई ऐसी बात मालूम नहीं होती कि जिसके लिये यह प्रवर समिति में भेजा जाय। इसलिये मैं तिवारी जी के संशोधन का विरोध करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक पर यहीं विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि .....

श्री हरिनाथ तिवारी—श्रीमन्, मैं आपसे आज्ञा लेकर सदन से बाहर गया था कि मैं वाचिका समिति में जा रहा हूं। मुझको इस पर बोलना था। जिस समय घंटी बजी तो मैं आया किन्तु दोनों तरफ के दरवाजे बन्द थे। दरवाजा खुला तो मैं तुरन्त आया और आपको सूचना दे दी। तो कम से कम मुझ को जवाब देने का अब अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—इसमें आज्ञा का कोई प्रश्न नहीं है। आप मुझको सूचना देकर अवश्य गये थे, लेकिन मैं फोरकास्ट नहीं कर सकता था कि क्लोजर मूव हो जायगा। जिस समय आपको बुलाया गया आप सदन में उपस्थित नहीं थे।

श्री हरिनाथ तिवारी—श्रीमन्, प्रक्रिया नियमावली के नियम ११६ को देख लिया जाय। 'किसी प्रस्ताव के किये जाने के बाद भी अध्यक्ष किसी सदस्य के उत्तर देने के अधिकार को अनुज्ञापित करेंगे जो उसे इन नियमों के अन्तर्गत प्राप्त है ....

श्री अध्यक्ष—अब इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिनाथ तिवारी—आप माननीय मंत्री के बाद भी आज्ञा दे सकते हैं कि मैं अपने विचार प्रकट करूं।

श्री अध्यक्ष—अब वह हो गया।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कहां है कि माननीय मंत्री जी के बोलने के बाद सदस्य को मौका न दिया जाय? यह कहां का नियम है कि मंत्री जी के बोलने के बाद जिस सदस्य ने प्रस्ताव किया है उसको जवाब देने का अवसर न दिया जाय?

श्री अध्यक्ष—जो नियम मोशन के बारे में है वह यह है कि संशोधन के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुतकर्ता बोलेंगे और अन्त में माननीय मंत्री बोलेंगे। अगर संशोधनकर्ता या प्रस्तावक उपस्थित नहीं हैं तो उनकी अनुपस्थिति में जिसको अधिकार होगा यानी जो अधिकृत होगा वह बोलेगा।

श्री कल्पनार्थासिंह—हमने निलम्बन का प्रस्ताव आपके सामने रखा था।

श्री अध्यक्ष—वह ओवर रूल कर दिया गया था।

श्री कल्पनार्थासिंह—जो प्रस्ताव आया था उस पर आपको विचार करना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—वह ओवर रूल कर दिया था (व्यवधान) तब मैं प्रश्न उपस्थित करने लगा था।

श्री हरिनाथ तिवारी—उस संशोधन के दो प्रस्तावक थे, लेकिन दूसरे को मौका नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष—वह मैं कह चुका। आप उस समय नहीं थे।

अब सदन का समय १५ मिनट के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्री हरिनाथ तिवारी—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह भी है कि प्रस्तावकों में मेरा तथा रक्षपालसिंह जी का नाम था और आपने दूसरे सदस्य को बुलाया नहीं। ऐसी परिस्थिति में तो कम से कम आपको मुझे उत्तर देने की आज्ञा देनी चाहिये।

(व्यवधान—शोर)

श्री अध्यक्ष—जहां तक मैं नियम समझा हूं वह इस प्रकार है। यह नियम २९२ है "(३) कोई सदस्य जिसने कोई मूल प्रस्ताव या उस पर कोई संशोधन प्रस्तुत किया हो या आवश्यक की मांगों के लिये किसी मद को कम करने या हटा देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो, उत्तर के रूप में, पुनः भाषण कर सकेगा, और यदि प्रस्ताव या संशोधन किसी असरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो उस मंत्री को, जिसके विभाग से चर्चाधीन विषय का सम्बन्ध हो, प्रस्तावक के पश्चात् भाषण करने का अधिकार होगा, चाहे उन्होंने विवाद में पहले भाषण किया हो, या न किया हो।"

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—तो वह फिर बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष—मैं आप की इस बात को ओवर रूल कर रहा हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—कम से कम आप अपनी बात को तो ओवर रूल न करिये।

श्री अध्यक्ष—जो आपने कहा है उसे ओवर रूल कर रहा हूं।

श्री कल्पनार्थसिंह—मैं एक और व्यवस्था का प्रश्न पैदा करता हूं। सवाल यह है कि आज के प्रायः १५ दिन पूर्व एक बिल को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव चल रहा था, उस पर मंत्री जी बोल चुके थे और उसके बाद भी आपने भाषण करने का अवसर दिया मूवर महोदय को, तो इस प्रकार की आपकी व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री कल्पनार्थसिंह—यदि मैं आप को उस से संतुष्ट कर दूं तो....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—जिन मंत्री जी को बोलना है वे नहीं बोले हैं, यह तो दूसरे मंत्री बोले हैं।

श्री अध्यक्ष—जिन्होंने मूव किया है वही बोले हैं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋण विधि प्रवृति विधेयक, १९६२ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जिसे इस विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन एक महीने के अन्दर सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग करने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—श्रीमन्, आपने कहा था १५ मिनट बढ़ाया जाता है। समय की बात नहीं कही थी। तो यह अनियमित हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें।

(कुछ ठहर कर)

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—५६,

विपक्ष में—११४।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋण विधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—कल खंडों पर बहस होगी । अब हम उठते हैं और कल साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३९ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
२६ सितम्बर, १९६२ ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४० पर)

सूची

छाया ब्लाक, मूढ़ा तहसील, जिला मुरादाबाद में बने नलकूप के असफलता के कारण निम्नलिखित हैं:—

१—विद्युत् के अभाव में नलकूप इंजनों द्वारा चलाये गये जिससे सिंचाई का व्यय मंहगा पड़ा और टूट-फूट अधिक हुई। इसी कारण वैतनिक कर्मचारी अधिक रखने पड़े।

२—रुपये की कमी के कारण पक्की गूलें न बन सकीं जिनसे दूर तक सिंचाई हो पाती।

३—इंजनों के कार्य में अनुभव की कमी।

४—प्रायः कृषकों ने अपने निजी रहट के कुयें बनवा लिये हैं जिनसे सिंचाई बहुत ही सस्ती पड़ती है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १९६ एल० ए०—१९६३—८३०—(प्रो०)।